बीसवां अंक-2021 (ई-पत्रिका - प्रथम अंक)

नियोजन संदेश

नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप–समिति द्वारा 11.01.2021 को इस संगठन के सफलतापूर्वक निरीक्षण के दौरान संयोजक एवं सांसद (लोकसभा) श्री चिराग पासवान जी से समिति के प्रतिवेदन के पहले नौ खण्डों पर किए गए राष्ट्रपति के आदेशों का संकलन प्राप्त करते श्री उदित रत्न, मुख्य नियोजक (प्रभारी)

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप–समिति द्वारा 11.01.2021 को किए गए इस संगठन के राजभाषा संबंधी निरीक्षण की कुछ झलकियां:

नियोजन संदेश
2021

बीसवां अंक

(ई–पत्रिका – प्रथम अंक)

प्रधान संरक्षक
उदित रत्न
मुख्य नियोजक (प्रभारी)

परामर्शदात्री
अंजलि पंचोली
सह नगर एवं ग्राम नियोजक

संपादक
राम स्वरूप मीना
अनुसंधान अधिकारी एवं प्रभारी (राजभाषा)

सहायक संपादक
ललित मेहता
अनुवादक

नेत्रपाल
आशुलिपिक–ग्रेड–I

सहयोग
कमल सिंह
आशुलिपिक ग्रेड–II

'नियोजन संदेश' पत्रिका में व्यक्त विचार
रचनाकारों के अपने विचार हैं। उनके लिए
सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

नियोजन संदेश के अगले अंक के लिए नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से स्वरचित रचनाएं आमंत्रित हैं। रचना के साथ अपना पासपोर्ट आकार का फोटो अवश्य भेजें। फोटो के पीछे अपना नाम जरूर लिखें।

सम्पर्क सूत्र :	CONTACT NO.:
राजभाषा अनुभाग	RAJBHASHA SECTION
नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन	TOWN & COUNTRY PLANNING ORGANISATION
भारत सरकार	GOVERNMENT OF INDIA
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF HOUSING & URBAN AFFAIRS
ई–ब्लॉक, विकास भवन,	E-BLOCK, VIKAS BHAWAN
इंद्रप्रस्थ एस्टेट,	INDRAPRASTHA ESTATE
नई दिल्ली–110002	NEW DELHI-110002
दूरभाष: 011–23370898	TELEPHONE: 011-23370898
फैक्स: 011–23379197	FAX: 011-23379197
ई–मेल: adoltcpo@gmail.com	E-MAIL: adoltcpo@gmail.com

ई–पत्रिका मुद्रण तिथि: 10 मार्च 2021	E-Magazine Printing Date: 10 March 2021

डी. तारा, भा.प्र.से.
संयुक्त सचिव (अमृत) एवं
अध्यक्षा, न.ग्रा.नि.सं.

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
निर्माण भवन, नई दिल्ली।

संदेश

नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, नई दिल्ली की हिंदी गृह पत्रिका 'नियोजन संदेश' का बीसवाँ अंक आपके सुपुर्द करते हुए मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है। यह संगठन 'नियोजन' जैसे तकनीकी क्षेत्र में बेहद सरल, सुपाठ्य एवं सुरुचिपूर्ण ढंग से हिंदी का प्रचार–प्रसार लगातार करता आ रहा है। मैं आशा करती हूँ कि इस अंक में प्रस्तुत तकनीकी एवं प्रशासनिक लेख पाठकों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे।

मैं नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन के समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों को इस पत्रिका के प्रकाशन हेतु बधाई देती हूँ और इस पत्रिका के सतत प्रकाशन की कामना करती हूँ।

(डी. तारा)

उदित रत्न
मुख्य नियोजक (प्रभारी)

भारत सरकार
नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
ई ब्लॉक, विकास भवन,
आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली।

सत्यमेव जयते

प्रधान संरक्षक की कलम से

भारतीय संस्कृति की सबल संवाहिका होने के नाते हिंदी दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करती है। भारत के संविधान का प्रणयन करने वाले मनीषियों ने इस मर्म को गहराई से समझा, इसीलिए उन्होंने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्रदान किया। अतः यह हमारा सांविधिक दायित्व है कि हम संगठन के दैनिक कार्यों में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करें।

एक तकनीकी संगठन होने के बावजूद हमने सरकार की राजभाषा नीति को बखूबी कार्यान्वित किया है। इसी दायित्व को निभाते हुए आपके समक्ष 'नियोजन संदेश' का बीसवाँ अंक प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं यह गर्व से कह सकता हूँ कि इस पत्रिका के माध्यम से यह संगठन नियोजन के क्षेत्र में हमारी राजभाषा हिंदी को सम्माननीय स्थान दिलाने में सफलतापूर्वक प्रयास करता आ रहा है। इस पत्रिका के अंक देश के समस्त राज्यों/संघ राज्यों के नगर नियोजन विभागों को भेजे जाते हैं, जिससे हिंदी में तकनीकी लेखों के माध्यम से राजभाषा हिंदी का प्रचार–प्रसार सकारात्मक रूप से होता है।

इस पत्रिका के प्रकाशन को संभव करने के लिए मैं संपादक मंडल के साथ–साथ इसमें प्रकाशित रचनाओं के लेखकों का बहुत आभारी हूं। इसमें प्रस्तुत लेख रोचक, ज्ञानवर्धक एवं सूचनापरक हैं, जो इस पत्रिका को बहुआयामी रूप देते हैं।

अंत में, आशा करता हूँ कि 'नियोजन संदेश' का यह अंक आपको अवश्य पसन्द आएगा तथा हमेशा की तरह आप इस पत्रिका के लिए अपने विचारों एवं प्रतिक्रियाओं से अवगत कराएंगे।

शुभकामनाओं सहित।

(उदित रत्न)

संपादकीय

नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय का एक तकनीकी सलाहकारी संगठन है, जो विभिन्न प्रकार की तकनीकी योजनाओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। संगठन में हिंदी अनुभाग मील के पत्थर की तरह हिंदी के प्रचार–प्रसार में अहम भूमिका निभा रहा है।

हिंदी हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है। संघ सरकार की राजभाषा होने के नाते भारत के बड़े भू–भाग में बोली जाती है। भारत में हिंदी की व्यापकता और लोकप्रियता को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। इसी कड़ी में राजभाषा अधिनियम व नियम बनाए गए। वास्तव में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का दायित्व संगठन के प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी का है। कठिनाइयों के बावजूद सभी अधिकारियों/कर्मचारियों ने अपना दायित्व निभाने का प्रयत्न किया है। इसका सारा श्रेय संगठन के मुख्य नियोजक (प्रभारी) को जाता है, जिन्होंने स्वयं हिंदी में कार्य करने के साथ–साथ हिंदी अनुभाग को समय–समय पर जरूरी एवं सतत मार्गदर्शन देकर हिंदी के प्रति लगाव को प्रदर्शित किया है जिसकी पुष्टि इस बात से भी की जा सकती है कि काफी समय से विचाराधीन 'नियोजन संदेश' पत्रिका का उन्होंने सितम्बर 2020 में पदग्रहण करते ही प्रकाशित करने का निर्णय लिया।

इस संगठन में 'नियोजन संदेश' के 19 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। यह 20वां संस्करण राजभाषा अनुभाग के प्रयासों का परिणाम है। यह संस्करण आपके विचारों एवं सुझावों का स्वागत करता है। अतः आपके सुझाव और आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बेहद मूल्यवान हैं, हमें सदा उनकी प्रतीक्षा रहेगी।

आर.एस.मीना
अनुसंधान अधिकारी/प्रभारी (राजभाषा)

जीवन सूत्र

समुद्र सभी के लिए एक ही है पर कुछ उसमें से मोती ढूंढते हैं और कुछ सिर्फ अपने पैर गीले करते हैं। जिंदगी भी समुद्र की भांति ही है यह सिर्फ हम पर निर्भर करता है कि इस जीवन से हम क्या पाना चाहते हैं, हमें क्या ढूंढना है?

***

जिस इंसान की समझ जितनी सकारात्मक अथवा नकारात्मक होती है वह उसी रूप में मान–अपमान अथवा हालात को महसूस करता है। सकारात्मक व्यक्ति कीचड़ में भी कमल और नकारात्मक व्यक्ति चांद में भी दाग देख लेता है।

***

जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हों, चिंता करने से और बड़ी हो जाती हैं, खामोश होने से काफी कम हो जाती हैं, सब्र करने से खत्म हो जाती हैं तथा परमात्मा का शुक्र करने से खुशियों में बदल जाती हैं।

***

दिमाग ठंडा रखो अर्थात किसी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया न करो, सबके प्रति करूणा और दिल में दया रखो, सदा मीठा बोलो, किसी को चुभने वाली बात न करो अर्थात अपनी जुबान नर्म रखो, बड़ों का आदर अर्थात आंखों में शर्म रखो तो फिर सारा संसार तुम्हारा है।

***

अनुक्रमणिका

क्रमांक	रचना	रचनाकार	पृष्ठ संख्या
1.	सरस्वती वंदना		1
2.	टी.सी.पी.ओ. के शानदार 58 वर्ष		2
	तकनीकी लेख		
3.	शहरी नियोजन में ड्रोन/मानवरहित हवाई वाहन का अनुप्रयोगः एक नई पहल	उदित रत्न	3
4.	वास्तु नियोजन और हिंदी भाषा के अंतर्सम्बन्ध	एच.बी. सिंह	6
5.	भूमंडलीकरण, आर्थिक विकास एवं शहरीकरण के उभरते आयाम	अजय कुमार	11
6.	ऊर्जा संरक्षण का महत्व	नरेन्द्र पाल	14
7.	भारत में जनसंख्या : समस्या एवं समाधान	राम सिंह राठौड़	16
8.	ग्रामोत्थान एवं भारत का विकास	रेजीना टोप्पो	18
9.	यूरिस प्रभागः एक झलक	विपिन कुमार	20
10.	स्मार्ट सिटी मिशनः इसकी प्रगति की वर्तमान स्थिति	धर्मेन्द्र शर्मा	21
11.	गंगा प्रदूषण एवं शहरों का नियोजन	अनिल कान्त मिश्रा	23
12.	भारत में पंचायती राज व्यवस्था की दिशा–दशा	आर.एस.मीना	29
13.	भारतीय शहरों के लिए तीन महत्वाकांक्षी परियोजनाएँः शहरों के विकास की उत्प्रेरक	हरपाल सिंह	32
14.	भारत की जनगणना–2011	तरसिसियुस टेटे	36
15.	अभिलेख प्रबंधन	आर.पी. सिंह	43
	कविताएं		
16.	कविता	डॉ. महावीर	49
17.	स्वच्छता संकल्प	डी.एम. नंदनवार	50
18.	बस एक कदम और	नवीन कुमार	51
19.	यादें	प्राण कुमार	52
20.	माँ	रजनीश कुमार सक्सैना	53
21.	बंधन	प्रभाष कुमार	54
22.	अमानत	प्रभाष कुमार	54
23.	भयानक खौफ	रणसिंह सैनी	55
	अन्य लेख		
24.	पानी की सीख	शशिकांता पुरी	57
25.	कलाम को मेरा सलाम	उदयवीर सिंह	58
26.	योग का बढ़ता महत्व	नेत्रपाल	60

क्रमांक	रचना	रचनाकार	पृष्ठ संख्या
27.	समय का सदुपयोग	कमल सिंह	62
28.	सीखना कैसे सीखें	ललित मेहता	64
हिंदी से संबंधित वार्षिक कार्यक्रम, नियम और धारा 3(3) एवं महत्वपूर्ण जानकारी			
29.	वर्ष 2020–21 के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य	राजभाषा अनुभाग	67
30.	राजभाषा नियम, 1976–प्रमुख नियम	राजभाषा अनुभाग	68
31.	राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले कागजात	राजभाषा अनुभाग	69
32.	राजभाषा संबंधी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी	राजभाषा अनुभाग	70
संगठन का संसदीय राजभाषा समिति द्वारा निरीक्षण एवं हिंदी प्रयोग प्रोत्साहन माह के दौरान दिए गए पुरस्कार			
33.	संयोजक एवं सांसद (लोकसभा) श्री चिराग पासवान द्वारा दिनांक 11.01.2021 को श्री उदित रत्न, मुख्य नियोजन (प्रभारी) को प्रदान किए गए पत्र की प्रति	राजभाषा अनुभाग	71
34.	वर्ष 2019 – हिंदी प्रयोग प्रोत्साहन माह के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं के अंतर्गत पुरस्कार विजेताओं की सूची	राजभाषा अनुभाग	72
35.	वर्ष 2019 – सरकारी कामकाज (टिप्पण/ प्रारूपण) मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कार विजेताओं की सूची	राजभाषा अनुभाग	74
36.	वर्ष 2020 – हिंदी प्रयोग प्रोत्साहन माह के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं के अंतर्गत पुरस्कार विजेताओं की सूची	राजभाषा अनुभाग	75
37.	वर्ष 2020 – सरकारी कामकाज (टिप्पण/ प्रारूपण) मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कार विजेताओं की सूची	राजभाषा अनुभाग	77
तकनीकी शब्द एवं संक्षिप्त टिप्पणियां			
38.	तकनीकी शब्द	राजभाषा अनुभाग	78
39.	संक्षिप्त टिप्पणियां	राजभाषा अनुभाग	81
आपके पत्र एवं लोक शिकायत निदेशालय की सूचना			
40.	आपका पत्र मिला		83
41.	मंत्रिमंडल सचिवालय लोक शिकायत निदेशालय – क्या आप अनसुलझी शिकायतों से परेशान हैं?		84

सरस्वती वंदना

हे शारदे माँ, हे शारदे माँ,
अज्ञानता से हमें तार दे माँ।
तू स्वर की देवी ये संगीत तुझसे
हर स्वर तेरा हर गीत तेरा
हम हैं अकेले हम हैं अधूरे
एक तू ही है पूर्ण, हे शारदे माँ।
हे शारदे माँ, हे शारदे माँ,
अज्ञानता से हमें तार दे माँ।

मुनियों ने समझी मुनियों ने जानी
वेदों की भाषा वेदों की वाणी।
हम भी तो समझें, हम भी तो जानें
विद्या का हमको अधिकार दे माँ।
हे शारदे माँ, हे शारदे माँ,
अज्ञानता से हमें तार दे माँ।

तू श्वेतवर्णी कमल पर विराजे,
हाथों में वीणा मुकुट सिर पर साजे
मिटा दे तू हमारे अंधकार, हे माँ
उजालों का हमको संसार दे माँ।
हे शारदे माँ, हे शारदे माँ,
अज्ञानता से हमें तार दे माँ।

टी.सी.पी.ओ. के शानदार 58 वर्ष (1962–2020) – एक परिचय

नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन (टीसीपीओ) की स्थापना 1962 में नगर नियोजन संगठन (टीपीओ) तथा केंद्रीय क्षेत्रीय और शहरी नियोजन संगठन (सीआरयूपीओ) को मिलाकर की गई थी। नगर नियोजन संगठन (टीपीओ) की स्थापना पण्डित जवाहर लाल नेहरू द्वारा 1955 में दिल्ली का प्रथम मास्टर प्लान तैयार करने के लिए की गई थी जबकि केंद्रीय क्षेत्रीय एवं शहरी नियोजन संगठन (सीआरयूपीओ) को दिल्ली क्षेत्र की योजना तैयार करने और स्टील नगरों, नदी घाटी परियोजनाओं इत्यादि पर परामर्श देने के लिए की गई थी। टीसीपीओ 1962 से आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय का एक तकनीकी अंग है जो शहरी एवं क्षेत्रीय नियोजन और विकास के क्षेत्र में शीर्ष तकनीकी सलाहकार एवं परामर्शदात्री संगठन के रूप में कार्य कर रहा है।

टीसीपीओ देश में शहरी एवं क्षेत्रीय नियोजन और विकास की नीतियों, कार्यक्रमों और कार्यनीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और विभिन्न राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में टीसीपीओ द्वारा तैयार किए गए मॉडल नियमों के आधार पर नगर एवं ग्राम नियोजन विभागों की स्थापना की गई है और राज्य नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम तैयार किए गए हैं। यह संगठन देश में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय और स्थानीय स्तरों पर स्थानिक नियोजन और विकास से संबंधित केंद्र सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों को दिशा देने में मुख्य भूमिका निभाता है और इस क्षेत्र में एक विशेषज्ञ एजेंसी के रूप में उभरा है। यह संगठन शहरी विकास, शहरी डिजाइन, स्थानिक नियोजन, पर्यटन विकास परियोजनाओं इत्यादि पर परामर्श देने का कार्य करता है। इस समय संगठन को अमृत मिशन के कार्यान्वयन के अंतर्गत चयनित शहरों हेतु जीआईएस आधारित मास्टर प्लान तैयार करने तथा ड्रोन (मानव रहित हवाई वाहन) प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के लिए डिजाइन और मानक बनाने का कार्य सौंपा गया है। इसके अलावा संगठन को स्मार्ट सिटी के शहरों हेतु स्थानीय क्षेत्र योजना और नगर नियोजन योजना तैयार करने और कार्य को सरल बनाने के अंतर्गत ऑनलाइन निर्माण योजना अनुमोदन प्रणाली को तैयार करने के लिए राज्यों से समन्वय करने के कार्य की जिम्मेदारी दी गई है।

नियोजन के साथ–साथ संगठन में सरकार की राजभाषा नीति को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए भी हम कृतसंकल्प हैं। **वर्ष 2020 से श्री उदित रत्न संगठन के विभागाध्यक्ष हैं। वर्तमान में श्रीमती डी. तारा, आई.ए.एस. संयुक्त सचिव (एमडी–अमृत) संगठन की पदेन अध्यक्ष हैं। हिंदी में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए संगठन को वर्ष 2013 के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (मध्य), नई दिल्ली द्वारा द्वितीय पुरस्कार एवं राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा उत्तर क्षेत्र–1 के लिए तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अलावा इस संगठन की 'नियोजन संदेश' पत्रिका के 19वें अंक को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति दिल्ली (मध्य) द्वारा प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि हम संगठन में राजभाषा नीति को प्रभावी रूप से लागू करने में सफल रहे हैं। संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप–समिति द्वारा इस संगठन का 27.01.2014 एवं 11.01.2021 को सफलतापूर्वक निरीक्षण किया गया।**

संगठन देश में उत्तरदायी शहरी और क्षेत्रीय योजना और विकास को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। देश में एकीकृत और स्थाई शहरी और क्षेत्रीय योजना बनाने तथा विकास को प्रोत्साहन देने हेतु नवीन विचारों और रणनीतियों को सुविधाजनक तथा मजबूत बनाना और उपलब्ध कराना ही संगठन का उद्देश्य है।

शहरी नियोजन में ड्रोन/मानवरहित हवाई वाहन का अनुप्रयोगः एक नई पहल

उदित रत्न

1. नई पहल की शुरुआत

मानवरहित हवाई वाहन (यूएवी) एक ऐसा विमान है जो मानव पायलट रहित होता है जिसमें एक यूएवी, एक ग्राउंड–आधारित नियंत्रक और संचार की एक प्रणाली शामिल होती है। प्रारंभ में यूएवी का प्रयोग उन कार्यों को संपन्न करने में होता था जहां मानव उड़ान जोखिम भरा था। समय के परिवर्तन के साथ ही इसका प्रयोग खोज, बचाव व मौसम विश्लेषण आदि जैसे कार्यों में किया जाने लगा। इसका उपयोग शहरी नियोजन और प्रबंधन क्षेत्र में एक नई पहल है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने महसूस किया कि लघु और मध्यम शहरों की सीमित सीमा है, इसलिए ड्रोन/मानवरहित हवाई वाहन (यूएवी) जैसी सटीक और लागत प्रभावी प्रौद्योगिकियों का पता लगाने के लिए लघु और मध्यम शहरों के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) आधारित महायोजना तैयार करने के लिए ड्रोन/यूएवी प्रौद्योगिकी के प्रयोग, डिजाइन और मानक तैयार किए जाएं। इस कार्य हेतु महासर्वेक्षक (एसजी), भारतीय सर्वेक्षण विभाग (एसओआइ) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने सभी राज्य सरकारों, सेवा प्रदाताओं एवं हितधारकों से उनके सुझाव और इस क्षेत्र में उनके अनुभव और सीख को साझा करने के लिए परामर्श किया। तत्पश्चात दस्तावेज को अंतिम रूप दिया गया और मंत्रालय को मंजूरी हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसे दिसंबर 2020 में स्वीकृत कर दिया गया।

2. ड्रोन/यूएवी तकनीक में घटक

डिजाइन और मानक दस्तावेज लघु और मध्यम शहरों के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित महायोजना के सूत्रीकरण के लिए ड्रोन/यूएवी तकनीक का उपयोग करने के लिए जिन घटकों की व्याख्या करता है, उनमें विभिन्न तत्वों के मानक, उनकी प्रासंगिकता, मानकों की क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सटीकता यूएवी सर्वेक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले भू–नियंत्रण की सटीकता सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त इसमें सटीक विवरणों की रिपोर्टिंग, जियोआइड मॉडल के संदर्भ ढांचा, अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली की व्याख्या होती है जिसे विभिन्न स्केल पर प्रिंट किया जा सकता है।

इस तरह के दस्तावेज डिजाइन मानकों को भी निर्दिष्ट करता है जिनमें दस्तावेज भू–नमूना दूरी (ग्राउंड सैंपल डिस्टेंस–जीएसडी), छवि अधिव्याप्त (ओवरलैप), उड़ान की ऊंचाई, वेग और कैमरा मापदंडों, डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली को मानकीकृत करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले संख्यात्मक (न्यूमेरिक) कोडिंग प्रणाली जिसमें 69 वर्ग (क्लासेस), 533 उप–वर्ग और गौण डाटा के संग्रह हेतु विस्तृत मानकीकृत प्रारूप भी शामिल हैं।

3. यूएएस/ड्रोन तकनीक के लाभ

पारंपरिक प्रौद्योगिकियों के स्थान पर आजकल यूएएस/ड्रोन की तकनीकी प्रगति को

प्राथमिकता दी जा रही है जिसके लाभ निम्नलिखित हैंः–

- मानवरहित एरियल प्रणाली (यूएएस)ः ड्रोन उच्च गुणवत्ता और बेहतर स्पेक्ट्रल और स्थानिक रिजॉल्यूशन को प्रदान करना, जिसकी लागत कम होती है और तेज परिवर्तन काल (टर्नअराउंड) और ऊंचाई में बेहतर गुणवत्ता वाले भू–स्थानिक डाटा देते हैं।
- वाहन में लिडार और उच्च रिजॉल्यूशन ऑप्टिकल सेंसर आदि के उपयोग से प्लेनीमीटर की सटीकता संभव है।
- बिना अतिरिक्त प्रयास के 3–डी मॉडल जैसे नए आउटपुट उत्पन्न किये जा सकते हैं। इन उत्पादों के लिए मानकों और डिजाइन को परिभाषित करने की आवश्यकता है।
- यूएवी तकनीक की सहायता से प्राप्त विस्तृत डाटा का उपयोग विभिन्न विभागों द्वारा निर्बाध तरीके से डाटा निष्कर्षण की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए किया जा सकता है।

4. मानवरहित एरियल प्रणाली तकनीक की सीमाएं

प्रौद्योगिकी की कुछ सीमाएं हैं जो निम्नलिखित हैंः–

➢ मानवरहित एरियल प्रणाली (यूएएस) तकनीक काफी नई है और तीव्र गति से विकसित हो रही है। इस संबंध में प्रशिक्षण एवं तकनीक के प्रयोग को भी उतनी ही गति देनी होगी।

➢ सेंसर तकनीक और मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) प्लेटफार्म लगातार उन्नत और बेहतर हो रहे हैं। अतएव दस्तावेज को भी लगातार अपग्रेड करना होगा। उसे एक जगह पर फ्रीज नहीं किया जा सकता है।

➢ यूएएस सर्वेक्षण कार्यों में कृत्रिम इंटेलीजेंस (एआई)/मशीनी ज्ञान के प्रयोग तेजी से उभर रहे हैं। अतः इसके प्रशिक्षण एवं सही उपयोग की आवश्यकता होगी।

➢ नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं (सीएआर) के अनुसार वैधानिक नियमों में निरंतर परिवर्तन/अपडेशन डाटा मानकों को प्रभावित करते हैं। अतः वैधानिक नियमों के निरंतर परिवर्तन के अनुसार डाटा अद्यतन की जरूरत होगी।

5. मानचित्रण के विभिन्न चरण

यूएएस/ड्रोन के माध्यम से मानचित्रण में निम्नलिखित चरण शामिल हैंः–

❖ ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट (जीसीपी) प्रावधान जिसमें जीसीपी की स्थापना और रिपोर्टिंग शामिल है।

❖ यूएवी विनिर्देशों, पेलोड/सेंसर प्रकार की योजना बनाना और उड़ान योजना तैयार करना।

❖ ड्रोन डाटा अधिग्रहण।

❖ ड्रोन डाटा प्रोसेसिंग।

- ❖ फीचर एक्सट्रैक्शन।
- ❖ ग्राउंड ट्रुथिंग/एट्रीब्यूट डाटा एकत्रीकरण।
- ❖ अंतिम मानचित्र तैयारी।

6. पायलट अध्ययन की शुरुआत

मंत्रालय के निर्देशानुसार नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन और सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा एक पायलट अध्ययन प्रारंभ किया गया है जिसमें विभिन्न भौगोलिक स्थिति वाले 10 शहरों के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का सुझाव दिया गया है। ये शहर 457 अमृत शहरों में से चयनित होंगे, जिसमें डिजाइन और मानकों का उपयोग करते हुए भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा 1:1000 स्केल पर पूरा ड्रोन मैपिंग किया जाएगा। तद्नुसार भौगोलिक स्थिति के अनुसार राज्य सरकारों के परामर्श से पहाड़ी, नदी, तटीय, मैदान और रेगिस्तान क्षेत्र में से 10 शहरों का चयन किया गया है। शहरों का विवरण नीचे दिया गया है:–

क्रम सं.	नगर का नाम	राज्य	चयन का औचित्य
1.	नंदयाल	आंध्र प्रदेश	नदी किनारे
2.	अयोध्या	उत्तर प्रदेश	नदी किनारे
3.	बर्शी	महाराष्ट्र	मैदान
4.	मिर्यालगुडा	तेलंगाना	मैदान
5.	नैनीताल	उत्तराखंड	पहाड़ी
6.	कुल्लू	हिमाचल प्रदेश	पहाड़ी
7.	बीकानेर	राजस्थान	रेगिस्तान
8.	भुज	गुजरात	रेगिस्तान
9.	कोझिकोड	केरल	तटीय
10.	पुरी	ओडिशा	तटीय

भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ मिलकर नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन इन शहरों के लिए एक व्यापक परियोजना प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया में है। आशा है कि ये परियोजनाएं शहरी नियोजन एवं प्रबंधन में यूएवी प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करेगी। इसकी सफलता पर्याप्त धन की उपलब्धता, भारतीय सर्वेक्षण विभाग एवं राज्य सरकारों की सहभागिता पर निर्भर है।

7. सुझाव एवं संस्तुतियां

आज भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार 7935 शहर हैं उनकी संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। इनमें लघु एवं मध्यम आकार के शहरों में हो रही समस्याओं एवं आने वाली चुनौतियों का निराकरण कदाचित् जमीनी यथार्थ को मानचित्रण द्वारा दर्शाकर एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित महायोजना तैयार कर संभव है। आवश्यकतानुसार अन्य श्रेणी में आने वाले शहरों/नगरों को भी भविष्य में इस योजना में सम्मिलित किया जा सकेगा एवं शहरों का विकास सुनियोजित तरीके से किया जा सकेगा। इसके प्रयोग से पारदर्शिता बढ़ेगी, त्रुटियां कम होंगी, मानचित्रण तथा महायोजनाओं की तैयारी में गति आएगी।

वास्तु, नियोजन और हिंदी भाषा के अंतर्सम्बन्ध

एच.बी. सिंह[1]

भारतवर्ष में 'वास्तु' एवं 'नियोजन' प्रागैतिहासिक काल से न सिर्फ अस्तित्व में रहा है अपितु इन विषयों में हमारी दक्षता के प्रमाण देश की सीमाओं के बाहर भी प्राप्त होते हैं, पर दुर्भाग्यवश हम विश्व को अपनी उपलब्धियाँ कभी समीचीन ढंग से समझा नहीं पाए। अपनी इस समृद्ध और गौरवशाली परम्परा को लिपिबद्ध न कर सकने के कारण, ज्ञान के इस क्षेत्र में हमारी विशिष्टताएँ और उपलब्धियाँ क्रमशः धूमिल होती चली गईं और आज विदेशी भाषाओं में लिखी पुस्तकों पर निर्भर होने के सिवाय हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। यह कितना त्रासद और विडम्बनामय है कि हम अपने देश के विकास का नियोजन और उससे सम्बन्धित शिक्षा–दीक्षा विदेशी भाषाओं में लिखी गई 'वास्तु' और 'नियोजन' की पुस्तकों के आधार पर कर रहे हैं। इस विसंगति का परिणाम यह हुआ है कि उपरोक्त विधाएँ हमारे जनजीवन और परिवेश से पूरी तरह कट गई हैं। मानवीय जीवन शैली और सामाजिक विकास से जुड़ी इन विधाओं के स्वस्थ विकास के लिए लोकसभा का प्रयोग अपरिहार्य है। आज 'वास्तु' के क्षेत्र में एक विरोधाभास यह भी देखा जा रहा है कि लोक शैलियों का प्रयोग बढ़ रहा है और लोकभाषा, वंचिता दासी की तरह उपेक्षित होती जा रही है। इसी दुरभिसंधि का परिणाम है कि आज 'वास्तु' इलीट वर्ग तक ही सीमित हो गया है। जब तक 'वास्तु' और 'नियोजन' में विदेशी भाषाओं का वर्चस्व बना रहेगा, न तो यह विधाएँ अपना विस्तार कर पाएंगी और न देश के विकास में अपनी भूमिका का निर्वाह ही।

वास्तु हमारी संस्कृति का एक अत्यन्त प्रभावशाली अंग है। दुर्भाग्यवश जिसे संस्कृति का वाहक और सूचक होना चाहिए आज वह परजीवी और परमुखापेक्षी हो गया है। सच तो यह है कि कला और संस्कृति के साथ रचनात्मक परिकल्पनाओं से सज्जित वास्तु जब तक लोकभाषाओं से वंचित रहेगा, कभी फल–फूल नहीं सकता। मेरी दृष्टि में 'वास्तु' और 'नियोजन' के वैज्ञानिक पक्ष के लिए हम भले ही विदेशी भाषाओं का आश्रय ले लें पर कला, संस्कृति और रचनात्मक परिकल्पनाओं के लिए हमें अपनी जड़ों की ओर लौटना ही होगा। इसके लिए 'वास्तु' और 'नियोजन' से सम्बन्धित पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण, संस्कृत की पुस्तकों का अनुवाद और शोधकार्य को प्रोत्साहित करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। उपरोक्त विषयों के प्राध्यापकों के लिए द्विभाषी होना अनिवार्य किया जाना चाहिए। समय–समय पर ऐसी कार्यशालाएं और रचनात्मक शिविरों का आयोजन उन क्षेत्रों में किया जाना चाहिए जहाँ की लोक–संस्कृति ने अपने आप को विदेशी प्रभाव से बचाए रखा है।

[1] सेवानिवृत्त प्रोफेसर योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली

लेखक की धारणा है कि जब तक हम अपनी संस्कृति और मातृभाषा के प्रति हीन भावना से मुक्त नहीं होते, इस दिशा में कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं कर पाएंगें। मन के बदलने से मनोविज्ञान बदलता है और मनोविज्ञान बदलने से सोचने समझने की दृष्टि और दिशा बदलती है। दृढ़ इच्छाशक्ति और पवित्र संकल्प से यह सहज संभव है, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है।

हमारे देश में वास्तु एवं नियोजन, ऐतिहासिक ही नहीं प्रागैतिहासिक है। पुरातन काल से ही इन विधाओं में हमारी दक्षता के प्रमाण, अपने देश में ही नहीं, भारतीय सीमाओं से बाहर भी हैं। पश्चिम में तक्षशिला, मोहन–जो–दारो, हड़प्पा से लेकर सुदूर पूर्व कम्बोडिया में अंगकोर–वॉट तक बिखरे भग्नावशेष इस बात की पुष्टि करते हैं। दुर्भाग्यवश इन विषयों के ज्ञान प्रतिपादन व उत्कर्ष में ऐतिहासिक कारणों से निरंतरता व क्रमबद्धता नहीं रह पायी। इन विधाओं की लड़ी बीच–बीच में कई बार टूटी व जुड़ी। वास्तु विषयक ज्ञान कुछ सीमित संख्या में उत्कृष्ट उदाहरणों के बारे में ही प्राप्त हैं। निर्माण व विकास विषयक लोक विधाओं का ज्ञान, जो जनसाधारण के बीच पनपा, बढ़ा, उनसे संबंधित व्यावसायिक साहित्य न प्राप्त होने से, एक बहुत बड़ी कमी रह गई है। जो हम अध्ययन, अध्यापन करने वाले सदैव ही अनुभव करते रहे हैं।

इस संबंध में जो विषय वस्तु प्राप्त है, वह विदेशी दृष्टिकोण से विदेशी भाषा में लिखी गई है, आयातित है और मुख्यतः अप्रासंगिक है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि अत्यंत समृद्ध परम्परा के बावजूद, आज हमारे पास जो वास्तु व नियोजन का आधुनिक वैचारिक मूल तत्व है, वह यहां का जन्मा, यहां पुष्पित नहीं है। भाषा भी हमारी नहीं हैं। न उसमें आत्मीयता है, न अपनी माटी की सुगंध। कदाचित इसीलिए, ये दोनों विधाएं अभी हमारे जनजीवन तक नहीं पहुँची हैं। अतः आवश्यकता है कि इन विधाओं के संपूर्ण परिवेश का अध्ययन, अध्यापन, विषय–वस्तु, व्यवसाय, आलेख, प्रलेख, शोध एवं प्रसार सभी का भारतीयकरण हो। मेरी धारणा है कि इस परिप्रेक्ष्य में, वास्तु एवं नियोजन पाठ्यक्रम में हिंदी माध्यम पर परिचर्चा अधिक अर्थपूर्ण होगी।

वास्तु एवं नियोजन पाठ्यक्रम हिंदी माध्यम में लाने के लिए, विषय–वस्तु, अध्ययन–अध्यापन प्रक्रिया, छात्र व प्राध्यापकों की समस्याएं तथा सामान्य परिस्थितियों पर विचार करना होगा। तत् संबंधी मेरे विचार परिचर्चा के लिए प्रस्तुत हैं:

1. वास्तु वह कलात्मक विज्ञान है जिससे मानवीय क्रिया–कलापों के लिए भौतिक परिवेश की संरचना की जाती है और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया को नियोजन कहते हैं। इन दोनों की परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि एक मानवीय जीवन शैली से संबंधित है तो दूसरा समाजिक विकास से। अतः इन दोनों को प्रभावी बनाने के लिए लोकभाषा–जनसाधारण की भाषा का प्रयोग आवश्यक है।

2. कुछ लोगों का मत है कि हिंदी में शब्द कम हैं, वह अंग्रेजी की तुलना में अक्षम व अशक्त है। मैं इस विषय में, 6 नवम्बर, 1994 के राष्ट्रीय सहारा में प्रकाशित वागीश शुक्ल के "निबंध संस्कृति ट्रेजिडी है और अप–संस्कृति कॉमेडी" का एक अंश उद्धृत

करता हूँ:–

"अंग्रेजी के आदियुगीन महाकवि चॉसर को शिकायत थी कि अंग्रेजी फ्रेंच, इटालियन और लैटिन के मुकाबले में इतनी दरिद्र है कि उसमें कुछ मिलाने के लिए शब्द ही नहीं मिलते और लैटिन के आदि युगीन महाकवि लूक्रेटियस, लैटिन की शब्द संपदा की दरिद्रता को लेकर चिंतित थे।"

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हिंदी का जो आधुनिक स्वरूप (खड़ी बोली) हमारे सामने है, वह विश्व की महान भाषाओं की तुलना में बहुत नई है। बहुत कम समय में जितनी उन्नति हिंदी ने की है, विश्व की किसी भाषा ने उतनी उन्नति नहीं की। अतः हिंदी की सामर्थ्य पर आशंका करना व्यर्थ है।

3. आजकल विकास के परिप्रेक्ष्य में भूमंडलीकरण व स्थानीकरण दो विरोधाभासी प्रक्रियाएं साथ–साथ चल रही हैं। शायद यह वर्तमान की आवश्यकता है। इसमें विदेशी व स्वदेशी का अपना–अपना महत्त्व है। 'विचार सार्वभौम या भूमंडलीय और कर्म स्थानीय'–यदि बहुराष्ट्रीय निगम आ रहे हैं तो स्थानीय संदर्भ व परिपाटी का भी बहुत चलन है। यदि वास्तु में अंतर्राष्ट्रीय शैली है तो स्थानीय लोकशैली भी कम महत्त्व की नहीं है, बल्कि आजकल स्थानीय लोकशैली अधिक महत्व की है–वही बात भाषा पर भी लागू होती है।

4. स्वतंत्रता के 73 वर्ष बाद भी भारत में आधुनिक आर्किटेक्चर व्यवसाय सम्भ्रांतों का, सम्भ्रांतों द्वारा, सम्भ्रांतों के लिए ही है। इसके पोषक व ग्राहक समाज के थोड़े से धनिक वर्ग तथा सरकारी व समृद्ध व्यवसायिक संस्थान हैं। साधारण जनजीवन तक वास्तु, अभी नहीं पहुंचा है। भारत में औसतन पढ़ा लिखा आदमी आर्किटेक्चर को एग्रीकल्चर जैसा कोई विषय 'आर्किटेक्चर' से अधिक नहीं समझता। वास्तु विद्यालयों की उपज की खपत समाज के धनिक वर्ग में ही होती है, जिनकी भाषा उनकी मातृभाषा नहीं बल्कि उनके सामाजिक स्तर की प्रतीक अंग्रेजी है। अतः बाजार में अपने व्यावसायिक सफलता के लिए आर्किटेक्चर को हिंदी से दूर ही रहना पड़ता है।

5. वास्तु संस्कृति का घोतक है और भाषा संस्कृति का उद्घोषक, अतः वास्तु और भाषा का आपस में अटूट संबंध है। यदि हमें निर्माण व विकास करना है तो भारतीय वास्तु को भारतीय संदर्भ में समृद्ध करना होगा, जनजीवन की भाषा अपनानी होगी–अन्यथा वास्तु व्यवसाय थोड़े से धनिक वर्गों की ऊँची अट्टालिकाओं में ही थमा रह जाएगा और वास्तविक लोकतांत्रिक व प्रगतिशील भारत निर्माण में हमारा योगदान नहीं हो पाएगा। इस तरह की समस्याएं, जो अब उभरने लगी हैं एवं और भी गाढ़ी होती जाएंगी।

6. वास्तु पाठ्यक्रम में मुख्यतः 3 धाराओं का समावेश हैंः–क. कला व संस्कृति संबंधी विषय ख. रचनात्मक परिकल्पना ग. विज्ञान व तकनीकी विषय। इनमें से पहली–दो धाराओं का उद्‌गम हमारी अपनी समृद्ध परम्परा व सांस्कृतिक धरोहर से है। अतः ये विषय हिंदी में अधिक से अधिक प्रभावी रूप से पढ़े व पढ़ाए जा सकते हैं। केवल वैज्ञानिक व तकनीकी विषय में थोड़ी कठिनाई हो सकती है जिसको नियोजित करके मातृभाषा में पढ़ाया जा सकता है।

7. पठन पाठन के अतिरिक्त, इन पाठ्यक्रमों में जमीनी ज्ञान का विशेष महत्व है। इन व्यावसायिक विषयों को जीवन की वास्तविकताओं तथा यथार्थ से जोड़ने के लिए यह अभ्यास आवश्यक है और प्रभावी जन–सम्पर्क के लिए स्थानीय भाषा। अतः लोकभाषा का ज्ञान इस व्यवसाय में बहुत महत्व का है। लोगों से उनकी भाषा में बातचीत करने से ही वस्तुस्थिति समझ में आती है और तभी इन विषयों का व्यावसायिक ज्ञान सार्थक है।

8. नियोजन, वास्तु जैसा व्यक्ति विशेष या संस्था विशेष के लिए न होकर, लोकहित में होता है। इसका लक्ष्य समूह या समाज होता है। संविधान के नए संशोधनों के अनुसार, मूलस्तर पर रहने वाले, कस्बों व गांव के जनसाधारण, नियोजन के विशेष लक्ष्य हैं। अब नियोजन प्रक्रिया में उनकी भागीदारी, संवैधानिक रूप से आवश्यक है। नियोजक का कर्त्तव्य है कि वह इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उनकी सहायता करें, उनकी समस्या समझे। यह सहायता व समझ हिंदी ज्ञान से ही अर्थपूर्ण व प्रभावी हो सकती है।

9. अंग्रेजी में लिखित नियोजन शब्दावली में, सामान्य शब्द तकनीकी अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। जैसे–लैण्डयूज, सेटेलमेंट, रीजन, डेवलपमेंट आदि। हिंदी में अभी इन शब्दों का मानकीकरण नहीं हुआ है जिसके कारण उनके तकनीकी अर्थ समझने में दुविधा हो जाती है। प्रशासनिक शब्दावली की तरह एक मानक शब्दावली बन जाने पर यह समस्या सुलझ जाएगी।

10. वास्तु एवं नगर नियोजन पाठ्यक्रम की सारी पुस्तकें अंग्रेजी में, विदेशियों द्वारा लिखित हैं। स्पष्ट है कि भारतीय वास्तु विषय ज्ञान भी हमें विदेशी दृष्टिकोण से विदेशी भाषा में मिलता है। बहुत ही थोड़ी पुस्तकें भारतीय लेखकों द्वारा लिखित है, पर उनमें भी मौलिक शोध की अनुपस्थिति में, परोसा गया दृष्टिकोण पराया ही है क्योंकि संदर्भ अंग्रेजी पुस्तकों से ही लिया गया है। अतः पाठ्यक्रम हिंदी में करने की दिशा में निम्नलिखित प्रयास होने चाहिएंः–

क. वास्तु एवं नियोजन की प्राचीन संस्कृत पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद।

ख. ज्ञान की टूटी श्रृंखला जोड़ने के लिए व लोक वास्तु व नियोजन के विषय में और जानकारी के लिए शोध कार्य को प्रोत्साहन।

ग. हिंदी पत्र–पत्रिकाओं में वास्तु व नियोजन संबंधी सामयिक साहित्य सृजन व नई पुस्तकें लिखने के लिए प्रोत्साहन।

11. इन विषयों के प्राध्यापकों के मुख्यतः तीन उत्तरदायित्व हैं। प्रथम–अध्यापन, द्वितीय–व्यवसाय से संबद्ध रहना, क्योंकि तभी व्यावसायिक अध्यापन सम्भव है, और तृतीय–वास्तु व नियोजन ज्ञान के भंडार को बढ़ाने में व उसके भारतीयकरण में योगदान देना। हमारे सहयोगी प्राध्यापक पहले दो उत्तरदायित्व तो भली–भाँति निभा रहे हैं पर व्यवसाय में अधिक समय लगाने के कारण इन विषयों की बढ़ोत्तरी के लिए लेखन कार्य नहीं कर पाते। इसके लिए समुचित प्रोत्साहन आवश्यक है।

12. हिंदी माध्यम को दृष्टि में रखकर हम प्राध्यापकों की समस्या जानने का प्रयत्न करें, तो हम पाएंगे किः–(क) कुछ प्राध्यापक जिनको हिंदी का ज्ञान नहीं, उनकी तो वास्तविक समस्या है पर (ख) ऐसे भी है जो हिंदी ज्ञान के बावजूद हीन भावना के कारण हिंदी नहीं बोलना चाहते, और (ग) जो तटस्थ हैं वे कभी इस विषय को गम्भीरतापूर्वक सोचते ही नहीं। इसमें प्रथम व तीसरी समस्या का समाधान तो सुगम है, पर दूसरी समस्या जानते हुए भी न बोलना मनोवैज्ञानिक समस्या है, इसमें बाह्य प्रयत्नों से कुछ नहीं होने वाला।

13. योजना तथा वास्तु विद्यालय, नई दिल्ली में देश के काने–कोने से ही नहीं, विदेश से भी छात्र आते हैं। अतः मुख्य माध्यम तो अंग्रेजी ही होना चाहिए, पर दूसरी ओर हिंदी भाषी प्रदेश, विशेषकर उत्तरी भारत से आये छात्रों को अंग्रेजी माध्यम होने से कठिनाई होती है। अतः विकल्प रूप से हिंदी माध्यम का प्रावधान इस समस्या का समाधान हो सकता है।

14. हिंदी माध्यम के विकल्प को प्रभावकारी बनाने के लिए या तो हर कक्षा को दो वर्गों में विभाजित करें या द्विभाषी प्राध्यापक रखें जाएं या उन्हें द्विभाषी बनाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए। इन सब कार्यों के लिए वास्तु व नियोजन विद्यालयों में अलग से हिंदी संबंधी एकांश स्वीकृत होने चाहिएं। इस संबंध में सरकार को स्पष्ट नीतिनिर्धारण करना होगा।

अन्ततः यह मेरी धारणा है कि हमें अपनी मनःस्थिति व मनोविज्ञान बदलना चाहिए, जब हम अपनी संस्कृति को हीन नहीं समझते, उससे गौरवान्वित होते हैं तो हिंदी के प्रति भी वैसी ही भावना रखनी चाहिए। इस दिशा में सफलता के लिए कुछ सरकार को, कुछ समाज को और कुछ हमें प्रयत्नशील होना ही पड़ेगा।

भूमंडलीकरण, आर्थिक विकास एवं शहरीकरण के उभरते आयाम

अजय कुमार

आज का दौर भूमंडलीकरण, औद्योगिकीकरण, विज्ञान व आर्थिक विकास का है। जैसे–जैसे आर्थिक विकास की गति बढ़ी है, वैसे–वैसे लोगों का रुझान गाँव के नीरस जीवन से शहरों की चकाचौंध व तड़क–भड़क वाली जिंदगी की तरफ तेजी से दिखा है। आज हर व्यक्ति बेहतर सुख–सुविधाओं की चाह रखता है, रोजगार और आजीविका की खोज में व्यक्ति जिस गति से शहरों की ओर पलायन कर रहा है, वह अपने–आप में एक चिंता का विषय है। साल दर साल लाखों की संख्या में लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। जिसमें चाहे अच्छी एवं गुणवत्तायुक्त शिक्षा की बात हो या फिर रोजगार के बेहतर अवसरों की तलाश हो, हर कोई ज्यादा से ज्यादा सुख–सुविधाओं की लालसा में आए दिन ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर शहरों की तरफ पलायन कर रहा है।

अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर निवास करना पलायन कहलाता है। पलायन कई रूपों में देखा जा सकता है जैसे एक ग्राम से दूसरे ग्राम में, ग्राम से नगर, नगर से महानगर और महानगरों से भी छोटे कस्बों व ग्रामों की ओर। भारत में गाँव से शहरों की ओर पलायन की प्रवृत्ति ज्यादा है। एक तरफ जहाँ शहरी चकाचौंध, उद्योगों, कार्यालयों तथा विभिन्न प्रतिष्ठानों में रोजगार के अवसर, परिवहन के साधन, शिक्षा केन्द्र, स्वास्थ्य सुविधाओं ने ग्राम के युवकों व महिलाओं को आकर्षित किया है। वहीं ग्राम में पाई जाने वाली रोजगार की अनिश्चितता, उचित शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव ने लोगों को पलायन के लिए मजबूर किया है।

जनगणना 2011 के अनुसार हमारे देश की कुल जनसंख्या 121.02 करोड़ थी जिसमें 68.84 प्रतिशत ग्रामों में और 31.16 प्रतिशत जनसंख्या शहरों में निवास करती है। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 में ग्रामीण एवं शहरी आबादी का अनुपात 83 प्रतिशत एवं 17 प्रतिशत था। 50 वर्ष बाद 2001 की जनगणना में ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 74 एवं 26 प्रतिशत हो गया। इन ऑकड़ों के देखने पर स्पष्ट परिलक्षित होता है कि भारतीय ग्रामीण लोगों का शहरों की ओर पलायन तेजी से बढ़ रहा है।

शहरों की ओर पलायन से जहाँ गाँव खाली हो रहे हैं और कृषि आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, वहीं शहरी ढाँचा भी चरमरा रहा है। सवाल उठता है कि यह पलायन क्यों हो रहा है तथा इसे कैसे रोका जा सकता है? भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार "शहरों को ग्रामों में ले जाकर ही ग्रामीण पलायन पर रोक लगाई जा सकती है।"

ग्रामों में शहरों की तुलना में 5 प्रतिशत आधारभूत सुविधाएँ भी उपलब्ध नहीं हैं। रोजगार और शिक्षा जैसी आवश्यकताओं की कमी के अलावा गाँवों में आवास, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था का अभाव, सड़क, बिजली, चिकित्सा, संचार, पानी एवं स्वच्छता जैसी अनेक सुविधाएं या तो होती ही नहीं और यदि होती हैं तो बहुत कम। इस प्रकार से गाँवों से शहरों की ओर पलायन के निम्न कारण हैं:–

ग्रामों में मौलिक आवश्कताओं की कमी पलायन का एक बड़ा कारण है। गाँवों में स्वास्थ्य, बिजली, आवास, सड़क, परिवहन जैसी अनेक सुविधाएं शहरों की तुलना में बहुत कम हैं। इन बुनियादी कमियों के साथ–साथ गाँवों में भेदभावपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के कारण शोषण और उत्पीड़न से तंग आकार भी बहुत से लोग शहरों का रुख कर लेते हैं।

उचित शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थानों का अभाव पाया जाना ग्रामीण जीवन का एक बहुत बड़ा नकारात्मक पहलू है। ग्रामों में न तो अच्छे विद्यालय ही होते हैं और न ही वहाँ पर ग्रामीण बच्चों को आगे बढ़ने के अवसर मिल पाते हैं। शिक्षित होने के बाद रोजगार भी अधिकतर शहरों में ही मिलते हैं। इस कारण ग्रामीण माता–पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने एवं रोजगार प्राप्ति के लिए शहरों की ओर पलायन करते हैं।

स्वास्थ्य सुविधाएं शहरों तक सीमित हैं इसलिए चिकित्सक ग्रामों में ड्यूटी पर नहीं जाना चाहते हैं। अंततः ग्रामीण अपना किराया खर्च कर दूर शहर में इलाज कराने पहुँचते हैं, यह भी पलायन का एक कारण है। अब सवाल उठता है कि गाँवों से होने वाले पलायन को रोका कैसे जाए?

ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं जिसमें, परिवहन सुविधा, सड़क, चिकित्सालय, शिक्षण संस्थाएं, विद्युत आपूर्ति, पेयजल सुविधा, कृषि, सिंचाई की सुविधा तथा रोजगार हेतु परंपरागत उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना एवं सुरक्षा हेतु कानून–व्यवस्था को दुरूस्त करने की आवश्यकता है। लोग असुरक्षित महसूस कर भी ग्राम छोड़ रहे हैं।

ग्राम के समग्र विकास के लिए अधिकाधिक धनराशि प्रदान कर वहाँ के लघु एवं कुटीर उद्योगों को पुनर्जीवित किया जाए। वहाँ जिस वस्तु का कच्चा उत्पादन अधिक मात्रा में होता हो वहाँ वैसे ही उद्योग छोटी मिलों व कारखानों के रूप में विकसित किए जाएं। इससे गाँवों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। ग्राम में परंपरागत उद्योगों की तरफ ध्यान देना भी बहुत आवश्यक है क्योंकि आधुनिकीकरण के कारण ये उद्योग खत्म हो रहे हैं। आज इन उद्योगों को फिर से जीवित करने की जरूरत है। पशुपालन को बढ़ावा देना, वन संरक्षण करना आज की माँग है। बांस, बेंत से बनी वस्तुएं, मिट्टी के कुल्हड़, दोने–पत्तल पुनः शुरू करने चाहिएं, ये स्वास्थ्य के लिए तो ठीक ही हैं साथ ही पर्यावरण को भी रबड़ व सिंथेटिक्स से बनी चीजों से निजात मिलेगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में परम्परागत कृषि के स्थान पर पूँजी आधारित व अधिक आय प्रदान करने वाली/नकदी फसलों को प्रोत्साहन दिया जाए जिससे किसानों के साथ–साथ सीमांत किसानों और मजदूरों को भी ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके।

सिंचाई सुविधा, जल प्रबन्ध इत्यादि के माध्यम से कृषि भूमि क्षेत्र का विस्तार किया जाए जिससे न केवल उत्पादन में वृद्धि होगी साथ ही आय में भी वृद्धि होगी और किसानों में आत्मविश्वास व स्वाभिमान जागृत होगा तथा पशुपालन भी बढ़ेगा यह किसान की छिपी बेरोजगारी को कम करता है। जिससे ग्रामीण पलायन रुकेगा। मिट्टी के बर्तन, पत्तल, टोकरे, चटाई, गोंद, शहद, मछलीपालन, मोमबत्ती, खादी उद्योग, ईंट उद्योग तथा दुग्धपालन को बढ़ावा देने की और अधिक जरूरत है।

केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना 2 फरवरी, 2006 को देश के 200 जिलों में शुरू की गई। दूसरे चरण में 130 जिलों में एवं तीसरे चरण में 1 अप्रैल, 2008 को देश के शेष 265 जिलों में मनरेगा कार्यक्रम चलाया गया जिससे ग्रामीणों को रोजगार के अवसर सृजित हुए और गांवों से पलायन भी रुका है।

हमारे देश की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत निरंतर घट रहा है। आज देश को विकसित देशों की श्रेणी में लाने के लिए गाँवों में बुनियादी विकास की मूल आवश्यकता है। गाँवों में शहरों जैसी सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी। देश में व्याप्त विभिन्न कुरीतियों को समूल नष्ट करना होगा तथा हर जगह शिक्षा की अलख जगानी होगी। शिक्षा के माध्यम से ही ग्रामीण जनता में जनचेतना का उदय होगा तथा वे विकास की मुख्यधारा से जुड़ सकेंगे जिससे ग्रामीण पलायन रुकेगा।

ऊर्जा संरक्षण का महत्व

नरेंद्र पाल

भारत एक विकाशसील देश है। इसलिए भारत में ऊर्जा संरक्षण का महत्व और भी बढ़ जाता है। ऊर्जा की बचत करना ऊर्जा संरक्षण में अहम योगदान देता है। हमें ऊर्जा की खपत कम करनी चाहिए तथा देश की प्रगति में अपना योगदान करना चाहिए। भारत ऊर्जा तथा ईंधन उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है। ईंधन की कुल खपत का लगभग 20 प्रतिशत ही भारत में उत्पादन होता है। शेष 80 प्रतिशत हमें आयात करना पड़ता है। जिसमें हमारे विदेशी मुद्रा भंडार का बड़ा हिस्सा व्यय हो जाता है। यदि हम कम ईंधन और ऊर्जा खर्च करेंगे तो हम बहुत सी विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं तथा उस धन से अन्य आवश्यक वस्तुएं आयात कर सकते हैं तथा बचे हुए धन को विकास कार्यो मे लगा सकते हैं।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी भी देश की ऊर्जा की अधिक खपत उसकी औद्योगिक प्रगति, आर्थिक व सामाजिक उत्थान, जीवनयापन की गुणवत्ता, मानव कल्याण का मापदंड मानी जाती है। विभिन्न देशों में ऊर्जा खपत की दर में निरंतर वृद्धि हो रही है। जिससे विश्व में ऊर्जा भंडार दिन प्रतिदिन घटता ही जा रहा है। इसलिए विश्व ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रहा है। ऊर्जा स्रोतों के निरंतर दोहन से पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या निरंतर बढ़ रही है। यदि ऊर्जा के सभी स्रोत समाप्त हो गए तो विश्व में सभी विकास कार्यक्रम बंद करने पड़ेंगे। अतः ऊर्जा संकट से निपटने के लिए हमें परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का संरक्षण अर्थात् ऊर्जा की खपत को कम करना तथा वैकल्पिक एवं नवीनीकरण योग्य ऊर्जा स्रोतों के विकास और प्रयोग पर बल देना चाहिए।

भारत में कोयला और पेट्रोलियम उत्पाद ईंधन के प्रमुख स्रोत हैं। इनकी खपत में लगातार वृद्धि हो रही है। भारत में पेट्रोलियम उत्पादों को संरक्षित करने के लिए अन्य विकल्पों पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री शुरू की गई है। हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में प्रयोग करने का प्रयास जारी है। पेट्रोलियम उत्पादों को संरक्षित करने के लिए जैव–ईंधन, वनस्पति तेल आदि का इस्तेमाल किया जा सकता है।

हम निम्नलिखित उपायों से ऊर्जा संरक्षण में योगदान कर सकते हैं:–

- बल्ब व ट्यूबलाइट पर जमीं धूल को नियमित रूप से साफ करते रहें।
- पंखों के ब्लेड नियमित रूप से साफ करें और समय समय पर ग्रीसिंग आयलिंग करें।

पुराने किस्म के रेगुलेटर के स्थान पर नए किस्म के इलेक्ट्रानिक्स रेगुलेटर लगाएं।

- फ्रिज का दरवाजा बार–बार न खोलें एवं उसे दीवार से सटाकर न रखें।
- टी.वी., म्यूजिक सिस्टम और टेपरिकार्ड आदि को स्टेंड बाई मोड पर न रखें।
- वाशिंग मशीन में धुलाई के लिए गरम पानी का इस्तेमाल कर विद्युत उर्जा की बचत की जा सकती है।
- पानी की टंकियों एवं गीजर के लिए टाइमर का उपयोग करें।
- बल्ब के स्थान पर सी.एफ.एल का प्रयोग करें।
- आई.एस.आई. चिह्नित विद्युत उपकरणों का इस्तेमाल करें।
- शादी विवाह जैसे सामाजिक और धार्मिक आयोजन यथासंभव दिन में करें।
- दिन में सूर्य के प्रकाश का अधिकतम उपयोग करें तथा गैर जरुरी पंखे, लाईट, ए.सी. इत्यादि उपकरणों को बंद रखें।
- कार्यालय में कक्ष से बाहर जाते समय बिजली के उपकरण बंद करें।
- आवासीय परिसरों में लगी स्ट्रीट लाइटों के लिए फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल स्विच का उपयोग करें।
- भवनों के निर्माण के दौरान प्लाट के चारों तरफ उपलब्ध भाग को वृक्षों व लताओं से आच्छादित करके हम भवनों को गर्म होने से बचा सकते हैं जिससे भवनों में रहने वालो को सीलिंग फैन और कूलर इत्यादि का कम से कम उपयोग करना पड़े।
- कमरे की दीवार की भीतरी सतह पर हल्के रंगों का प्रयोग करने से कम वाट के प्रकाश उपकरणों से भी कमरे को प्रकाशमान किया जा सकता है।
- कार्यालय भवनों की छत पर सौर उर्जा के उपकरण लगाकर भी बिजली प्राप्त की जा सकती है।
- घरों मे सोलर पावर गोबर गैस का इस्तेमाल करना चाहिए। खाना बनाने हेतु बिजली के स्थान पर सोलर कुकर व पानी गर्म करने हेतु गीजर के स्थान पर सोलर वाटर हीटर का उपयोग कर हम बहुमूल्य विद्युत उर्जा का संरक्षण कर राष्ट्रहित में भागीदार बन सकते हैं।

भारत में जनसंख्या : समस्या एवं समाधान

राम सिंह राठौड़

जनसंख्या किसी भी राष्ट्र के लिए अमूल्य पूंजी होती है, जो वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन करती है, वितरण करती है और उपभोग भी करती है। जनसंख्या देश के आर्थिक विकास का संवर्धन करती है। इसीलिए जनसंख्या को किसी देश के साधन और साध्य का दर्जा दिया जाता है। लेकिन अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती है। फिर चाहे वह अति जनसंख्या की ही क्यों न हो? वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि इसी सच्चाई का उदाहरण है।

भारत में जनसंख्या वृद्धि का सामान्य क्रम यह है कि हर पीढ़ी से वह दुगुनी होती रहती है। इस क्रम में आजादी के समय भारत की आबादी 1950–51 में 36 करोड़ थी जो 2011 में बढ़कर 121 करोड़ हो गई है व 2028 तक भारत चीन को पीछे छोड़ कर पहले स्थान पर पहुंच जाएगा। भारत में इस बढ़ी हुई आबादी का 2030 में क्या परिणाम होगा, इसका अनुमान लगाएं तो स्थिति चौकाने वाली और डरावनी होगी। जनसंख्या वृद्धि के कारण पूरे देश की दो तिहाई शहरी आबादी को 2030 में शुद्ध पेय जल नसीब नहीं होगा। वर्तमान में पानी की प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति उपलब्धता जहां 1525 घन मीटर है, वहीं 2025 में यह उपलब्धता मात्र 1060 घन मीटर होगी। वर्तमान में प्रति दस हजार व्यक्तियों पर तीन चिकित्सक तथा 10 बिस्तर हैं, 2030 में उनके बारे में सोचना भी मुश्किल होगा।

भारत की जनसंख्या वृद्धि के लिए जिम्मेदार राज्यों में आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल देश की कुल आबादी का 14 प्रतिशत योगदान करते हैं तो वही महाराष्ट्र, गुजरात इसमें 11 प्रतिशत की वृद्धि करते हैं। जनसंख्या वृद्धि के बोझ का ही यह परिणाम है कि एक तरफ जहां हमारी जमीन उर्वरकों के कारण अनुपजाऊ होती जा रही है, वहीं दूसरी ओर पैदावार कम होने के कारण लोग आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। चार दशक पीछे देखें तो देश में गरीबी का प्रतिशत आधा रह गया है। सिर्फ शहरी आबादी का ही यह आकड़ा 62 रुपये प्रतिदिन है। जनसंख्या वृद्धि का ही परिणाम है कि देश में शहरी आबादी के साथ ही साथ मलिन बस्तियों की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। देश की कुल आबादी का 1.3 भाग झुग्गी, झोंपड़ी में रहती है अर्थात मुंबई में 1.63 लाख, दिल्ली में 1.18 लाख तथा कोलकता में 1.49 लाख लोग मलिन बस्तियों में निवास करते हैं।

आज का समाज भौतिक क्षेत्र में विकास कर रहा है जीवन क्रम द्रुतगति से बदलता जा रहा है। प्राकृतिक संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग हो रहा है फिर भी जनसंख्या का संतुलन और उस पर नियन्त्रण नहीं हो पा रहा है। अर्थशास्त्र के नियमानुसार, जीवन स्तर के निम्न होने पर जनसंख्या बढ़ती है। भारत शायद इसी का शिकार बना हुआ है।

वैज्ञानिक प्रगति के कारण पूंजीवादी अथवा साम्राज्यवादी आधिपत्य मानव–श्रम को दिन प्रतिदिन उपेक्षित करता जा रहा है। भारत में संतानोत्पादन को ईश्वर की देन माना जाता है। लेकिन, अब स्थिति बदल रही है। शिक्षा के विकास के कारण माता के आरोग्य तथा सौंदर्य की रक्षा के लिये भी परिवार नियोजन पर जोर दिया जाता है। जनसंख्या रूपी जन–बल से सरकार अपनी निर्माण योजनाए पूरी कर सकती है तथा परिश्रमशील प्रजा के माध्यम से राष्ट्रीय व्यय को कम किया जा सकता है।

समाधान

जनसंख्या नियन्त्रण एक संवेदनशील सामाजिक मुद्दा है। भारत ही वह एकमात्र देश है जहाँ 21वीं सदी में भी बच्चों का जन्म भगवान की देन माना जाता है। पढ़े–लिखे लोग भी यह समझने को तैयार नहीं हैं कि जनसंख्या वृद्धि स्वयं के हाथों में है जिसे हम चाहे तो रोक सकते हैं। गाँवों में ऐसे लोगों को देखा जा सकता है जो यह तर्क देते मिल जायेंगे कि जितने हाथ होंगे उतना काम होगा। यह देश का दुर्भाग्य है कि हम सब यह सोच नहीं पाते कि दो हाथों के साथ–साथ एक पेट भी होता है जिसकी अपनी जरुरत होती है। लोगों का मानना है कि मृत्यु दर कम हो गई है, जीवन प्रत्याशा बढ़ गई है, प्रजनन व स्वास्थ्य सेवाएं पहले से बेहतर हैं।

जनसंख्या वृद्धि की गति से मानव की आवश्यकताओं और संसाधनों की पूर्ति करना असंभव होता जा रहा है। इसमें जीवन मूल्यों में गिरावट आ रही है। अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब। अमीर–गरीब के बीच की खाई गहराती जा रही है। पर्यावरण को प्रदूषित करने में भी जनसंख्या एक प्रमुख कारण है। इन सारी बातों पर गौर करें तो यही निष्कर्ष निकलता है कि जनसंख्या पर नियन्त्रण युद्ध स्तर पर करना होगा।

जनसंख्या वृद्धि की रोकथाम के लिए केवल प्रशासनिक स्तर पर ही नहीं अपितु सामाजिक, धार्मिक एवं व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास आवश्यक हैं। सभी स्तरों पर इसकी रोकथाम के लिए जनमानस के प्रति जाग्रति अभियान छेड़ा जाना चाहिए। देश के स्वर्णिम भविष्य के लिए हमें कुछ ऐसे निर्णय भी लेने चाहिएं जो वर्तमान में भले ही अरुचिकर लगें, परन्तु दूरगामी परिणाम अवश्य ही सुखद हों।

ग्रामोत्थान एवं भारत का विकास

रेजीना टोप्पो

भारत कृषि–प्रधान देश है। देश की अधिकांश जनसंख्या कृषि–कार्य में कार्यरत है। यह जनसंख्या छोटे–छोटे ग्रामों में निवास करती है। भारत में कृषि–कार्य अधिकतर परम्परागत तरीके से होने के कारण ग्रामों की आजीविका भी निम्न स्तर की है। गांधी जी कहा करते थे कि 'भारत गाँवों में बसता है।' यह पूर्णतया सत्य है।

गाँव भारतीय सभ्यता के प्रतीक हैं। भोजन व नित्यप्रति की अन्य आवश्यकताएं ग्राम ही पूर्ण करते हैं। कारखानों के लिए कच्चा माल भी इन्हीं गाँवों से आता है। भारत का औद्योगिक रूप ग्रामीण कृषकों पर ही निर्भर है। देश की संपदा इन्हीं में निवास करती है। वस्तुतः भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार भारतीय कृषक हैं। स्पष्ट है कि हमारी संपन्नता या विपन्नता ग्रामों पर ही निर्भर है। गाँव यदि सुखी व समृद्ध होंगे तो देश भी समृद्ध होगा। हमारे गाँव यदि हीन दशा में होंगे तो देश भी दीन–हीन एवं सब प्रकार से जर्जर होगा। हमारे आर्थिक जीवन की उन्नति के लिए ग्रामों की उन्नति परम आवश्यक है।

ग्रामों की वर्तमान स्थिति

'ग्राम' शब्द सुनते ही हमारी आँखों के सामने एक चित्र–सा खिंच जाता है। लहलहाते खेत, जल से पूर्ण तालाब, सरल निश्पाप ग्रामीण कृषक, वहाँ का सरल–सौम्य जीवन एवं चारों ओर बिखरा प्रकृति का वैभव आँखों के सामने दौड़ जाता है। संभव है कि कभी हमारे गाँव ऐसे ही रहे हों। ग्रामों की हमने उपेक्षा कर दी है और हम शहरों के कृत्रिम जीवन को अपना रहे हैं और हमारा ध्यान उन्हीं की उन्नति की ओर है। शहरी जीवन हर प्रकार से सुखी और समृद्ध है। परंतु ग्रामों की ओर हमारी सरकार ने यथोचित ध्यान नहीं दिया। फलस्वरूप भारतीय संस्कृति के प्रतीक, प्रकृति की सुषमा के अधिकारी ये ग्राम आज भी दीन–हीन और विपन्न दशा में हैं।

ग्रामीण जीवन की दयनीय दशा

किसी भारतीय गाँव को देखिए तो धूल–भरी सड़कें हैं, जिन पर कूड़ा–करकट और

नालियों का गंदा पानी फैला रहता है। कहीं नालियां होती भी हैं, तो कच्ची, जो कभी साफ नहीं होतीं। वहाँ सड़कों पर रोशनी का प्रबंध नहीं होता। कच्चे–पक्के कुँओं और गंदे पानी से भरे कच्चे तालाब ही वहाँ पानी के स्रोत हैं। स्कूल और कालेज तो दूर, वहाँ प्राथमिक पाठशालाएं नहीं हैं। इधर–उधर गड्ढों में पानी सड़ता रहता है। टूटे–फूटे और गंदे मकान होते हैं, जिनमें परिवार भी रहता है और पशु भी। किसानों के पास व पर्याप्त अन्न होता है, न कपड़ा। उनके ऊपर सदैव ऋण का बोझ बना रहता है। सरकार की नीति एवं परिस्थितियों के कारण ग्रामीण उद्योग–धंधे नष्ट हो गए हैं, अतः वहाँ गरीबी का भीषण रूप देखने को मिलता है।

ग्रामोत्थान के सुझाव

देश की समृद्धि के लिए ग्रामोत्थान आवश्यक है और वैसे तो भारत के गाँवों की उन्नति का अर्थ है भारत की तीन–चौथाई से भी अधिक जनसंख्या की उन्नति और इसका अर्थ है देश की उन्नति। अतः यह आवश्यक है कि गॉवों की ओर ध्यान दिया जाए।

कृषि पर आधारित उद्योगों को गाँव व नजदीक के छोटे शहरों में स्थापित किये जायें ताकि महानगरों की ओर पलायन कम हो। गोबर गैस व सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना चाहिए जिससे बिजली आसानी से व सस्ती उपलब्ध हो सके। कृषि क्षेत्र में अधिक जागरूकता आए जिससे उनको उत्पादन का सही मूल्य प्राप्त हो सके। हमारे गांवों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। वहाँ स्वच्छता का विशेष प्रबंध होना चाहिए। सरकार को उनकी चिकित्सा एवं मनोरंजन की ओर भी ध्यान देना चाहिए। गाँवों में बिजली, गुणवत्तायुक्त शिक्षा, सुरक्षा एवं रोजगारपरक शिक्षण–प्रशिक्षण केंद्रों का विकास जरूरी है।

ग्राम पंचायत स्तर पर सरकारी कार्यक्रम हों जो समय–समय पर खाद, बीज, कीटनाशक दवाई, गरीबों को मिलने वाली सब्सिडी उचित समय पर मुहैया हो सके और पशुपालन व सिंचाई के विकास की योजनाओं का लाभ भी वे लोग वहीं उठा सकें जिससे उनके रोजगार में वृद्धि हो सके।

हर्ष का विषय है कि हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामों का पूरा ध्यान रखा गया है। बहुत से गाँवों में सड़कें बन रही हैं, विद्युत की व्यवस्था की जा रही है, शिक्षा का भी प्रचार हो रहा है। कृषकों को बीज और खाद ऋण के रूप में दिए जा रहे हैं। आशा की जा सकती है कि सरकार और समाज के प्रयास से हमारे ग्राम भारतीय संस्कृति के प्रतीक बनकर भारत को संपन्न करेंगे।

यूरिस प्रभाग : एक झलक

विपिन कुमार

शहरी और क्षेत्रीय सूचना प्रणाली (यूरिस) प्रभाग नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन (टीसीपीओ) का एक महत्वपूर्ण प्रभाग है।

यूरिस प्रभाग के अंतर्गत कई बड़ी परियोजनाएं जैसे कि शहरी मानचित्रण परियोजना और एनयूआईएस योजना, इत्यादि आती हैं।

यूरिस के विकास की जरूरत औपचारिक रूप से सत्तर के दशक में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य नगर नियोजकों के वार्षिक सम्मेलन में एक व्यापक ढंग से व्यक्त की गई थी। आंकड़ा जरूरतों की पहचान करने के तरीके और इस प्रणाली को लागू करने के सुझाव देने के लिए 1979 में एक संचालन समिति की स्थापना की गई थी। इस समिति ने दो रिपोर्ट, शहरी और क्षेत्रीय सूचना प्रणाली को प्रस्तुत कीं और इन रिपोर्टों के आधार पर, प्रणाली विश्लेषण पर दो पायलट अध्ययन किए गए। टीसीपीओ द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता और तकनीकी मार्गदर्शन से तथा संबंधित राज्य नगर नियोजन विभागों की मदद से आनंद (गुजरात) और चंगलपट्टु (तमिलनाडु) पर आधारित दो शुरुआती अध्ययन किए गए। टीसीपीओ ने यूरिस पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा सेमिनार का आयोजन किया। शहरी और क्षेत्रीय सूचना प्रणाली के विकास के लिए 1977 में संयुक्त राष्ट्र के परामर्शदाता श्री कोएनर और 1985 में डॉ कार्टराईट ने अध्ययन दौरे किए थे।

राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग (एनसीयू) ने भी यूरिस के विकास के लिए बहुत सी सिफारिशें की और मामले के अध्ययन, अनुसंधान कार्यक्रमों, समन्वय और शहरी पर्यावरण की निगरानी के लिए आवश्यक डेटाबेस के सृजन से इसके कार्यान्वयन के लिए रणनीति का सुझाव दिया। इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए टीसीपीओ ने यूरिस के विकास के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर एक व्यापक प्रस्ताव बनाया। टीसीपीओ के यूरिस के द्वारा किए गए कार्यो को देखकर, तब आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने टीसीपीओ में राष्ट्रीय शहरी वेधशाला की स्थापना करने का फैसला किया।

योजना आयोग की सिफारिश पर, शहरी विकास मंत्रालय ने मार्च 2006 में 152 शहरों का

जीआईएस डेटाबेस विकसित करने के लिए राष्ट्रीय शहरी सूचना प्रणाली (एनआईएस) योजना का शुभारंभ किया जिसमें दो स्तरों यानि 1:10000 (उपग्रह चित्रों के द्वारा) तथा 1:2000 (एरियल फोटोग्राफी के द्वारा) पर देश में जीआईएस डेटाबेस तैयार किया जाना था। टीसीपीओ को राष्ट्रीय शहरी सूचना प्रणाली (एनयूआईएस) योजना लागू करने वाली और समन्वय एजेंसी के रूप में नामित किया गया था।

वर्तमान में, यूरिस प्रभाग को 457 शहरों के लिए जीआईएस आधारित मास्टर प्लान तैयार करने का कार्य सौंपा गया है और उनके लिए दिशा–निर्देश एवं मानकों सहित डिजाइन तैयार किया गया है।

तकनीकी काम के अलावा, प्रभाग के सदस्य कार्यालय के प्रशासन और प्रबंधन कार्य में योगदान करते हैं। यूरिस प्रभाग टीसीपीओ में कंप्यूटर लैब का रखरखाव कार्य भी देख रहा है। टीसीपीओ का स्टोर भी यूरिस प्रभाग द्वारा प्रबंधित किया जाता है। यूरिस प्रभाग द्वारा ई–ऑफिस के कार्य को तीव्रता से अंजाम दिया जा रहा है।

स्मार्ट सिटी मिशनः इसकी प्रगति की वर्तमान स्थिति

धर्मेन्द्र शर्मा

25 जून 2015 को भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन की शुरूआत की है जिसमें अगले पांच वर्षों में 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस नवीन मिशन में शहरी नियोजन के नए पैमानों को अपनाया गया जिसमें शहरों को कंक्रीट का जंगल न बनाकर, हरा–भरा बनाया जाएगा।

वास्तव में, हमारे देश के शहर, प्रमुख रूप से उपभोग का केन्द्र हैं, ना कि उत्पादन का। वे भारी मात्रा में उत्पादों का उपभोग करते हैं, चाहे वह अंतिम उत्पाद हों या प्राथमिक उत्पाद हों जैसे विद्युत, ऊर्जा या जल। इस उपभोक्तावादी प्रवृत्ति के फलस्वरूप, ये शहर भारी मात्रा में अपशिष्टों को पैदा करते हैं।

भारी मात्रा में उत्सर्जित, ये अपशिष्ट और अन्य प्रदूषक, पर्यावरण के लिए एक गंभीर

चुनौती की तरह प्रकट हो रहे हैं। हाल ही में हुए एक सर्वेक्षण में भारत को विश्व का पाँचवां सर्वाधिक ई–वेस्ट पैदा करने वाला देश घोषित किया गया है। यही नहीं, भारत कार्बन उत्सर्जन करने वाले शीर्ष 10 देशों में शामिल है।

ऐसी परिस्थिति में तेजी से बढ़ता शहरीकरण भारत ही नहीं, वरन् समस्त विश्व के लिए पर्यावरणीय और जलवायुक खतरा बनता जा रहा है। ऐसे में स्मार्ट सिटी मिशन की शुरूआत, इस बढ़ते खतरे के अपेक्षापूर्ण समाधान के रूप में दिखाई दे रहा है।

वास्तव में स्मार्ट सिटी वे शहर नहीं हैं, जहां केवल उच्च गुणवत्ता वाली सुविधाएं, तकनीक या गगनचुम्बी इमारतें हों, स्वचालित मशीनों का जाल हो। अपितु स्मार्ट सिटी वे हैं, जो सतत विकास की अवधारणा का पालन करते हैं। ऐसा शहर जो हरित शहर हो, जहां की आधारभूत संरचनाएं पर्यावरण हितैषी हों, स्मार्ट संचालन हो, जीवनचर्या हरित हो, जीवन की गुणवत्ता वास्तविक रूप से हरियालीमय हो, समस्त सुविधाओं, चाहें वो सांस्कृतिक, स्वास्थ्य, आवास, पर्यटन, मनोरंजन, शिक्षा या सुरक्षा हो, का प्रारूप हरित हो।

हमारी समस्त प्रशासनिक सेवाएं, ई–सेवा में तब्दील हो ताकि कागज और अन्य जैविक संसाधनों का न्यूनतम प्रयोग हो। यह न केवल पर्यावरण अनुकूल कदम होगा वरन सेवाओं को पारदर्शी, जवाबदेह और सुलभ बनाने में सक्षम होगा।

अवसंरचनाओं जैसे सड़क, बिजली, आवास की तकनीक न्यूनतम कार्बन उत्सर्जन करने वाली व अधिकतम पर्यावरण अनुकूल हो। सतत हरित विकास के लिए जलापूर्ति व्यवस्था, अपशिष्ट निस्तारण, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था इत्यादि हरित तकनीक पर आधारित हो।

ऊर्जा का स्रोत कार्बनिक न होकर सतत हो, स्मार्ट शहर पूर्णरूप से, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा, अपशिष्ट ऊर्जा पर निर्भर हो ताकि कार्बन उत्सर्जन न्यूनतम और हरित विकास अधिकतम हो सके।

वास्तविक रूप से, हरित इमारतें, हरित अवसंरचनाएं, हरित परिवहन ही सतत शहरी विकास का एकमात्र रास्ता है। स्मार्ट सिटी मिशन में जीवन की गुणवत्ता का पैमाना प्रति व्यक्ति उपभोग नहीं, प्रति व्यक्ति संतोष हो। एक बेहतर और स्मार्ट शहर ऐसा हो जो कि चारों ओर हरियाली से भरपूर हो। जिस पर वर्तमान पीढ़ी गर्व कर सके ताकि हम आने वाली पीढ़ियों को एक हरा भरा, प्राकृतिक और नैसर्गिक ऊर्जा से भरा अनुकूल शहर विरासत में दे सकें।

उम्मीद है कि यह मिशन अपने वास्तविक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेगा और सर्वे भवन्तु सुखिनः के वेद मंत्र को स्थापित कर सकेगा।

गंगा प्रदूषण एवं शहरों का नियोजन

अनिल कान्त मिश्रा

भारत की सबसे महत्त्वपूर्ण नदी गंगा जिसकी कुल लम्बाई 2525 किमी तथा गंगा का बेसिन 1.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर का है, 468.7 बिलियन मीट्रिक पानी सालभर में प्रवाहित होता है जो देश के कुल जलश्रोत का 25.2 प्रतिशत भाग है। इसके बेसिन में लगभग 45 करोड़ की आबादी बसती है। यह उत्तरांचल में हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदरवन तक विशाल भू भाग को सींचती है। यह देश की प्राकृतिक संपदा ही नहीं वरन् जन–जन की भावनात्मक आस्था का आधार भी है। यह लंबी यात्रा करते हुए सहायक नदियों के साथ दस लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के अति विशाल उपजाऊ मैदान की रचना करती है।

गंगा नदी की प्रधान शाखा भागीरथी है जो कुमायूँ में हिमालय के गोमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद से निकलती है। गंगा के इस उद्गम स्थल की ऊँचाई 3140 मीटर है। यहाँ गंगा जी को समर्पित एक मंदिर भी है। गंगा के आकार लेने में अनेक छोटी धाराओं का योगदान है लेकिन 6 बड़ी और उनकी सहायक 5 छोटी धाराओं का भौगोलिक और सांस्कृतिक महत्त्व अधिक है। अलकनंदा की सहायक नदी धौली गंगा, विष्णु गंगा तथा मंदाकिनी है। धौली गंगा का अलकनंदा से विष्णु प्रयाग में संगम होता है। ऋषिकेश से 139 कि०मी० दूर स्थित रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी से मिलती है। इसके बाद भागीरथी व अलकनन्दा 1500 फीट पर स्थित देवप्रयाग में संगम करती हैं और यहाँ से यह सम्मिलित जल–धारा गंगा नदी के नाम से आगे प्रवाहित होती है। इन पांच प्रयागों को सम्मिलित रूप से पंचप्रयाग कहा जाता है। इस प्रकार 200 कि०मी० का संकरा पहाड़ी रास्ता तय करके गंगा नदी ऋषिकेश होते हुए प्रथम बार मैदानों का स्पर्श हरिद्वार में करती है।

हरिद्वार से लगभग 800 कि०मी० मैदानी यात्रा करते हुए गढ़मुक्तेश्वर, सोरों, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बिठूर, कानपुर होते हुए गंगा इलाहाबाद (प्रयाग) पहुँचती है। यहाँ इसका संगम यमुना नदी से होता है। यह संगम स्थल हिन्दुओं का एक महत्त्वपूर्ण तीर्थ है। इसे तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है। इसके बाद हिन्दू धर्म की प्रमुख मोक्षदायिनी नगरी काशी (वाराणसी) में गंगा एक वक्र लेती है, जिससे यह यहाँ उत्तरवाहिनी कहलाती है। इस बीच इसमें बहुत–सी सहायक नदियाँ, जैसे सोन, गंडक, घाघरा, कोसी आदि मिल जाती हैं। भागलपुर में राजमहल की पहाड़ियों से यह दक्षिणवर्ती होती है।

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के गिरिया स्थान के पास गंगा नदी दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है भागीरथी और पद्मा। भागीरथी नदी गिरिया से दक्षिण की ओर बहने लगती

है जबकि पद्मा नदी दक्षिण–पूर्व की ओर बहती फरक्का बैराज से छनती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ से गंगा का डेल्टाई भाग शुरू हो जाता है। मुर्शिदाबाद शहर से हुगली शहर तक गंगा का नाम भागीरथी नदी तथा हुगली शहर से मुहाने तक गंगा का नाम हुगली नदी है। सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण गंगा का यह मैदान अपनी घनी जनसंख्या के कारण भी जाना जाता है। यह नदी भारत में पवित्र मानी जाती है तथा इसकी उपासना माँ और देवी के रूप में की जाती है। भारतीय पुराण और साहित्य में अपने सौंदर्य और महत्व के कारण बार–बार आदर के साथ वंदित गंगा नदी के प्रति विदेशी साहित्य में भी प्रशंसा और भावुकतापूर्ण वर्णन किए गए हैं।

भारत की अनेक धार्मिक अवधारणाओं में गंगा नदी को देवी के रूप में निरुपित किया गया है। बहुत से पवित्र तीर्थस्थल गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं जिनमें वाराणसी और हरिद्वार सबसे प्रमुख हैं। ऐसी मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से मनुष्य के सारे पापों का नाश हो जाता है। मरने के बाद लोग गंगा में अपनी राख विसर्जित करना मोक्ष प्राप्ति के लिये आवश्यक समझते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग गंगा के किनारे ही प्राण विसर्जन या अंतिम संस्कार की इच्छा भी रखते हैं। इसके घाटों पर लोग पूजा अर्चना करते हैं और ध्यान लगाते हैं। गंगाजल को पवित्र समझा जाता है तथा समस्त संस्कारों में उसका होना आवश्यक है। पंचामृत में भी गंगाजल को एक अमृत माना गया है। अनेक पर्वों और उत्सवों का गंगा से सीधा संबंध है। उदाहरण के लिए मकर संक्रांति, कुंभ और गंगा दशहरा के समय गंगा में नहाना या केवल दर्शन ही कर लेना बहुत महत्त्वपूर्ण समझा जाता है। इसके तटों पर अनेक प्रसिद्ध मेलों का आयोजन किया जाता है और अनेक प्रसिद्ध मंदिर गंगा के तट पर ही बने हुए हैं।

महाभारत के अनुसार मात्र प्रयाग में माघ मास में गंगा–यमुना के संगम पर तीन करोड़ दस हजार तीर्थों का संगम होता है। ये तीर्थस्थल सम्पूर्ण भारत में सांस्कृतिक एकता स्थापित करते हैं। गंगा को लक्ष्य करके अनेक भक्ति ग्रंथ लिखे गए हैं जिनमें श्रीगंगासहस्रनामस्तोत्र और आरती सबसे लोकप्रिय हैं। अनेक लोग अपने दैनिक जीवन में श्रद्धा के साथ इनका प्रयोग करते हैं। गंगोत्री तथा अन्य स्थानों पर गंगा के मंदिर और मूर्तियाँ भी स्थापित हैं जिनके दर्शन कर श्रद्धालु स्वयं को कृतार्थ समझते हैं। उत्तराखंड के पंचप्रयाग तथा प्रयागराज जो इलाहाबाद में स्थित है गंगा के वे प्रसिद्ध संगम स्थल हैं, जहाँ वह अन्य नदियों से मिलती है। ये सभी संगम धार्मिक दृष्टि से पूज्य माने गए हैं।

इस नदी में मछलियों तथा सर्पों की अनेक प्रजातियाँ पाई जाती हैं मीठे पानी वाली दुर्लभ डॉल्फिन भी पाई जाती हैं। यह कृषि, पर्यटन, साहसिक खेलों तथा उद्योगों के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान देती है तथा इसके तट पर बसे शहरों की जलापूर्ति भी करती है। इसके तट पर विकसित धार्मिक स्थल और तीर्थ भारतीय सामाजिक व्यवस्था के विशेष अंग हैं। इसके ऊपर बने

पुल, बाँध और नदी परियोजनाएँ भारत की बिजली, पानी और कृषि से संबंधित जरूरतों को पूरा करती हैं।

गंगा नदी विश्व भर में अपनी शुद्धीकरण क्षमता के कारण जानी जाती है। लंबे समय से प्रचलित इसकी शुद्धीकरण की मान्यता का वैज्ञानिक आधार भी है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस नदी के जल में बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु होते हैं, जो जीवाणुओं व अन्य हानिकारक सूक्ष्मजीवों को जीवित नहीं रहने देते। नदी के जल में प्राणवायु (ऑक्सीजन) की मात्रा को बनाए रखने की असाधारण क्षमता है, किंतु इसका कारण अभी तक अज्ञात है। एक राष्ट्रीय सार्वजनिक रेडियो कार्यक्रम के अनुसार इस कारण हैजा और पेचिश जैसी बीमारियाँ होने का खतरा बहुत ही कम हो जाता है, जिससे महामारियाँ होने की संभावना बड़े स्तर पर टल जाती हैं। नवंबर, 2008 में भारत सरकार द्वारा इसे भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया है एवं इसी क्रम में इलाहाबाद और हल्दिया के बीच (1600 किलोमीटर) गंगा नदी जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया है।

ऐतिहासिक साक्ष्यों से यह ज्ञात होता है कि 16वीं तथा 17वीं शताब्दी तक गंगा–यमुना प्रदेश घने वनों से ढका हुआ था। इन वनों में जंगली हाथी, भैंस, गेंडा, शेर, बाघ तथा गवल का शिकार होता था। गंगा का तटवर्ती क्षेत्र अपने शांत व अनुकूल पर्यावरण के कारण रंग–बिरंगे पक्षियों का संसार अपने आंचल में संजोए हुए है। इसमें मछलियों की 140 प्रजातियाँ, 35 सरीसृप तथा इसके तट पर 42 स्तनधारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यहाँ की उत्कृष्ट पारिस्थितिकी संरचना में कई प्रजाति के वन्य जीवों जैसे– नीलगाय, सांभर, खरगोश, नेवला, चिंकारा के साथ सरीसृप–वर्ग के जीव–जन्तुओं को भी आश्रय मिला हुआ है। इस इलाके में ऐसे कई जीव–जन्तुओं की प्रजातियाँ हैं जो दुर्लभ होने के कारण संरक्षित घोषित की जा चुकी हैं। गंगा के पर्वतीय किनारों पर लंगूर, लाल बंदर, भूरे भालू, लोमड़ी, चीते, बर्फीले चीते, हिरण, भौंकने वाले हिरण, सांभर, कस्तूरी मृग, सेरो, बरड़ मृग, साही, तहर आदि काफी संख्या में मिलते हैं।

जीवनदायनी गंगा का प्रदूषण एवं इसके किनारे बसे शहरों पर प्रभाव

गंगा को सबसे अधिक प्रदूषित करने वाले शहर 1. हरिद्वार 2. कानपुर 3. इलाहाबाद 4. वाराणसी 5. फर्रुखाबाद 6. पटना 7. भागलपुर 8. कोलकाता 9. हावड़ा 10. बल्ली हैं।

इन शहरों की औद्योगिक नालों की गंदगी सीधे गंगा नदी में मिलने से गंगा का प्रदूषण पिछले कई सालों से भारत सरकार और जनता के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। औद्योगिक कचरे के साथ–साथ प्लास्टिक कचरे की बहुतायत ने गंगा जल को बेहद प्रदूषित किया है।

वैज्ञानिक जांच के अनुसार गंगा का बायोलाजिकल ऑक्सीजन स्तर 3 डिग्री (सामान्य) से बढ़कर 6 डिग्री हो चुका था। विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर–प्रदेश की 12 प्रतिशत बीमारियों की वजह प्रदूषित गंगा जल है। कुछ शहरो में तो गंगा के इसी पानी को पीने के उपयोग में

लाया जाता है जो कि मानव जीवन के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस खतरे को देखते हुए सरकार ने गंगा की सफाई के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई हुई हैं जिनमें नमामि गंगे परियोजना प्रमुख है।

नमामि गंगे परियोजना

सरकार ने गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने और नदी को पुनर्जीवित करने के लिए 'नमामि गंगे' नामक एक एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण (एनजीआरबीए) का क्रियान्वयन स्कंध है। यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियमन, 1860 के अंतर्गत पर्यावरण और वन मंत्रालय जिसे 12 अगस्त 2011 को एक सोसाइटी के रुप में पंजीकृत किया गया है भारत सरकार कार्य आबंटन नियम 1961 में 360 संशोधन के अनुसार एनजीआरबीए और एनएमसीजी दोनों जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय को आबंटित किया गया है। भारत सरकार के जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के सचिव, एनएमसीजी परिषद के अध्यक्ष हैं, जैसाकि आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) द्वारा अनुमोदित किया गया है, एनजीआरबीए के अधिदेश का क्रियान्वयन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा किया जा रहा है।

राष्ट्रीय स्तर का राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन एक समन्वय निकाय है जिसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य स्तरीय कार्यक्रम प्रबंधन समूहों (एसपीएमजी) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत है तथा झारखण्ड में स्थित समर्पित नोडल केंद्र भी इसे सहयोग करता है। एनएमसीजी के प्रचालन का क्षेत्र गंगा नदी घाटी होगा जिसमें वे राज्य भी शामिल होंगे जहां से होकर गंगा नदी गुजरती है। इसके प्रचालन के क्षेत्र में शासी परिषद द्वारा भविष्य में विस्तार, परिवर्तन अथवा परिवर्धन भी किया जा सकता है तथा इनमें ऐसे अन्य राज्य भी शामिल किए जा सकते हैं जहां से होकर गंगा नदी की सहायक नदियां गुजरती हैं, जैसाकि राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण प्रदूषण में कमी करने तथा गंगा नदी के प्रभावी संरक्षण के लिए निर्णय ले।

अपर सचिव, भारत सरकार, एनएमसीजी के महानिदेशक हैं। एनएमसीजी के समग्र पर्यवेक्षण के अंतर्गत राज्यों में कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूहों (एसपीएमजी) के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जाती है।

शुरुआती स्तर की गतिविधियों के अंतर्गत नदी की ऊपरी सतह की सफाई से लेकर बहते हुए ठोस कचरे की समस्या को हल करने, ग्रामीण क्षेत्रों की सफाई से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों की नालियों से आते मैले पदार्थ (ठोस एवं तरल) और शौचालयों के निर्माण, शवदाह गृह का नवीकरण, आधुनिकीकरण और निर्माण ताकि अधजले या आंशिक रूप से जले हुए शव को नदी में

बहाने से रोका जा सके, लोगों और नदियों के बीच संबंध को बेहतर करने के लिए घाटों का निर्माण, मरम्मत और आधुनिकीकरण के लक्ष्य निर्धारित हैं।

नमामि गंगे प्रोजेक्ट की 231 योजनाओं में गंगोत्री से शुरू होकर हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, गाजीपुर, बलिया, बिहार में 4 और बंगाल में 6 जगहों पर पुराने घाटों का जीर्णोद्धार, नए घाट, चेंजिंग रूम, शौचालय, बैठने की जगह, सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट, आक्सीडेशन प्लांट, बायोरेमेडेशन प्रक्रिया से पानी के शोधन का काम किया जाएगा। इसमें गांव के नालों को भी शामिल किया गया है। इसके साथ तालाबों का गंगा से जुड़ाव पर क्या असर होता है उसे भी देखा जाएगा।

लक्ष्य और उद्देश्य

- समन्वय अंतर क्षेत्रीय व्यापक योजना और प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए एक नदी बेसिन दृष्टिकोण अपनाकर प्रदूषण और गंगा नदी के संरक्षण की प्रभावी कमी सुनिश्चित करना।
- पानी की गुणवत्ता और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गंगा नदी में न्यूनतम पारिस्थितिक प्रवाह बनाए रखना।

दृष्टिकोण

- गंगा नदी में कोई गैर–उपचारित पालिका द्वारा मल–व्ययन अथवा औद्योगिक बहिरूस्राव प्रवाहित न किया जाए।

मुख्य कार्य

1. राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण (एनजीआरबीए) के कार्य संबंधी कार्यक्रम को क्रियान्वित करना।
2. विश्व बैंक द्वारा समर्थित गंगा नदी घाटी परियोजना को क्रियान्वित करना।
3. गंगा नदी के संरक्षण क्षेत्र में जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा यथानिर्दिष्ट अतिरिक्त कार्यों को संचालित करना।
4. जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा एनजीआरबीए के अंतर्गत संस्वीकृत की गईं परियोजनाओं का समन्वय और निगरानी करना।
5. एनएमसीजी के कार्यों के संचालन के लिए नियम और विनियम बनाना तथा उनमें

समय–समय पर नए नियम जोड़ना अथवा उन्हें संशोधित करना अथवा उन्हें अभिलेखित करना।

6. धनराशि का कोई अनुदान, ऋण प्रतिभूतियां अथवा किसी भी प्रकार की संपत्ति, स्वीकार करना अथवा उपलब्ध कराना तथा एनएमसीजी के उद्देश्यों से असंबद्ध किसी बंदोबस्ती न्यास, निधि अथवा चंदे का प्रबंधन संचालित अथवा स्वीकार करना।

7. ऐसे समस्त कार्य करना अथवा ऐसे कृत्यों का निर्वहन करना जो एनएमसीजी के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक समझे जाएं।

परियोजना में कार्य की प्रगति

1. समस्त घाटों की सफाई के साथ–साथ उनका विकास किया जा रहा है।
2. नालों की टैपिंग की जा रही है।
3. नुक्कण नाटक के द्वारा लोगों को जगाने का कार्य किया जा रहा है।
4. सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जा रहा है।
5. नदी के आसपास की सफाई की जा रही है।
6. नये–नये पेड़ लगाने का प्रयास किया जा रहा है।
7. ठोस अपशिष्ट का निपटान करने का प्रयास किया जा रहा है।
8. गंगा ग्राम का विकास किया जा रहा है।
9. गंगा के किनारे बसें शहरो में सीवर लाइन डालने का कार्य किया जा रहा है।

गंगा नदी को साफ रखने के लिए उक्त कार्य किए जा रहे हैं। गंगा मात्र एक नदी नहीं, बल्कि राष्ट्र की जीवनधारा है। भारतीय जनमानस की अतल गहराइयों में गंगा बहती है। यह मात्र नदी नहीं, बल्कि मां के रूप में निजी तथा सांस्कृतिक–सार्वजनिक जीवन को गंगा की धारा जीवंतता प्रदान करती है। निर्मल गंगा या एक प्रदूषण रहित नदी के रूप में गंगा के पुनर्जीवन से जुड़ी "नमामि गंगे" योजना मूर्तरूप लेने लगी है।

प्रश्न बड़े हैं– गंगा को बचाने सरकार तो आगे आई है पर लोगों का आगे आना अभी शेष है। युवा जब तक गंगा को बचाने हेतु नहीं कूदेंगे, तब तक योजना की सफलता के बारे में कुछ भी कहना उचित नहीं है। जन–जन को नमामि गंगे से जोड़ना कठिन है पर असंभव भी नहीं।

हिंदी प्रयोग प्रोत्साहन मास–2020 के पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर श्री उदित रत्न, मुख्य नियोजक (प्रभारी) से पुरस्कार ग्रहण करते हिंदी प्रतियोगिताओं के सफल प्रतियोगी।

हिंदी प्रयोग प्रोत्साहन मास–2020 के पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर श्री उदित रत्न, मुख्य नियोजक (प्रभारी) से पुरस्कार ग्रहण करते हिंदी प्रतियोगिताओं के सफल प्रतियोगी।

हिंदी प्रयोग प्रोत्साहन मास–2019 के पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि श्री ओम प्रकाश, संयुक्त निदेशक (रा.भा.), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से पुरस्कार ग्रहण करते हिंदी प्रतियोगिताओं के सफल प्रतियोगी।

हिंदी प्रयोग प्रोत्साहन मास–2019 के पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर पुरस्कार ग्रहण करते हिंदी प्रतियोगिताओं के सफल प्रतियोगी एवं कवियों का स्वागत करते एवं कविताओं का आनंद लेते अधिकारी एवं कर्मचारी।

भारत में पंचायती राज व्यवस्था की दिशा–दशा

आर. एस. मीना

भारत बहुत विशाल देश है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। राज्यों में अधिक जनसंख्या व बड़े क्षेत्र के कारण ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं का वास्तविक परिदृश्य राज्य के मुख्यमंत्री को नहीं मिलता है। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि लोकतंत्र की शक्ति का विकेन्द्रीकरण किया जाए। पंचायती राज संस्थाएं स्थानीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में लोक–कल्याणकारी प्रशासन की आधारभूत इकाई है।

ग्राम पंचायतों की दशा सुधारने और सुदृढ़ पंचायती राज–व्यवस्था स्थापित करने के लिए 1993 में भारत सरकार द्वारा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। जिसके तहत मुख्यतः वित्तीय कार्य एवं पंचायती राज व्यवस्था की संस्थाओं को स्वशासित तंत्र बनाया गया, ताकि प्रशासनिक अधिकारियों की मनमानी खत्म हो। विकेन्द्रित नियोजन के महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखते हुए 73वें संविधान संशोधन से पंचायती राज व्यवस्था को एक नई सुदृढ़ दिशा प्रदान की गई, जिसकी खास विशेषताएं निम्न हैंः–

1. ग्राम स्तर पर ग्राम सभा समितियां।
2. त्रिस्तरीय पंचायतों का 5 वर्ष में चुनाव तथा गठन।
3. सभी स्तरों पर आरक्षण तथा एक तिहाई सीटें महिलाओं को आरक्षित होंगी।
4. 11वीं अनुसूची में दर्शाए गए विषयों पर पंचायतें प्लान तैयार करेंगी।
5. निष्पक्ष चुनाव कराना राज्य के चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है।
6. प्रत्येक राज्य में वित्त आयोग की जिम्मेदारी होगी।
7. भारत सरकार की योजनाओं, अनुदानों, राजस्व संग्रहण, निश्चित करों से राजस्व का हिस्सा एवं राज्य सरकारों द्वारा बजट का आवंटन करना आदि।

इस अधिनियम के तहत पंचायतों के कार्यों के भीतर 29 विषयों को शामिल किया जो इस प्रकार हैंः–

कृषि, भूमि सुधार, लघु सिंचाई, पशुपालन, मतस्य पालन, सामाजिक वानिकी, लघु एवं वन उत्पाद, लघु स्तरीय उद्योग, खादी, ग्राम एवं कुटीर उद्योग, ग्रामीण आवास, पेयजल, ईंधन एवं चारा, सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण, अपारम्परिक ऊर्जा, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, प्रोढ एवं अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक गतिविधियां, बाजार एवं मेला, स्वास्थ्य एवं सफाई, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक कल्याण, कमजोर वर्ग का कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं सामुदायिक परिसम्पात्ति का अनुरक्षण।

ग्राम विकास योजनाओं के उद्देश्यः–

73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ कर सामाजिक न्याय और जनता की स्वशासन में प्रमाणिकता सुनिश्चित करना है। पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित ग्राम पंचायत विकास योजना की मार्गदर्शिका के अनुसार योजनाओं का मुख्य उद्देश्य जनता को सुविधा, रोजगार देना है ताकि ग्राम विकास का लक्ष्य पूरा किया जा सके। ग्राम विकास योजनाओं के उद्देश्य निम्नलिखित हैंः–

1. अविकसित व दुर्गम क्षेत्रों की नियोजन प्रक्रिया का लक्ष्य निर्धारण करना।
2. सुविधा रहित एवं सुविधायुक्त क्षेत्रों के अन्तर की पहचान करना।
3. आवश्यकतानुसार समस्याओं का विश्लेषण कर प्राथमिकता देना।
4. विकास हेतु चुने गए क्षेत्रों में निर्माण शुरू करना।
5. विकास योग्य क्षेत्रों व चुनौतियों को विकास इकाइयों में समाहित करना।
6. उपलब्ध धन की मात्रानुसार लागत आधारित कार्यक्रमों को नियोजित करना।
7. वार्षिक व पंचवर्षीय प्लान तैयार करना।
8. विविध कार्यक्रम के वित्त को गुणात्मक योजनाओं में शामिल करना।
9. ग्राम स्तर पर परिसम्पत्ति तैयार करना और उनका अनुरक्षण।
10. सामाजिक सद्भावना उत्पन्न करने के लिए जागृति।
11. अवसंरचनात्मक व मौखिक सेवाओं की आपूर्ति।
12. दीर्घकालीन योजनाओं को विभिन्न वार्षिक योजनाओं में चरणबद्ध करना।
13. योजनाओं की पारदर्शिता ग्राम सभा द्वारा जनता तक पहुंचाना।
14. गरीब व महिलाओं को रोजगार उत्पन्न करवाना।
15. नियोजन में प्रतियोगिताओं का क्षमता संवर्धन करना।
16. प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग करते हुए रोजगार प्रदान कराना।
17. आधारभूत सुविधाओं का प्राथमिकता में निर्माण।
18. योजनाओं की समीक्षा ग्राम सभा में हो ताकि पारदर्शिता एवं विकास को जनता समझे और जन जागृति उत्पन्न हो सके। समग्र विवरण/योजनाओं की जानकारी पंचायती राज के पोर्टल पर भी प्रदर्शित करें।

पंचायती राज–व्यवस्था की चुनौतियां

ग्राम व नगरों का एकीकृत जिला विकास योजना तैयार करने में लगभग सभी राज्यों ने उदासीनता दिखाई है। हालांकि केरल द्वारा कोलम जिले की विकास योजना तैयार हुई है। पंचायती राज व्यवस्था के क्रियान्वयन की कुछ चुनौतियां इस प्रकार हैंः–

1. ग्राम विकास नियोजन के निर्माण से लेकर कार्यान्वयन तक सरपंच, पंच, ग्राम सभा के

प्रबुद्ध सदस्यों में भी एकमत नहीं मिलता।

2. तकनीकी सहयोग की कमी।
3. नियोजित प्राथमिकता को स्वीकृत धन अन्य मद में खर्च करना।
4. सरपंच, पंच, ब्लॉक प्रमुख, जिला प्रमुख की शैक्षिक योग्यता का अभाव।
5. संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा अड़चन उत्पन्न करना।
6. ग्राम सभा की बैठक और उसकी उचित सूचना।
7. ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव द्वारा अनपढ़ सरपंचों को कटपुतली बनाकर रखना।
8. चुनाव निष्पक्ष नहीं होना।
9. जातिवाद व माफिया द्वारा विकास कार्यों में रुकावट।
10. मनरेगा व अन्य कार्यों में निगरानी की कमी से भ्रष्टाचार को बढ़ावा।
11. ग्राम सभा में विकास कार्यों की चर्चा व पारदर्शिता की कमी।
12. उच्च अधिकारियों की उदासीनता।

73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज–व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी, आरक्षण से गरीब श्रेणी में जागृति, ग्राम सभा में अन्य मतदाताओं की भागीदारी, चुनावों को नियत अवधि पर कराना, वित्त व्यवस्था आदि में सुधार हुआ है, परन्तु अभी स्वशासन के उद्देश्य को हासिल करने के लिए सभी राज्यों द्वारा पंचायती राज–व्यवस्था को पूरी तरह लागू करने पर हेतु निम्न बिंदुओं पर जोर देना:–

1. 11वीं अनुसूची के अनुसार सभी विषयों को हस्तान्तरित करना।
2. जिला नियोजन समिति गठित करना।
3. एकीकृत जिला विकास योजनाएं बनाना।
4. प्रतिनिधियों की योग्यता निर्धारण करना।
5. ग्राम पंचायत स्तर पर कम्प्यूटर, डाटा ऑपरेटर, कनिष्ठ अभियन्ता, पटवारी, ग्राम पंचायत सचिव नियमित रूप से सरकार द्वारा बनाए सुविधा केंद्र पर उपस्थित रहें।
6. ग्राम सभा में ऑडिट की परम्परा के लिए जागृति लाना।
7. विकास कार्यों की निगरानी खण्ड–विकास अधिकारी स्वयं करें।
8. प्रशिक्षण द्वारा क्षमता संवर्धन होना जरूरी है।
9. जन–जागरण द्वारा शिक्षा के लिए प्ररित करना।

उपसंहार:–

73वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय स्व–शासन को सुदृढ़ बनाया गया है। कुछ अनियमितताओं को सरकारें ठीक कर कार्यान्वित करें, तो निश्चय ही स्व–शासन का सपना साकार होगा। समितियां व ग्राम सभा में ऑडिट की परम्परा के लिए मतदाता जागरूक होने पर स्वतः भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और ग्रामों में स्वराज्य की स्थापना संभव होगी।

भारतीय शहरों के लिए तीन महत्त्वाकांक्षी परियोजनाएँ: शहरों के विकास की उत्प्रेरक

हरपाल सिंह

कभी हमने ऐसे शहर की कल्पना मात्र भी नहीं की होगी, हमारी सड़कों पर स्थित हर बिजली के खम्भे पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगे हों। रात में पैदल यात्री की आहट मात्र से बल्ब स्वतः जल जाये या बुझ जाए, सूर्य की रोशनी की तरह घरों की लाइटें घटाई–बढ़ाई जा सके। शिक्षक की अनुपस्थिति में वीडियो आधारित उपकरणों के माध्यम से पढ़ाई हो सके, क्वालिटी शिक्षा देने वाले आधुनिक तकनीक पर आधारित स्कूल व कॉलेज हों, उत्तम गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले अस्पताल हों, क्राइम या झगड़ा होने पर पलक झपकते ही पुलिस की गाड़ी आ जाए। अपराध शून्य प्रतिशत हो संचार सेवा स्पेस तकनीक इस्तेमाल करते हुए आधुनिक हो।

भारत जैसे शहरों, जिनमें अवैध कब्जों की भरमार से अनियोजित बसाव हो, शहरों का बेतरतीब निर्माण हो चुका हो, ऐसे शहरों को स्मार्ट बनाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। भविष्य के शहर में बिजली के ग्रिड से लेकर सीवर पाइप, सड़कें, कारें और इमारतें हर चीज एक–एक नेटवर्क से जुड़ी होगी। इमारत अपने आप बिजली बंद करेगी, स्वचालित कारें खुद अपने लिए पार्किंग ढूंढेंगी और यहां तक कि कूड़ादान का प्रबंधन भी स्मार्ट होगा, लेकिन सवाल यह है कि हम इस स्मार्ट भविष्य में कैसे पहुंच सकते हैं? शहर में हर इमारत, बिजली के खंभे और पाइप पर लगे सेंसरों पर कौन निगरानी रखेगा और कौन उन्हें नियंत्रित करेगा। इसी की पूर्ति हेतु यहां पर तीन महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का विवरण दिया जा रहा है, जो निम्नलिखित हैं:–

1. स्मार्ट सिटी परियोजना:

स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य ऐसे शहरों को बढ़ावा देना है, जिनमें मूलभूत अवसंरचना है और अपने नागरिकों को शानदार गुणवत्ता वाला जीवन, स्वच्छ और स्थिर वातावरण और स्मार्ट समाधानों की प्रयोज्यता दे सके। इसमें स्थिर और समावेशी विकास पर फोकस किया गया है इसमें प्रतिकृति मॉडल बनाए जाएं, जो अन्य आकांक्षी शहरों के लिए दीपस्तम्भ का काम करें। स्मार्ट शहर में निम्नलिखित अवसंरचना घटक शामिल हैं:–

1. पर्याप्त जलापूर्ति।
2. बिजली आपूर्ति का आश्वासन।

3. स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।

4. कुशल शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक परिवहन।

5. विशिष्ट रूप से गरीबों के लिए किफायती आवास।

6. मजबूती आईटी कनेक्टिविटी और डिजिटलीकरण।

7. सुशासन, विशेष रूप से ई–गवर्नेंस और नागरिकों की भागीदारी।

8. सतत पर्यावरण।

9. नागरिकों की सुरक्षा विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों।

10. स्वास्थ्य और शिक्षा।

ऐसा नहीं है कि भारत स्मार्ट सिटी की ओर अग्रसर होने वाला पहला देश है, इससे पहले कई देशों में स्मार्ट सिटी परियोजनाएं बेहतरीन तरीके से क्रियान्वित की जा चुकी हैं। भारत में भी यदि इसे संजीदगी से अमल किया जाए तो इसे वर्तमान सरकार की बेहतरीन पहल कही जा सकती है, बशर्ते सरकार सामंजस्य बिठाने के लिए गांवों को भी स्मार्ट बनाने का प्रयास करे।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि शहरों को स्मार्ट बनने की जरूरत है। एक अनुमान के अनुसार 2050 तक दुनिया की 75 प्रतिशत आबादी शहरों में निवास करेगी, जिससे यातायात व्यवस्था, आपातकालीन सेवाओं और अन्य व्यवस्थाओं पर काफी दबाव होगा। सच्चाई यह है कि विश्वभर में इस समय जो स्मार्ट शहर बन रहे हैं, वे बहुत छोटे हैं।

2. अमृत परियोजना:

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार छोटे शहरों व कस्बों को या फिर शहरों के कुछ हिस्से या उपशहर को चुनेगी और वहां पर बुनियादी सुविधाएं स्थापित करेगी।

योजना के उद्देश्य एवं विशेषताएं

- यह उसी कस्बे में लागू होगी जहां की जनसंख्या एक लाख से ज्यादा है।
- जलापूर्ति।
- सीवरेज सुविधाएं और सेप्टेज प्रबंधन।
- बाढ़ को कम करने के लिए वर्षा जल नाले।

- पैदल मार्ग, गैर मोटरीकृत और सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं, पार्किंग स्थल।
- विशेषतः बच्चों के हरित स्थलों और पार्कों एवं मनोरंजन केंद्रों का निर्माण तथा उन्नयन करके शहरों की भव्यता बढ़ाना।
- बिजली का बिल, पानी का बिल, सम्पत्ति कर जैसी सभी सुविधाएं ई–गवर्नेंस के माध्यम से सुनिश्चित की जाएंगीं।
- कस्बों का कायाकल्प करने वाली इस परियोजना का हर क्षेत्र नियमित रूप से ऑडिट किया जाएगा, जो राज्य बेहतर ढंग से इस परियोजना को आगे बढाएंगे उनके बजट में 10 प्रतिशत की राशि अलग से दी जाएगी।
- अमृत मिशन के अंतर्गत वो परियोजनाएं भी आएंगी जो जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत अधूरी रह गईं थीं।
- निधि आवंटन – वित्त वर्ष 2015–16 से वित्त वर्ष 2019–20 तक अमृत के लिए कुल परिव्यय 50 हजार करोड़ रुपये है। इसके बाद अमृत को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा किए गए मूल्यांकन के आलोक में और मिशन में मिले अनुभव को शामिल करते हुए जारी रखा जायेगा।

मिशन निधियों में चार भाग शामिल हैंः–

1 परियोजना निधि–वार्षिक बजटीय आवंटन का 80 प्रतिशत।

2 सुधारों के लिए प्रोत्साहन–वार्षिक बजटीय आवंटन का 10 प्रतिशत।

3 प्रशासनिक और कार्यालय व्यय के लिए राज्य की निधि–वार्षिक बजटीय आवंटन का 8 प्रतिशत।

4 प्रशासनिक और कार्यालय व्यय के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की निधि–वार्षिक बजटीय आवंटन का 2 प्रतिशत।

अमृत परियोजना का कार्यक्रम प्रबंधनः–

क राष्ट्रीय स्तर पर – सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में और संबंधित मंत्रालयों, संगठनों के प्रतिनिधियों से बनी शीर्ष समिति इस मिशन का पर्यवेक्षण करेगी।

ख राज्य स्तर पर – राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय उच्च शक्ति

प्राप्त संचालन समिति अपनी सम्पूर्ण हैसियत से इस मिशन के कार्यक्रम का संचालन करेगी।

ग शहरी स्तर पर – शहरी स्तर पर यूएलबी मिशन के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगी। म्यूनिसिपल आयुक्त एसएलआईपी समय पर तैयार करने को सुनिश्चित करेगी।

3. सभी को आवास योजनाः

सभी को आवास योजना के अन्तर्गत आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने सभी शहरी गरीबों तथा अन्य निवासियों को 2022 तक आवास उपलब्ध कराने का फैसला किया है। इस योजना के अन्तर्गत 305 शहरों की पहचान कर ली गई है। यह एक महत्वाकांक्षी योजना तथा सभी झुग्गी झोपड़ियों को हटाकर उनके निवासियों को आवास उपलब्ध कराया जायेगा। 2022 तक सबको घर दिलाने के लिए शहरी गरीबों को सरकार होम लोन में छूट देगी।

राष्ट्रीय शहरी आवास मिशन में निम्न चार घटक हैंः–

1. भूमि को संसाधन घटक के तौर पर इस्तेमाल करने वाले निजी डेवलपरों की भागीदारी के साथ झुग्गी बस्तियों की पुनर्विकास योजना के तहत प्रति लाभार्थी औसतन एक लाख रुपये की केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। राज्यों–केंद्र शासित प्रदेशों को इस तरह की परियोजनाओं को व्यवहारिक बनाने के लिए इस अनुदान का उपयोग किसी भी बस्ती पुनर्विकास योजना के लिए करने की स्वतंत्रता होगी।

2. दूसरे वर्ग में, ऋण से जुड़ी सब्सिडी योजना के जरिये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय समूह (एलआईजी) लाभार्थियों को प्रत्येक आवास ऋण पर 6.5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी।

3. वहीं तीसरे वर्ग में, निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों की साझीदारी में सस्ते मकान उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक लाभार्थी को डेढ़ लाख रुपये की केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों को शामिल कर शहरी गरीबों के लिए आवास को प्रोत्साहन मिल सकेगा। हालांकि इस वर्ग में एक शर्त है कि परियोजनाओं की 35 प्रतिशत आवासीय इकाइयां आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए अलग रखी जाएंगी।

4. चौथे वर्ग में, प्रत्येक पात्र शहरी गरीब लाभार्थी को अपना मकान बनाने या मौजूदा मकानों को दुरूस्त करने के लिए डेढ़–डेढ़ लाख रुपये तक की केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

भारत की जनगणना : 2011

तरसिसियुस टेटे

भारत की 15वीं जनगणना के पहले और दूसरे चरण के प्रारंभिक आंकड़े 31 मार्च, 2011 को जारी किए गए। भारत के जनगणना आयुक्त सी. चन्द्रमौली ने एक पत्रकार वार्ता में बताया कि भारत की मौजूदा आबादी एक अरब 21 करोड़ है। इनमें 62 करोड़ पुरुष और 58 करोड़ महिलाएं हैं। दशक की बढ़ोत्तरी का आंकड़ा ब्राजील की आबादी से थोड़ा ही कम है। यानी दस साल में भारत की आबादी में एक ब्राजील जुड़ गया है। अब भारत की आबादी अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान और जापान की कुल आबादी के बराबर है।

गत दस वर्षों में भारत की जनसंख्या में 17.6 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इस दौरान कुल जनसंख्या में 18 करोड़ का इजाफा हुआ है। दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश चीन और भारत के साथ का फासला भी घटा है। 2001 में 23.8 करोड़ से 2011 में अब ये 13 करोड़ हो गया है। 15वीं जनसंख्या के प्रारम्भिक आंकड़ों के मुताबिक पिछले दस वर्षों में भारत का कुल लिंगानुपात 933 से बढ़कर 940 हो गया है। जो वर्ष 1961 के बाद सर्वाधिक है। लेकिन बच्चों का लिंगानुपात घटकर 927 से 914 हो गया है। ये स्वतंत्र भारत का सबसे निम्न स्तर है। आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2001 में कुल जनसंख्या का करीब 16 फीसदी बच्चे थे, लेकिन वर्ष 2011 में ये कम होकर करीब 13 फीसदी है।

15वीं जनसंख्या के प्रारम्भिक आंकड़ों के मुताबिक भारत में साक्षरता की दर वर्ष 2001 के मुकाबले करीब 10 प्रतिशत बढ़ी है। भारत में अब 82.1 प्रतिशत पुरुष और 65.6 प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं। जनगणना आयुक्त ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में अधिक महिलाएं साक्षर हुई हैं। अरुणाचल प्रदेश और बिहार में सबसे कम साक्षरता है। हालांकि मध्य प्रदेश के अलीराजपुर और छत्तीसगढ़ के बीजापुर देश के सबसे कम साक्षर जिले हैं। केरल और लक्षद्वीप में सबसे अधिक 93 और 92 प्रतिशत साक्षरता है। जनसंख्या के आधार पर भारत की राजधानी में प्रतिवर्ग किलोमीटर सबसे अधिक आबादी 11,297 लोग रहते हैं। इसमें भी राजधानी के उत्तर–पूर्व जिले में सबसे अधिक 37,346 लोग प्रतिवर्ग किलोमीटर में रहते हैं।

जनगणना 2011 में उत्तर प्रदेश एक बार फिर जनसंख्या के मामले में देश के नम्बर एक राज्य के रूप में बरकरार है। हालांकि जनगणना में राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर, लिंग अनुपात घटने और साक्षरता दर में इजाफा जैसी राहत की बातें जरूर सामने आई हैं। बावजूद इसके लगभग 20 करोड़ (19,95,81,417) लोगों के राज्य में जनसंख्या विस्फोट जैसी स्थिति आफत के रूप में सामने आ खड़ी है। देश की कुल आबादी का यह 16 प्रतिशत हिस्सा है। यह जनसंख्या

क्षेत्रफल में लगभग भारत के बराबर अमेरिकी देश ब्राजील की आबादी से भी अधिक है।

जनसंख्या 2001 को आधार मानें तो उस समय भी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक थी। यही नहीं छः वर्ष तक के बच्चों की जनसंख्या में भी राज्य 2.97 करोड़ के साथ अव्वल है। हालांकि यहां भी वृद्धि दर 19.6 के मुकाबले 14.9 पर रुकी है। राज्य में महिलाओं और पुरुषों के बीच लिंगानुपात भी घटा है। अब 2001 के 898 के मुकाबले राज्य में 1000 पुरुषों पर 908 महिलाओं की गणना की गई है। लेकिन बच्चों के लिंगानुपात में वृद्धि दर्ज की गई है। 2001 के 916 के मुकाबले अब यह अनुपात 899 पर गिर गया है। साक्षरता दर बीते दशक के 56.3 प्रतिशत के मुकाबले 69.7 दर्ज की गई है। हालांकि देश के 10 राज्यों की साक्षरता दर 85 प्रतिशत से अधिक दर्ज की गई है। पुरुषों की साक्षरता दर भी 68.8 के मुकाबले 79.2 व महिलाओं की 42.2 के मुकाबले 59.3 प्रतिशत दर्ज की गई है।

दिल्ली देश का सबसे अधिक भीड़–भाड़ वाला राज्य है और इसमें प्रतिवर्ग किलोमीटर 11,297 लोग रहते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक देश में प्रतिवर्ग किलोमीटर जनसंख्या पिछले एक दशक में 17.5 प्रतिशत बढ़कर 325 हो गई है। जनसंख्या के लिहाज से दिल्ली सबसे ऊपर और चण्डीगढ़ दूसरे स्थान पर है। प्रतिवर्ग किलोमीटर आबादी चण्डीगढ़ में 9,252 है। प्रतिवर्ग किलोमीटर सबसे कम आबादी अरुणाचल प्रदेश में 17 तथा अंडमान निकोबार में 46 है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला दिल्ली उत्तर–पूर्व है। जहां प्रतिवर्ग किलोमीटर 37,346 लोग रहते हैं। प्रतिवर्ग किलोमीटर सबसे कम आबादी अरुणाचल प्रदेश की दिबांग सांबा जिले में है।

31 मार्च, 2011 में जनसंख्या के निम्न आंकड़े प्रदर्शित किए गएः–

जनसंख्या	कुल	1210193422
	पुरुष	623724248
	महिलाएं	586469174
साक्षरता	कुल	74.04 प्रतिशत
	पुरुष	82.14 प्रतिशत
	महिलाएं	65.46 प्रतिशत
जनसंख्या घनत्व	प्रतिवर्ग किमी.	382
लिंगानुपात	1000 पुरुषों पर	940 महिलाएं

विश्व आबादी में भारत की हिस्सेदारी अब 17.5 प्रतिशत हो गई है।

उपर्युक्त आकड़ों के अनुसार भारत की बढ़ती आबादी देश के विकास हेतु एक चिन्ताजनक

विषय है जिस पर भारत सरकार द्वारा उचित निर्णय लिया जाना अपेक्षित है।

भारत की जनसंख्या (वर्ष 2011)				
क्र.सं.	**राज्य**	**कुल जनसंख्या**	**पुरूष**	**महिलाएं**
1	जम्मू एवं कश्मीर	12548926	6665561	5883365
2	हिमाचल प्रदेश	6856509	3473892	3382617
3	पंजाब	27704236	14634819	13069417
4	चंडीगढ़	1054686	580282	474404
5	उत्तराखंड	10116752	5154178	4962574
6	हरियाणा	25353081	13505130	11847951
7	दिल्ली	16753235	8976410	7776825
8	राजस्थान	68621012	35620086	33000926
9	उत्तर प्रदेश	199581477	104596415	94985062
10	बिहार	103804637	54185347	49619290
11	सिक्किम	607688	321661	286027
12	अरुणाचल प्रदेश	1382611	720232	662379
13	नागालैंड	1980602	1025707	954895
14	मणिपुर	2721756	1369764	1351992
15	मिजोरम	1091014	552339	538675
16	त्रिपुरा	3671032	1871867	1799165
17	मेघालय	2964007	1492668	1471339
18	असम	31169272	15954927	15214345
19	पश्चिम बंगाल	91347736	46927389	44420347
20	झारखंड	32966238	16931688	16034550
21	ओडिशा	41947358	21201678	20745680
22	छत्तीसगढ़	25540196	12827915	12712281
23	मध्यप्रदेश	72597565	37612920	34984645

भारत की जनसंख्या (वर्ष 2011)				
क्र.सं.	राज्य	कुल जनसंख्या	पुरूष	महिलाएं
24	गुजरात	60383628	31482282	28901346
25	दमन और दीव	242911	150100	92811
26	दादरा एवं नागर हवेली	342853	193178	149675
27	महाराष्ट्र	112372972	58361397	54011575
28	आंध्र प्रदेश	84665533	42509881	42155652
29	कर्नाटक	61130704	31057742	30072962
30	गोवा	1457723	740711	717012
31	लक्षद्वीप	64429	33106	31323
32	केरल	33387677	16021290	17366387
33	तमिलनाडु	72138958	36158871	35980087
34	पुडुचेरी	1244464	610485	633979
35	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	379944	202330	177614

कुल साक्षरता				
क्र.सं.	राज्य	कुल साक्षरता (प्रतिशत में)	पुरूष (प्रतिशत में)	महिलाएं (प्रतिशत में)
1	जम्मू एवं कश्मीर	68.74	78.26	58.01
2	हिमाचल प्रदेश	83.78	90.83	76.60
3	पंजाब	76.68	81.48	71.34
4	चंडीगढ़	86.43	90.54	81.38
5	उत्तराखंड	79.63	88.33	70.70
6	हरियाणा	76.64	85.38	66.77
7	दिल्ली	86.34	91.03	80.93

कुल साक्षरता				
क्र.सं.	राज्य	कुल साक्षरता (प्रतिशत में)	पुरूष (प्रतिशत में)	महिलाएं (प्रतिशत में)
8	राजस्थान	67.06	80.51	52.66
9	उत्तर प्रदेश	69.72	79.24	59.26
10	बिहार	63.82	73.39	53.33
11	सिक्किम	82.20	87.29	76.43
12	अरुणाचल प्रदेश	66.95	73.69	59.57
13	नागालैंड	80.11	83.29	76.69
14	मणिपुर	79.85	86.49	73.17
15	मिजोरम	91.58	93.72	89.40
16	त्रिपुरा	87.75	92.18	83.15
17	मेघालय	75.48	77.17	73.78
18	असम	73.18	78.81	67.27
19	पश्चिम बंगाल	77.08	82.67	71.16
20	झारखंड	67.63	78.45	56.21
21	ओडिशा	73.45	82.40	64.36
22	छत्तीसगढ़	71.04	81.45	60.59
23	मध्यप्रदेश	70.63	80.53	60.02
24	गुजरात	79.31	87.23	70.73
25	दमन और दीव	87.07	91.48	79.59
26	दादरा एवं नागर हवेली	77.65	86.46	65.93
27	महाराष्ट्र	82.91	89.82	75.48
28	आंध्र प्रदेश	67.66	75.56	59.74
29	कर्नाटक	75.60	82.85	68.13

कुल साक्षरता				
क्र.सं.	राज्य	कुल साक्षरता (प्रतिशत में)	पुरूष (प्रतिशत में)	महिलाएं (प्रतिशत में)
30	गोवा	87.40	92.81	81.84
31	लक्षद्वीप	92.28	96.11	88.25
32	केरल	93.91	96.02	91.98
33	तमिलनाडु	80.33	86.81	73.86
34	पुडुचेरी	86.55	92.12	81.22
35	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	86.27	90.11	81.84

जनसंख्या घनत्व				
क्र.सं.	राज्य	जनसंख्या घनत्व	लिंगानुपात	दशक वृद्धि
1	जम्मू एवं कश्मीर	124	883	23.71
2	हिमाचल प्रदेश	123	974	12.81
3	पंजाब	550	893	13.73
4	चंडीगढ़	9252	818	17.10
5	उत्तराखंड	186	963	19.17
7	दिल्ली	11297	866	20.96
8	राजस्थान	201	926	21.44
9	उत्तर प्रदेश	828	908	20.09
10	बिहार	1102	916	25.07
11	सिक्किम	86	889	12.36
12	अरुणाचल प्रदेश	17	920	25.92
13	नागालैंड	119	931	0.47
14	मणिपुर	122	987	18.65

जनसंख्या घनत्व				
क्र.सं.	राज्य	जनसंख्या घनत्व	लिंगानुपात	दशक वृद्धि
15	मिजोरम	52	975	22.78
16	त्रिपुरा	350	961	14.75
17	मेघालय	132	986	27.82
18	असम	397	954	16.93
19	पश्चिम बंगाल	1029	947	13.93
20	झारखंड	414	947	22.34
21	ओडिशा	269	978	13.97
22	छत्तीसगढ़	189	991	22.59
23	मध्यप्रदेश	236	930	20.30
24	गुजरात	308	918	19.17
25	दमन और दीव	2169	618	53.54
26	दादरा एवं नागर हवेली	698	775	55.50
27	महाराष्ट्र	365	925	15.99
28	आंध्र प्रदेश	308	992	11.10
29	कर्नाटक	319	968	15.67
30	गोवा	394	968	8.17
31	लक्षद्वीप	2013	946	6.23
32	केरल	859	1084	4.86
33	तमिलनाडु	555	995	15.60
34	पुडुचेरी	2598	1038	27.72
35	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	46	878	6.68

अभिलेख प्रबंधन

आर.पी. सिंह

अभिलेख जानकारी के स्त्रोत हैं। अभिलेख प्रबंधन लोक अभिलेख अधिनियम 1993 के तहत भारत सरकार के कार्यालयों, संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, आयोगों और उप–समितियों के अभिलेखों का प्रबंध, प्रशासन, परीक्षण तथा उनसे संबंधित या उनके अनुषंगिक विषयों का विनियमन करने के लिए है। इस अधिनियम के अधीन केंद्र सरकार को लोक अभिलेखों के प्रशासन, प्रबंध, परीक्षण, चयन, व्ययन और निवृति से संबंधित संक्रियाओं का समन्वय। विनियमन और पर्यवेक्षण की शक्ति है। अभिलेखों के प्रबंध, प्रशासन और रखरखाव के लिए भारत सरकार द्वारा केंद्रीय अभिलेखागार का गठन और महानिदेशक केंद्रीय अभिलेखागार की नियुक्ति की गयी है, जो लोक अभिलेखों के चयन, प्रबंध, प्रशासन, रखरखाव, इत्यादि के संबंध में भारत सरकार के अधीन कार्यालयों को आवश्यक दिशानिर्देश जारी करता है। इस अधिनियम के तहत प्रत्येक अभिलेख सृजक एजेंसी (कार्यालय/विभाग) को एक अधिकारी को विभागीय अभिलेख अधिकारी के रूप में नामित करना होता है। उसके द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्यों का विवरण अधिनियम की धारा 6 में दिया गया है।

अभिलेख

जैसा कि अभिलेख सूचना के महत्वपूर्ण स्त्रोत हैं। भविष्य में संदर्भ के लिए इनकी आवश्यकता होती है। अभिलेख मुद्रित या अमुद्रित या हम कह सके हैं कि कागज, सेल्यूलाइड़, सिलिकन और विद्युत चुम्बकीय में से किसी भी माध्यम में हो सकते हैं। कार्यालयों के संबंध में कागज आधारित दस्तावेज, आउट नंबर और अन्य प्रकार के अभिलेख हो सकते हैं।

अभिलेख प्रबंधन

अभिलेख प्रबंधन अभिलेखों के सृजन, रखरखाव, मरम्मत, उपयोग और संरक्षण से संबन्धित एक प्रबंधकीय प्रक्रिया है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार लोक अभिलेख अधिनियम 1993 और लोक अभिलेख नियम 1997 के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार की एक नोडल संस्था है। यह अभिलेखों के सुरक्षित अभिरक्षण और प्रबंध को सुगम बनाने के लिए उपयुक्त तंत्र तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अभिलेखों का विवेकपूर्ण प्रतिधारण निर्धारित करने के लिए संबन्धित विभागों द्वारा अभिलेख प्रतिधारण अनुसूची तैयार की जाती है।

अभिलेख प्रबंधन की आवश्यकता/गतिविधियां

1 सरकारी गतिविधियों, योजनाओं, समयबद्धता और उद्देश्यों के लिए आवश्यक जानकारी को मानव स्मृति द्वारा बनाए रखना संभव नहीं है।

2 कुछ मामलों में अभिलेख प्रतिधारण कानूनी आवश्यकता है।

3 ऑडिट, संसद, उसकी उप–समितियों तथा अन्य सार्वजनिक निकायों के सामने आने वाले मामलों में जिम्मेदारी तय करने के लिए रिकॉर्ड प्रतिधारण आवश्यक है।

4 ऐतिहासिक मूल्यों के अभिलेखों में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य और आंकड़ें, जो भविष्य में जानकारी के किए अति महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि सरकार की लोगों के प्रतिजवाबदेयी होती है।

5 सरकार में तर्कसंगतता के तत्व को सुनिश्चित करने, नागरिकों की मांगों और शिकायतों के निवारण में निर्णयकर्ता के लिए शपथ संबंधी निर्णयों, मिसलों और प्रक्रियाओं के अभिलेख इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होते हैं।

6 भविष्य की योजनाओं के लिए अभिलेखों में उपलब्ध जानकारी निर्णय लेने और समस्या के समाधान में सहायक होती है।

7 अभिलेख प्रशासन में निरंतरता प्रदान करते हैं।

8 विवादों के मामलों में सबूत के तौर पर उपलब्ध कराने के लिए इनका संरक्षण जरूरी है।

9 यह सुनिश्चित करने के लिए कि सार्वजनिक हित हर समय संरक्षित है और वित्तीय लेनदेन में कोई अनियमितता नहीं है।

10 व्यवस्थापन में नए भर्ती किए गए लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए भी अभिलेखों का होना आवश्यक है।

अभिलेख रिकॉर्डिंग

अभिलेख निष्क्रिय होते हैं। अभिलेखों को संरक्षित करने और बनाए रखने के लिए एक श्रृंखला शुरू की जाती है जिसमें अभिलेख, रिकॉर्डिंग, वर्गीकरण और प्रतिधारण शामिल हैं।

अभिलेखों को उनके महत्व के अनुसार तीन वर्गों में विभाजन कर रिकॉर्ड किया जाता है।

भविष्य में संदर्भ आधारित एक उचित प्रतिधारण अवधि निर्धारित होती है। श्रेणी और प्रतिधारण अवधि के निर्धारण के साथ, निष्क्रिय अभिलेखों को भविष्य के लिए संजोए रखने हेतु संरक्षण के लिए प्रस्तुत करने और फिट रखने के लिए गतिविधियां शुरू की जाती हैं।

अभिलेख वर्गीकरण

अभिलेखों (फाइलों) को तीन वर्गों – अ, ब, और स (ए, बी, और सी) में विभाजित किया जाता हैं। मिसलों के अलावा अन्य अभिलेखों का वर्गीकरण नहीं किया जाता हैं किन्तु उनकी प्रतिधारण अवधि का विधिवत पालन किया जाता हैं।

वर्ग–अः इस वर्ग में वे अभिलेख आते हैं जिन्हें स्थायी रूप से संरक्षित करने की आवश्यकता होती हैं। इस वर्ग मे प्रशासनिक और ऐतिहासिक विषयों से संबन्धित अभिलेख, जैसे– शीर्षक संपत्ति, मुआवजे के दावे, नीतिगत निर्णयों से संबन्धित कागजात, ज्ञापन, ऐतिहासिक रिपोर्ट, कार्यालयों में कर्मचारियों की पर्सनल मिसलें, सरकारी विभागों की उत्पत्ति, कार्यों से संबन्धित कागजात, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक घटनाक्रम से संबन्धित दस्तावेज, महत्वपूर्ण मुकदमों से संबन्धित कागजात, इत्यादि आते हैं। इस श्रेणी के अभिलेख इतने कीमती होते हैं की मूल को निष्क्रिय नहीं किया जा सकता। मूल अभिलेख के न्यूनतम तक पहुँच होनी चाहिए। क्योंकि अक्सर संदर्भ के लिए इनकी आवश्यकता होती हैं। इसलिए इस वर्ग के अभिलेखों को स्थायी रूप से संरक्षित करने के लिए शुरू के 25 वर्ष के बाद उनकी माइक्रोफिल्म तैयार की जाती है।

वर्ग–बः इस वर्ग/श्रेणी में वे मिसलें और दस्तावेज आते हैं जिन्हें शुरू के 25 वर्षों के लिए स्थायी रूप से रखा जाता है। ये स्थायी रूप से प्रशासनिक उद्देश्य से संरक्षित हैं इनमें वैल्यू के लिए संरक्षित की जाने वाली सामग्री नहीं होती है, इसलिए इनकी माइक्रोफिल्म करने की आवश्यकता नहीं है।

वर्ग–सः इस वर्ग में माध्यमिक महत्व के अभिलेख/मिसलें होती हैं जिनका संदर्भ वैल्यू/मूल्य एक सीमित अवधि तक रहता हैं। इन्हें 10 वर्ष से अधिक नहीं रखा है। 10 वर्ष के बाद उन्हें नष्ट कर दिया जाता है।

अभिलेख प्रतिधारण

(अ) सुविधा कार्यों से संबन्धित रिकॉर्ड/अभिलेखों की प्रतिधारण अनुसूची

सुविधा कार्यों से संबन्धित रिकॉर्ड सभी विभागों के लिए आम हैं। इसके अंतर्गत सेवा, प्रतिष्ठान, कार्मिक और हाउसकिपिंग मामलें, स्थापना, कल्याण, सामान्य कार्यालय सेवाएँ, आवास, फर्नीचर, उपकरण और उपस्कर, संसद, सुरक्षा इत्यादि कार्यों से

संबन्धित रिकॉर्ड आते हैं।

(ब) प्रांसगिक कार्यों से संबन्धित रिकॉर्ड की प्रतिधारण अनुसूची

प्रासंगिक कार्यों के अंतर्गत संगठन की संरचना और कार्यों का अध्ययन, विभिन्न विभागों, अनुभागों, इकाइयों/प्रकोष्ठों, के बीच कार्यों के वितरण का अध्ययन, रिकॉर्ड समूहों का अध्ययन, विषय प्रमुखों की सूची और रिकॉर्ड समूह इत्यादि से संबन्धित रिकॉर्ड आते हैं।

प्रतिधारण के लिए निर्धारित रिकॉर्ड की अवधारणा निर्दिष्ट समय के आधार पर की जाती है। मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रक्रिया के परिशिष्ट 28 में फाइलों के अलावा रिकॉर्ड की प्रतिधारण अवधि निर्धारित की गयी है। जैसे– अनुभाग डायरी–3 वर्ष, डायरी रजिस्टर–5 वर्ष, फाइल रजिस्टर–15 वर्ष, चपरासी पुस्तक– 1 वर्ष इत्यादि।

सामान्य वित्तीय नियमों के परिशिष्ट 13 मे खातों और बजट से संबन्धित अभिलेखों/रिकॉर्ड के लिए प्रतिधारण निर्धारित किया गया है। विभाग में अधिकारियों द्वारा संभाले जा रहे काम की मूल वस्तुओं से संबन्धित प्रतिधारण अनुसूची विभागीय अभिलेख अधिकारी के पास उपलब्ध रहती है। इस प्रतिधारण अनुसूची की तैयारी के लिए विभागीय अभिलेख अधिकारी द्वारा पहल की जाती है और अंत में इस प्रतिधारण अनुसूची को भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार से अनुमोदित करवाया जाता है।

रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया

रिकॉर्डिंग की समग्र सहायक गतिविधियां पर्यवेक्षक अधिकारी के अधीन दफ्तरी द्वारा की जाती हैं। फाइलों की रिकॉर्डिंग के संबंध में रिकॉर्ड क्लर्क द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं:–

- वर्ग 'स' की फाइलों के फाइल कवर पर प्रतिधारण अवधि और उनको नष्ट करने का वर्ष निर्दिष्ट किया जाता हैं।
- जहां जरूरी हो फाइलों को संशोधित किया जाता हैं।
- 10 वर्ष से अधिक के लिए संरक्षित की जाने वाली फाइलों को अनुक्रमित किया जाता है।
- फाइलों से सभी अनावश्यक कागज (रिमाइन्डर, रफ ड्राफ्ट, स्लिप्स) हटाकर नष्ट कर दिये जाते हैं।

- सभी संदर्भों को पूरा किया जाता है।
- फाइल आवक–जावक रजिस्टर मे प्रविष्टियों के आगे लाल स्याही में दर्ज शब्दों को प्रमुखता से लिखा जाता है।
- फाइलों में पेंसिल से लिखी गई पृष्ठ संख्या और अन्य संदर्भों को बदलना।
- 'स' वर्ग की फाइलों के कवर पर समीक्षा का वर्ष इंगित करना और जहाँ जरूरी हो, ताजा कवर लगाना।

अभिलेख मूल्यांकन

प्रत्येक अभिलेख सृजक एजेंसी विभिन्न कार्यक्रमों तथा नीतियों से बहुत बड़ी मात्रा में रिकॉर्ड उत्पन्न करती है किन्तु सभी अभिलेख प्रतिधारित नहीं किए जा सकते है। इसलिए अभिलेखों के चुनिन्दा प्रतिधारण के लिए मूल्यांकन की प्रक्रिया को अपनाया गया है।

अभिलेखों की वर्तमान प्रशासनिक, विधायी तथा राजकोषीय उपयोग के साथ इनके साक्षयात्मक, सूचनात्मक और उनके आंतरिक मूल्य के आधार पर अभिलेखों के महत्व का पता करने की प्रक्रिया ही अभिलेख मूल्यांकन है। मूल्यांकन का कार्य अभिलेख पेशेवरों द्वारा 25 वर्ष से अधिक पुरानी फाइलों/अभिलेखों के विषय में निष्पादित किया जाता है।

मूल्यनिरूपण राष्ट्रीय अभिलेखागार के सहयोग से किया जाने वाला सार्वजनिक अभिलेखों का मूल्यांकन है। लोक अभिलेख अधिनियम 1003 की धारा 3(2) तथा लोक अभिलेख नियम 1997 के नियम 5 के तहत स्थायी प्रकृति के अभिलेखों का मूल्यनिरूपण तथा इन्हें संरक्षित करने के लिए अभिलेखागार में जमा करने के लिए महानिदेशक राष्ट्रीय अभिलेखागार को अधिकृत किया गया है। लोक अभिलेख नियम 5(2) के तहत विभागीय अभिलेख अधिकारी द्वारा नियत स्थायी प्रकृति के अभिलेखों का विवरण प्रपत्र 1 में भरकर प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी से पूर्व महानिदेशक राष्ट्रीय अभिलेखागार को भेजा जाना आवश्यक है। लोक अभिलेख अधिनियम 1993 की धारा 6(1) के अनुसार अभिलेख अधिकारी राष्ट्रीय अभिलेखागार के परामर्श से 25 वर्ष से अधिक पुराने अभिलेखों का मूल्यनिरूपित करने के लिए जिम्मेदार है। अंत में अभिलेखों को वैज्ञानिक तरीके से परिरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार में स्थानांतरित किया जाता है।

हस्तांतरण

एक बार फाइल के रिकॉर्ड होने के बाद उसका कस्टोडियन बदल जाता है। रिकॉर्डिंग के बाद अगले एक वर्ष के लिए फाइल अनुभाग में दफ्तरी की कस्टडी में रहती है। एक वर्ष की समाप्ति के बाद फाइल को विभागीय अभिलेख कक्ष (रिकॉर्ड रूम) में भेजा जाएगा जहाँ वह

विभागीय अभिलेख ॉर्ड अधिकारी के संरक्षण में रहेगी। अगर फाइलें अ और ब श्रेणी की हैं, जिन्हें 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के अभ्यावेदन के साथ संयुक्त रूप से समीक्षा की जाती है और यदि भविष्य में उपयोगी होने की संभावना पायी जाती हैं, तो उनके द्वारा ले लिया जाता है। इस प्रकार ऐसे रिकॉर्ड का अंतिम संरक्षक राष्ट्रीय अभिलेखागार होता है।

रख–रखाव

रख–रखाव में रिकॉर्ड किए गए दस्तावेजों की नियमित रूप से सफाई, क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत, आदि शामिल हैं। अभिलेखों के उचित रख–रखाव की जिम्मेदारी अभिलेखों के संरक्षक की है।

संरक्षण

संरक्षण अभिलेखों के रख–रखाव की अगली कड़ी है। इसके अंतर्गत भविष्य में संदर्भों के लिए अभिलेखों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, प्रकृति की अनियमितताओं का सामना करने के लिए रीप्रोग्राफी, माइक्रो–फिल्मिंग, लेमिनेशन इत्यादि गतिविधियां शुरू की जाती हैं।

पुनः प्राप्ति

अभिलेख प्रबंधन के क्षेत्र में यह एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। यदि हम संरक्षित अभिलेख को पुनः प्राप्त करने में असमर्थ हैं, तो यह नष्ट है। अभिलेख की पुनः प्राप्ति के लिए/उनकी खोज के लिए इंडेक्स कार्ड, मुद्रित इंडेक्स, संगठनात्मक इतिहास इत्यादि प्रक्रियाओं का सहारा लिया जाता हैं। अभिलेख की पहचान इंगित करने के लिए उन्हें अलग–अलग रंग के कपड़ों में बांध के रखा जाता जाता हैं। अभिलेख की पुनः प्राप्ति के लिए अनुरोधकर्ता को अनुरोध एक नोट/पर्ची/मांग पर्ची के माध्यम से करना होगा, जिसके अनुसार दफ्तरी/रिकॉर्ड अधिकारी मांग पर्ची में इंगित फाइल को वाहक को दे देगा और उस पर्ची को नियत रजिस्टर में रख देता है। अभिलेख के पुनः रिकॉर्ड रूम में प्राप्त होने पर उसे दफ्तरी यथा स्थान पर रख देता है।

निपटान

लोक अभिलेख अधिनियम 1997 की धारा 47 के अनुसरण में बनाए गए प्रपत्र 6 निपटान के लिए निर्धारित अभिलेखों का ब्योरा दिया जाता है। इसमें मुख्यतया स वर्ग की फाइलें/रिकॉर्ड होते हैं। निपटान के लिए एक प्रमाण–पत्र तैयार किया जाता है। तत्पश्चात अभिलेखों को छोटे–छोटे टुकड़ों में काटकर या जलाकर नष्ट कर दिया जाता है।

कविता

तू जरा साथ दे

डॉ. महावीर

पूरी धरा साथ दे, और बात है
तू जरा साथ दे, तो और बात है।
कोई साथ दे, साथ ना दे,
कोई हाथ दे, हाथ न दे,
तू जरा हाथ दे, तो और बात है।

अँधेरा मिटाने को है सूरज,
चाँद, अनगिनत सितारे
तू जरा चिराग दे, तो और बात है।

सातों सुर, शहनाइयों की गूँज,
मुरली की धुन, सितार की तान,
तू जरा थाप दे, तो और बात है।

वस्त्र, आभूषण, चन्दन, कुंदन
सभी तो हैं ढकने को तन,
तू जरा ढांप दे, तो और बात है।

जीवन की डोर, कोई ओर न छोर,
इधर कटी, उधर अटकी,
तू जरा बाँध दे, तो और बात है।

प्यार, स्नेह, आदर, सत्कार
सभी ने दिया, सब तो दिया,
तू जरा लाड दे, तो और बात है।

भाषण, विज्ञापन, बातें ही बातें,
तू जरा बात करे, तो और बात है।

ख्याति, उपाधि, तालियों की गड़गड़ाहट,
तू जरा दाद दे, तो और बात है।

(नोटः प्रथम 2 पंक्तियां कवि डॉ० कुँअर बेचैन की हैं।)

स्वच्छता संकल्प

डी.एम. नंदनवार

करके नमन गाँधीजी व शास्त्रीजी को, जन्म दिन आज उनका मनाना है।
लेकर संकल्प स्वच्छता का आज से, स्वच्छता मिशन अभियान चलाना है।
सपना था स्वच्छ सुन्दर भारत हो, गाँधी जी भारत का जो देखे थे।
जय–जवान जय–किसान का नारा देकर, शास्त्री जी खुशहाली भारत की चाहे थे।

लेकिन बिगड़ी मानसिकता हम लोगों की, जहाँ–तहाँ गन्दगी फैलाते हैं।
अपने घर के कूड़े–कचड़े को क्यों, गली–मोहल्लों में बिखराते हैं?
लायें सुधार तुच्छ मानसिकता पर, उचित संसाधन क्यों नहीं अपनाते हैं।
कूड़ा–कचरा दूर निपटा कर, अब माँ धरा को सुन्दर स्वच्छ बनाना है।

लपेट कूड़ा थैली फेंक गली में, नाक सिकोड़ गली से उधर–इधर जाते हैं।
खुद गन्दाकर गली मुहल्ले को, इतना भी सोच समझ क्यों न पाते हैं।
कूड़ा–कचरा मुहल्ले में सड़ा गलाकर, बीमारियाँ कितनी फैलाते आये हैं।
लोग क्यों खुद अपने हाथों से, अपने ही पाँव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं।

संकल्प लें नहीं फैलाएंगे अब कूड़ा हम, उचित निपटान कराएंगे।
अगर दिखायी दे गन्दगी कहीं पर, मिलकर सब तुरन्त सफाई कराएंगे।
गन्दगी दुश्मन स्वास्थ्य, सौंदर्य, विकास देश की, अब गन्दगी में हम जी न पाएंगे।
आओ 2 अक्टूबर को मिलकर संकल्प लें, भारत स्वच्छता मिशन कामयाब बनाएंगे।

बस एक कदम और

नवीन कुमार

बस एक कदम और इस बार किनारा होगा
बस एक नजर और इस बार इशारा होगा
अम्बर के नीचे उस बदली के पीछे कोई तो किरण होगी
इस अन्धकार से लड़ने को कोई तो किरण होगी
बस एक पहर और इस बार उजाला होगा
बस एक कदम और इस बार किनारा होगा

जो लक्ष्य को भेदे वो कहीं तो तीर होगा
इस तपती भूमि में कही तो नीर होगा
बस एक प्रयास और अब लक्ष्य हमारा होगा
बस एक कदम और इस बार किनारा होगा

जो मंजिल तक पहुँचे वो कोई तो राह होगी
अपने मन को टटोलो कोई तो चाह होगी
जो मंजिल तक पहुँचे वो कदम हमारा होगा
बस एक कदम और इस बार किनारा होगा
बस एक नजर और इस बार इशारा होगा ।

यादें

प्राण कुमार

यादें ही तो सपनों का समन्दर है,
यादें ही तो दोस्ती की पहचान,
जी लेते हैं, अकेले हम
बस रह जाती है उनकी पहचान,
पहचान भी ऐसी होती है,
जो जीने का रास्ता दिखाती है
और उन दोस्तों की याद दिलाती है
जिन्होंने बीते समय में साथ निभाया था,
उनकी पहचान बतलाती है,
एक आती है, और एक चली जाती है,
यह सिलसिला जारी रहता है,
बस रह जाती है तो उनकी यादें।

यादों के सहारे जी लेते हैं लोग,
बस यादों में खोकर,
हँसते और मुस्कुरा लेते हैं लोग,
और यादों के सहारे रो भी लेते हैं लोग।

यादें प्यार का समन्दर हैं,
प्यार को ही यादों में लेकर,
जीने का आधार बना लेते हैं लोग
यादें जीवन को जीने का मूलमंत्र सिखाती हैं।

यादों के सहारे अकेले भी जी लेते हैं लोग,
दोस्तों की कमी हर–पल जीवन को यादों से जोड़ देती है,
यादें ही तो हँसाती हैं और रूलाती हैं।

अकेला नहीं रहता कोई,
उनके साथ हर समय रहती है कोई,
अकेले में भी दोस्ती निभाती है कोई,
हर पल जीने का रास्ता दिखाती है कोई,
साथ जीने साथ मरने की कसम खाती है कोई,
जीवन को प्रेम करने की सीख सिखाती है कोई,
दोस्तों को यादों के सहारे, पास बुलाती है कोई,
वही तो बहलाती है वही तो हँसाती है,
वही तो उदासी को दूर भगाती है,
वही तो कहलाती है – यादें–––

माँ

रजनीश कुमार सक्सैना

माँ चंदन की सुगंध है, माँ रेशम का तार ।
बँधा हुआ जिस तार से, सारा घर–संसार ।।

माँ थी घर में जब तलक, जुड़े रहे सब तार ।
माँ के जाते ही उठी, आँगन में दीवार ।।

यहाँ–वहाँ सारा जहाँ, नापे अपने पाँव ।
माँ के आँचल सी नहीं, और कहीं भी छाँव ।।

रिश्तों का इतिहास है, रिश्तों का भूगोल ।
माँ का प्यार अनमोल है, जिसका नहीं है जग में तोल ।।

प्रभाष कुमार

बंधन

अत्यंत मनोरम प्रकृति के नजारे हैं

उनके यौवन के रंग–ब करारे हैं

उनके नयन भी तीखे और कजरारे हैं

उनके मन–प्रांगण में आई हुई बहारे हैं

दिल में उठते रहते इश्क के गुब्बारे हैं

हम गीत गजल गाने वाले बंजारे हैं

हम दोनों जीवन नदियां के किनारे हैं

यहां जाति धर्म बंधन के उठते अंगारे हैं

"प्रभाष" कैसे तोड़ें बंधन? कोई नहीं सहारे हैं।

अमानत

मैं किसी और की अमानत हूं

अमानत में खयानत न करो

मेरे रूप सौंदर्य पर नजर गड़ाने वालों

समाज की खिलाफत से डरो

मुझे अबला नारी मत समझो

मेरे चट्टानी आत्मबल की पुरजोर बगावत से डरो

यहां की अदालत से नहीं खुदा की अदालत से डरो।

भयानक खौफ

रणसिंह सैनी

आतंकवाद से आंतकियों ने,

आतंक बहुत मचाया ।

रूह लगी थर्राने उनसे,

लगी कांपने काया ।

नहीं बख्शा, उन कलियों को भी,

जो थी बीच मदरसे ।

झरने बन गए, नयन पिता के,

मँ ममता को तरसे ।

वे तो करते आए सदा से,

जो मन को है भाया ।

रूह लगी थर्राने उनसे,

लगी कांपने काया ।

आतंकवाद से...

मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारे,

रहे नहीं अब छानी ।

निर्दयी खून बहाते ऐसे,

जैसे बहता पानी ।

वे क्या चाहते हैं जनता से,

नहीं समझ में आया ।

रूह लगी थर्राने उनसे,

लगी कांपने काया ।

आतंकवाद से..

इंसान के चोले में देखो,

पनप रही हैवानियत ।

कहने को इन्सान हैं वे भी,

पास नहीं इन्सानियत ।

इस चोले को एक ही पल में,

दागी आज बनाया ।

रूह लगी थर्राने उनसे,

लगी कांपने काया ।

आतंकवाद से..

झूठा है प्रशासन उनका,

बुजदिल है सरकार ।

चन्द लोगों के सामने देखो,

डाल दिए हथियार ।

उनकी ही भाषा में उनको,

क्यों नहीं सबक सिखाया ।

रूह लगी थर्राने उनसे,

लगी कांपने काया ।

आतंकवाद से..

पानी की सीख

शशिकांता पुरी

प्रत्येक प्राणी का पानी के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। महर्षि पतंजलि ने तो प्राणी के लिए पानी की अनिवार्यता देखकर प्राणी की परिभाषा पानी के आधार पर ही की है। जो बिना पानी के पीड़ित होने लगता है, वह प्राणी है। पानी के विशिष्ट गुणों को देख इसे जीवन का आधार ही नहीं, अपितु अपना आदर्श गुरू भी मान लें तो हम सबका कल्याण हो जाएगा। प्रस्तुत है पानी के कुछ विशिष्ट गुणः–

1. **शीतलताः–** पानी को कितना भी उबाला जाए फिर भी वह अपने शीतल स्वभाव की ओर ही लौटता है। मनुष्य की आत्मा भी पानी की तरह मूल रूप से शांत है। वह कितनी भी क्रोध से आक्रांत हो जाए, पुनः शांत स्वरूप की ओर लौट आती है। जिस प्रकार पानी को उबालने के लिए बाहर से गर्मी दी जाती है क्योंकि उसके पास अपनी गर्मी नहीं होती है। उसी प्रकार मानव आत्मा के पास अपनी गर्मी अर्थात् क्रोध, चिंता, झूठ, कपट नहीं है। ये विकार स्वयं की विस्मृति होने पर, आवरण की तरह आकर उसके मूल गुणों को ढक लेते हैं। अतः जब भी पानी के संपर्क में आएं, याद करें कि मुझे पानी की तरह शीतल बनना है।

2. **गतिशीलताः–** पानी निरंतर गतिशील रहता है, मार्ग में चट्टान आ जाए तो अगल बगल से आगे बढ़ने का रास्ता खोज लेता है। मार्ग को रोकने वाली शिला एक दिन बालू के कण में बदल जाती है। हम भी पानी की तरह निरंतर बहने वाले बनें। कहा जाता है, पानी बहता भला, योगी रमता भला। जैसे रुके पानी में कीड़े, सड़ांध पैदा हो जाती है, इसी प्रकार स्थान और व्यक्तियों के मोह के संकुचित गड्ढे में पड़े व्यक्ति में भी कई दुर्गुण पैदा हो जाते हैं। जैसे पानी सबकी प्यास बुझाता, धरती को हरा–भरा करता चलता जाता है, उसी प्रकार हम भी सबको सुख देते हुए निरंतर गतिशील रहें।

3. **पारदर्शिताः–** महात्मा बुद्ध ने कहा है 'मानव जीवन पानी की तरह पारदर्शक होना चाहिए। पानी में कोई दुराव–छुपाव या पर्दा नहीं। जैसा दिखता है, भीतर भी वैसा ही है। पानी की तरह हमें भी अंदर–बाहर एक जैसा रहना है। जीवन खुली किताब की तरह हो, कोई भी, कभी भी, कहीं से भी पढ़ ले।

4. **साम्यता का भावः–** पानी के भरे बर्तन में से, चाहे नीचे लगी टूंटी हो या ऊपर से ढक्कन खोलकर, कहीं से भी पानी निकालें, पानी अपने तल को समतल रखता है। पानी की निकासी होने

पर उसकी कमी पूरे तल में समान रूप से बंट जाती है। यदि बर्तन में कहीं से पानी भरा जाता है तो भी उसका समान वितरण तुरंत हो जाता है। पानी का यह गुण हम भी अपने जीवन में धारण करें। जो लाभ हो, प्राप्ति हो उसे सबका लाभ बना दें। सबसे बांट लें। प्राप्तियों का संग्रह ना करें। जो इस प्रकार बांट कर चलता है उसको कमी का सामना कभी नहीं करना पड़ता।

5. **हल्का रहनाः–** पानी हल्के को सिर पर रखकर ले चलता है। भारी को गिराने में परहेज नहीं करता है। हम भी हल्के रहेंगे तो परमात्मा को प्यारे लगेंगे। भारी रहेंगे तो परमात्मा की देख–रेख से वंचित रह जाएंगे। अतः सदा हल्के रहें और उड़ते रहें।

6. **समायोजनः–** पानी को जिस बर्तन में डालें या जिस भी स्थान पर रखें, वैसा आकार धारण कर लेता है क्योंकि उसमें लचीलापन बहुत ज्यादा है। हमें समय और परिस्थिति के अनुसार ढलने की कला आनी चाहिए। तभी हम सफल हो सकते हैं।

इस प्रकार पानी के गुणों को ग्रहण कर हम और अधिक गुणवान बन जाएंगे।

कलाम को मेरा सलाम

उदयवीर सिंह

यह सत्य है कि जब जिसका समय आता है, जहाँ आता है, कोई भी हो सभी को जाना पड़ता है। चाहे विद्वान ही क्यों न हो, सभी को नियत समय पर जाना पड़ता है। लेकिन महान पुरुष गरीब, अमीर हो या विद्वान पुरुष की क्षतिपूर्ति नहीं हो पाती जिसके अभाव में समाज या देश को नुकसान उठाना पड़ता है।

हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री अब्दुल कलाम आजाद आज हमारे बीच में नहीं हैं। उनकी आँखें जैसे ही बन्द हुईं, वैसे सारे मुल्क की आँखों से अश्रुधारा बह निकली। कलाम जी के अचानक निधन के बाद हमें एक ऐसा खालीपन महसूस हो रहा है जिसकी सदियों तक चाहें भी तो हम लोग उसकी भरपाई ना कर पाएं। कलाम जी की यह बड़ी विशेषता थी कि वे सभी धर्मों में श्रद्धा एवं विश्वास रखते थे। वे हमेशा पढ़ाई में ही आगे नहीं रहे, अपितु वे अपने लक्ष्य को

पाने के लिए प्रयासरत रहे और अपनी मंजिल तक पहुंचे।

एक नाविक का बेटा होने के कारण, सपने देखा करते थे और बचपन में अपने नन्हे–नन्हे हाथों में समंदर को भरा करते थे। कलाम जी किसी धर्म विशेष को नहीं मानते थे। जब उनका दिल आया, साधु–संतो के चरणों में जाकर बैठ जाया करते थे। कलाम जी अपने एक हाथ में कुरान रखकर, दूसरे हाथ में गीता रखते थे, लेकिन दोनों के ऊपर पहले हिन्दुस्तान को रखा करते थे।

वे हमेशा अपनी मिसाइलों के निर्माणों में व्यस्त रहा करते थे। कलाम जी के अंदर एक ऐसी मर्दानगी थी अगर उनके रास्ते में कोई बाधा आती थी, तो उस बंधन को वे स्वयं तोड़ दिया करते थे। एक बार कलाम जी ने अमेरिका के सामने अपना बनाया हुआ बम फोड़कर अपनी मर्दानगी की चुनौती दी थी कि अमेरिका सपने देखना छोड़ दे, भारत किसी काम में उससे पीछे नहीं है। स्वर्गीय कलाम जी ने हर संभव अपनी भारत माँ की रक्षा की पहरेदारी की है।

कलाम जी कभी दुश्मन के सामने नहीं झुके। कलाम साहब छोटे–छोटे बच्चों को इतना प्यार करते थे, जब किसी कार्यक्रम में जाते थे तो बच्चों की एक बड़ी भीड़ लग जाती और बच्चे उनके आगे पीछे चलते थे। कभी बच्चों को अपनी गोद में उठाते तो कभी कंधों पर या पीठ पर बैठा लिया करते थे और बच्चों को समझाते थे कि मेरे आगे पीछे नहीं, मेरे दोस्त बनकर मेरे बराबर में चलें और आने वाले वक्त में भारत मॉ की रक्षा करना। इस प्रकार कलाम जी बच्चों को प्रेरित करके अपनी तरफ लुभाया करते थे। बच्चे कलाम जी को चाचा कहकर पुकारते थे।

इस चाचा के आगे चाचा नेहरू तो बहुत पुराने लगते थे। कलाम जी के माथे पर पड़ी उनकी जुल्फों को देखकर ऐसा प्रतीत होता था, जैसे कश्मीर की ऊंची चोटियां मेरी भारत माँ की रक्षा करती, उसी प्रकार भारत माँ ने अपना ऑचल कलाम जी के सरपर डाल दिया हो।

स्वर्गीय अब्दुल कलाम जी पर सभी भारतवासियों को गर्व है और सभी के सीने में एक दर्द है कि अगर जीना है तो अब्दुल कलाम जी की तरह जीना है। कलाम जी कहते थे कि एक सफलता मिलने पर अपने को कामयाब नहीं समझना, कभी अपनी प्रशंसा न करना। दूसरों के द्वारा की गई प्रशंसा तुम्हारी अपनी कामयाबी होगी। सदैव आगे बढ़ना, पीछे मुड़कर मत देखना। पीछे मुड़कर देखने वाले कभी कामयाब नहीं होते। तभी तो कहा है:–

आज समय का पहिया घूमा,
सब कुछ पीछे छूट गया,
एक सितारा भारत माँ की
ऑखों का तारा टूट गया।

योग का बढ़ता महत्व

नेत्रपाल

आज दुनिया भर के लोग योग का अभ्यास कर रहे हैं। योग सिर्फ एक प्रवृत्ति नहीं है, यह जीवित रहने का एक तरीका भी है। दुनिया भर के लाखों लोगों को योग ने लाभान्वित किया है। हर साल 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। योग मूलतः भारतीय दर्शन है। भारत के प्रधानमंत्री के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा मंजूरी मिलने पर पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, 2014 को मनाया गया। योग केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह एक दर्शन है, जिसका आयाम व्यापक है। इसके प्रणेता महर्षि पतंजलि हैं। छह दर्शनों (षड्दर्शन) में से योग दर्शन एक है। इस दर्शन का उद्देश्य मनुष्य को वह मार्ग दिखाना है, जिस पर चलकर वह जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। योग के माध्यम से व्यक्ति आत्म–साक्षात्कार करके परमात्मा से जुड़ सकता है। मनुष्य की आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने का काम योग करता है। योग के माध्यम से मनुष्य अपने मन पर नियन्त्रण रखकर जीवन में सफल हो सकता है।

भारत सरकार के कार्यालयों में योग दिवस पर प्रतिवर्ष बड़े स्तर पर आयोजन किया जाता है, जिसका लाभ अधिकांश कार्मिकों को मिल रहा है। नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन में प्रतिवर्ष योग दिवस पर योगाचार्य द्वारा अपने को तंदरूस्त रखने के लिए, विशेषतौर पर दिमागी संतुलन को बनाए रखने हेतु कार्यक्रम किए जाते रहे हैं। अब तक किए गए आयोजनों से संगठन के अधिकारी एवं कर्मचारी तनाव कम करते हुए चिंतामुक्त होते आए हैं। इसके साथ–साथ उनमें रोगप्रतिरोधक क्षमता का निर्माण हो रहा है ताकि वे छोटी–मोटी बीमारियों से स्वयं को बचाए रखें।

वास्तव में तनाव से अपने आपको दूर रखना भी बहुत टेढ़ी खीर है। जितना हम तनाव को कम करने की सोचते हैं, उतना ही किसी न किसी प्रकार की समस्या या चिंता हमें आ घेरती है। हमारे न चाहते हुए भी हम और अधिक चिंता में घिरते जाते हैं। वर्ष 2020 में जिनका आत्मविश्वास बहुत मजबूत था, जो अपने आपको बहुत धुरंधर मानते थे, उनके पैर भी कोरोना काल में डगमगाते और कमजोर होते देखे गए हैं। इस काल में उनको भी हताश और निराश होते पाया गया।

योग को हमें वास्तविकता में अपनाना है। योग शब्द को केवल व्यायाम से ना जोड़ें। यह एक सुंदर अभ्यास है जो आपकी मानसिक ताकत बढ़ाता है तथा योग शारीरिक स्वास्थ्य का स्थिर और आध्यात्मिक विकास करता है। योग मानवता के लिए एक चमत्कारी वरदान है जिससे निम्न लाभ प्राप्त कर सकते हैंः–

संतुष्टि वृद्धि

योग का अभ्यास करते समय ध्यान, गहरी साँस लेना और अपनी साँस को नियंत्रित करना होता है। पतंजलि के योग सूत्र के अनुसार, योग मन के उतार–चढ़ाव को शांत करता है। दूसरे शब्दों में यह निराशा, खेद, क्रोध, भय को धीमा करता है, जो तनाव का कारण बन सकता है।

तनाव बहुत सी स्वास्थ्य समस्याओं की जड़ है जिसमें माइग्रेन और अनिद्रा से लेकर उच्च रक्तचाप और दिल के दौरे तक हैं। अगर आप अपने दिमाग को शांत करना सीख जाते हैं तो आप लंबे समय तक निरोग रहेंगे।

एकाग्रता और ध्यान में सुधार होता है

योग का एक महत्वपूर्ण बिंदु वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना होता है। अध्ययन में पाया गया है कि नियमित योग अभ्यास प्रक्रिया एकाग्रता, स्मृति और यहां तक कि ज्ञान में सुधार करती है। ध्यान लगाने का अभ्यास करने वाले लोग समस्याओं को हल करने और बेहतर तरीके से जानकारी हासिल करने में तेज होते हैं।

दिमाग और शरीर के संबंध में सुधार

आसन और विशेष श्वास तकनीक के उपयोग से दिमाग और शरीर के बीच संबंध में सुधार किए जा सकते हैं। आसन और सांस लेने की तकनीकें मस्तिष्क में रक्त प्रवाह को बढ़ाती हैं।

आत्मज्ञान जागरूकता का निर्माण

योग और ध्यान आत्मज्ञान जागरूकता का निर्माण करते हैं। आप जितना अधिक जागरूक होंगे, क्रोध जैसी भावनाओं से मुक्त होंगे। योग करुणा की भावनाओं को बढ़ाता है, जो मन को शांत करके क्रोध को कम करता है। नियमित रूप से योग का अभ्यास करने से कृतज्ञता, सहानुभूति और क्षमा की भावनाओं की उत्पति होती है।

शरीर लचीला और मजबूत

योग से शरीर में लचीलापन आता है। पहली बार के दौरान आप शायद अपने पैर की उंगलियों को छूने में सफल नहीं होंगे, लेकिन इसके निमियत अभ्यास करने से अंत में असंभव योग बिना किसी मुश्किल से आसान कर सकेंगे। योग मांसपेशियों में लचीलापन लाने के अलावा मांसपेशियां को मजबूत भी करता है। योग गठिया और पीठ दर्द जैसी बीमारियों से भी बचाता है।

मोटापा और वजन कम करने में सहायक

मोटापा एक ऐसी स्थिति है जहां शरीर में वसा (फैट) जमा होता है, जो दिल के दौरे जैसे स्वास्थ्य जोखिमों को बढ़ाने का कारण बन सकता है। तनाव, गलत जीवन शैली और बुरे खान–पान की आदत से मोटापा आता है। योग का उद्देश्य बेहतर खानपान और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से निरोग को बढ़ावा देना है। योग का नियमित अभ्यास करने से निश्चित रूप से मोटापा कम किया जा सकता है। विभिन्न योग आसन के माध्यम से वजन कम करने में सहायता मिल सकती है।

पीठ दर्द में राहत

शरीर में लचीलापन और पीठ दर्द के कारणों को रोकने में योग मदद कर सकता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पीठ दर्द होता है क्योंकि वे कंप्यूटर पर बैठकर या कार चलाते हुए अपना अधिकतम समय गुजारते हैं, जिसके कारण पूरे शरीर में जकड़न और रीढ़ की हड्डी सिकुड़ जाती है। योग इन स्थितियों का सुधार करता है।

समय का सदुपयोग

कमल सिंह

समय क्या है? उसका सदुपयोग क्यों आवश्यक है? सोचने की बात है! समय का वास्तविक अर्थ है–जीवन के उपलब्ध क्षण। समय अनवरत गतिशील है। समय की यह गतिशीलता ही जीवन है। जैसे घड़ी की टिक–टिक निरंतर सरकती हुई सुइयाँ यह चेतावनी दे रही हैं कि समय चला जा रहा है, कुछ कर लो, कुछ कर लो! जो क्षण एक बार चला गया, वह कभी लौटकर नहीं आता। देखते या समय की प्रतीक्षा करते रहने से जीवन यों ही बीत जाता है क्योंकि समय कभी आया नहीं करता, बल्कि मात्र जाया करता है।

एक बार एक व्यक्ति ने महात्मा गांधी से पूछा–"जीवन में ऊँचा उठने के लिए किसी को सबसे पहले क्या चाहिए? शिक्षा, शक्ति या धन?"

गांधी जी ने उत्तर दिया–"ये वस्तुएँ जीवन में उठने में सहायक अवश्य होती हैं, किन्तु मेरे विचार में एक वस्तु का महत्त्व सबसे अधिक है, वह है– समय की परख। प्रत्येक वस्तु का कोई समय होता है, उसे करने या न करने का। यदि आपने समय को परखने की कला सीख ली है, तो पुनः आपको किसी प्रसन्नता या सफलता की खोज में मारे–मारे भटकने की आवश्यकता नहीं, वह स्वयं आकर आपका द्वार खटखटायेगी।"

गांधी जी के इस कथन से दो निष्कर्ष निकलते हैं–प्रथम यह है कि हमें समय का मूल्य और महत्त्व समझना चाहिए। दूसरे यह कि समय के अनुसार काम करना चाहिए। जीवन की यही कुंजी है। कहावत भी है कि एक क्षण का पिछड़ा, सैकड़ों कोस पीछे रह जाता है। जो लोग निरन्तर असफल होते हैं, रहा करते हैं, वे प्रायः प्रतिकूल परिस्थितियों को बुरा–भला कहने लगते हैं। वस्तुतः बड़ी असफलता का कारण दुर्भाग्य नहीं होता, अपितु समय को गलत समझने, उसके तेवर की ठीक प्रकार पहचान न कर पाने की भूल होती है। यूनान के सबसे बड़े दार्शनिक अरस्तू ने इसे स्पष्ट करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को उचित समय पर, उचित व्यक्ति से, उचित मात्रा में, उचित उद्देश्य के लिए, उचित ढंग से व्यवहार करना चाहिए।

वस्तुतः एक–एक क्षण से प्रत्येक प्राणी का सम्बन्ध रहता है। एक–एक पल के संयोग से ही जीवन बनता है। एक–एक पल के बीतने के साथ–साथ जीवन घटता भी जाता है। अधिकतर व्यक्ति सोचते हैं कि कोई अच्छा समय आयेगा, तो काम करेंगे। इसी उधेड़–बुन में वे जीवन के अनेक अमूल्य क्षण खो देते हैं। वे दिनों, मासों और वर्षों को किसी शुभ क्षण की प्रतीक्षा में बिता देते हैं, किन्तु ऐसा समय किसी के जीवन में कभी नहीं आता, बिना हाथ हिलाए संसार की बहुत

बड़ी सम्पत्ति छप्पड़ फाड़कर उसके हाथ लग जाए। समय को तो अपनी परख, अपनी प्रबल इच्छा–शक्ति से लाना और परिश्रम से शुभ बनाना पड़ता है। वास्तव में पुरुष जिस समय को चाहे शुभ क्षण बना सकता है। आवश्यकता है समय की परख करके उचित परिश्रम करने की।

जो व्यक्ति आलस्यवश समय को नष्ट कर देते हैं, समय उन्हें नष्ट कर देता है–इस महामंत्र को सुन–समझकर भी हम भारतवासी समय के मूल्य को नहीं समझते। प्रायः प्रत्येक कार्य देरी से करते हैं। कहीं किसी ने आपत्ति की तो उत्तर देते हैं–यह हिन्दुस्तानी समय है! परन्तु यह बात भारत और सहज मानवीय गौरव के प्रतिकूल है। समय पर काम करने का गुण हमें पश्चिमी देशों से सीखना चाहिए।

हमारे प्रथम राष्ट्रपति स्वर्गीय डा० राजेन्द्र प्रसाद ने अपने इंग्लैण्ड के संस्मरणों में लिखा है– वहां के लोग समय का मूल्य खूब जानते हैं। इसलिए जो काम हो उसे इतनी जल्दी करते हैं कि मानो सभी दौड़ते ही दीखते हैं। सड़कों पर आप बहुत कम लोगों को, जो स्वस्थ हैं, आराम की चाल से चलते हुए देखेंगे, जिस चाल से हमारे नवयुवक भी प्रायः चला करते हैं और स्त्रियाँ तो धीरे–धीरे चलना जानती ही नहीं। रेल के स्टेशन पर जाइए, आपको टिकट इतनी जल्दी मिलेगा कि आपके मुँह से स्टेशन का नाम निकला कि टिकट सामने मौजूद है। समय बचाने के ख्याल से टिकट देने के लिए यन्त्र भी ऐसे ही हैं, जिनसे काम बहुत जल्दी निकलता है, जो समय जिस काम के लिए है, उसको ठीक उसी समय वे करेंगे। यदि आपने किसी से मिलने के लिए समय रखा है, तो विश्वास रखिए कि वह और घड़ी के कांटे एक साथ ही अपने–अपने निर्धारित स्थान पर पहुँच जायेंगे। आप काम के समय किसी से जाकर गप्पें नहीं कर सकते।

हमारा भी समय के प्रति यही आदर्श दृष्टिकोण होना चाहिए। समय की पाबंदी और सदुपयोग मानव–चरित्र की एक विशेषता है। प्रायः सभी महापुरुष समय के पाबंद होते हैं। इसके विपरीत समय में शिथिलता, चरित्र की बहुत बड़ी दुर्बलता है। विलम्ब से पहुंचने में न केवल अपना समय और कार्य नष्ट होता है, अपितु दूसरों का भी।

समय जगाता है हम सबको, झटपट जग जाना ही होगा।

देख विश्व–सिद्धान्त, कार्य में निर्भय लग जाना ही होगा।।

अतः सफलता के लिए हमें आज से ही समय के प्रत्येक पल के सदुपयोग की आदत डालनी शुरू कर देनी चाहिए। तभी हम अपने लक्ष्य को पा सकेंगे। जीवन का क्या वह तो किसी भी क्षण धोखा दे सकता है। जीवन से धोखा खाने से पहले हमें वह सब कर लेना है, जो हम चाहते हैं! तभी मुक्ति मिल सकती है, अन्यथा नहीं! इच्छाएं लेकर मरना, बार–बार जन्म–मरण के चक्कर में पड़े रहना हुआ करता है।

सीखना कैसे सीखें

ललित मेहता

हम सभी के जीवन में सीखना एक महत्वपूर्ण भाग है। चाहे युवा हो या वृद्ध, अनुभवी हो या नौसिखिया, सभी के पास सीखने को कुछ न कुछ अवश्य होता है। अनुभवी को अनुभवात्मक शिक्षा के बारे में रंगरूट (नए सदस्य) को सिखाना चाहिए और रंगरूट को जो भी नया और प्रचलित हो उसे अनुभवी को सिखाना चाहिए। डिजिटल मीडिया के आगमन ने सीखने को पहले से कहीं अधिक सहज कर दिया है। जहां 20 साल पहले एक प्रकाशन पाने के लिए सप्ताह लगते थे, अब यह एक बटन के क्लिक से ही मिल जाता है। इसके अतिरिक्ति, आज प्रौद्योगिकी इतनी स्मार्ट हो गई है कि हमारी अभिरुचि और प्रोफाइल के आधार पर हमें अनुसंशित करती है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। इससे ''सही समय पर'' सीखना कितना आसान हो गया है। यह लेख उन सदगुणों के बारे में चर्चा करता है, जो 21वीं शताब्दी में हम शिक्षार्थियों के रूप में बाहर बिखरे पड़े विशाल ज्ञान में से बेहतर करने तथा ''ज्ञान को समझदारी में बदलने'' हेतु रखते हैं।

एक सद्गुण जिसे शिक्षार्थियों के रूप में हमें अधिक कुशलता से सीखना चाहिए वह है ''भुला देने'' का सामर्थ्य। यह एक शाब्दिक विरोधाभास की तरह लग सकता है, लेकिन कोई केवल खाली होने पर ही कप को भर सकता है। ''आज के प्राणियों की मुख्य अक्षमता भुला देने में असमर्थता है।'' हम अपने सीखने की प्रक्रिया में स्वयं सबसे बड़ी बाधा हैं। पिछले अनुभवों से बने लेंस (तय तरीकों) से समस्या देखने की हम सभी में एक प्राकृतिक प्रवृति है। काफी स्पष्ट रूप से यह मनुष्य के अस्तित्व की प्रवृति से निकला है। एक बच्चा आग से नहीं खेलता है जब उसे यह पता चलता है कि वह जलाती है।

लेकिन इस गतिशील दुनिया में, जहां निरंतर समस्याएं विकसित हो रही हैं और बदल रही हैं, हमें अपने लेंस (दुनिया को अपनी दृष्टि से देखने का तरीका) को बदलते रहना और निरंतर विकसित करते रहना चाहिए। ''हम एक ही कार्रवाई से अलग–अलग परिणाम प्राप्त करने की उम्मीद नहीं कर सकते।'' इसलिए ऐसा खुला दिमाग रखना बहुत महत्वपूर्ण है, जो छाने (फिल्टर) बिना सुनता है और हालात पर फैसला करता है तथा पक्षपात नहीं करता है, जो विफल होता है और जल्दी से सीखता है।

हमारे सीखने की यात्रा में एक और महत्वपूर्ण सद्गुण है आत्मनिरीक्षण। ''द सोशियल एनिमल (सामाजिक पशु)'' पुस्तक के लेखक, डेविड ब्रुक्स के अनुसार, अधिकांश लोगों के पास

बहुत कम जानकारी है कि वे जो करते हैं उसका चुनाव क्यों करते हैं? इसे जानने के बजाय वे सहकर्मी दबाव, आवेगी और प्रतिक्रियाशील भावनाओं, प्रशंसा और स्थिति के अनुसार एक गहरी और अथाह आवश्यकता, वर्तमान में अति आत्मविश्वास, भविष्य के बारे में अत्यधिक चिंता, दर्द से बचने और आनंद की ओर बढ़ने के लिए विकासवादी वृत्ति और संतुष्टि में देरी करने की अनमोल छोटी क्षमता के द्वारा प्रभावित होते हैं।

अपने आंतरिक आवेगों और प्रेरणाओं को और अधिक गहराई से समझने हेतु अपने तर्कसंगत संकायों पर ध्यान देने के बजाय, हम अक्सर हमारे मस्तिष्काग्र की बाह्य परत (प्रीफ्रैंटल कॉर्टेक्स) को हमारे द्वारा पहले से ही अनजाने में की गई कार्रवाई को तर्कसंगत बनाने, उचित ठहराने, न्यूनतम करने और समझाने हेतु प्रयोग करते हैं। ''ए मेन हियर व्हाट ही वॉन्ट टू हियर (आदमी वही सुनता है जो वह सुनना चाहता है),'' द बॉक्सर में पॉल साइमन ने यह गीत गाया है, ''और बाकी की उपेक्षा करता है।'' संक्षेप में, हमारे पास स्वयं को धोखा देने की अनंत क्षमता है।

यह इस तथ्य से उपजी है कि हममें से अधिकांश नहीं जानते हैं कि हमें क्या नहीं पता है। ''यहां पर बहुत कुछ है जो हमें नहीं पता है, इसे जानने के लिए हमें जानना चाहिए।'' जिन विषयों के बारे में हम थोड़ा बहुत जानते हैं उन विषयों के बारे में अधिक जान कर खुद को शिक्षित कर सकते हैं, परन्तु जिन विषयों के बारे में हम नहीं जानते हैं उनको जानने के अपेक्षित कार्य के बारे में हम अनजान रह जाते हैं।

कृपया ध्यान दें कि इस ज्ञान क्षेत्र (डोमेन) में गूढ़ विषयों को शामिल नहीं किया गया है, उनमें से अधिकतर ''हम जो जानते हैं हमें नहीं पता है'' डोमेन में आते हैं। ये अधिकतर ऐसे विषय हैं जिनके बारे में ''लगता है'' या नाटक करते हैं कि हम जानते हैं लेकिन औचित्य से अनजान हैं। किसी के छींकने पर उसके लिए हमारी प्रतिक्रिया इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। चूंकि हमें छोटी उम्र से ही सिखाया जाता है कि किसी के छींकने पर ''आशीर्वाद (ब्लैस यू)'' के साथ प्रतिक्रिया देनी चाहिए, जो एक प्रतिबिम्ब बन गया है, लेकिन हममें से अधिकांश को यह पता नहीं है कि हम ऐसा क्यों कहते हैं और अनजाने में हम जिसके अभ्यस्त थे, उसको करते हैं।

अज्ञात को नहीं जानते हुए इस दुष्चक्र को तोड़ने का पहला कदम अपने आपसे ईमानदारी, विचारों की कठोरता को उतार फैंकने और खुद को हर चुनौती के बारे में मौलिक प्रश्न पूछने के साथ शुरू होता है। समझदारी हमारी अपनी अज्ञानता के प्रति जागरूकता के साथ शुरू होती है और जिज्ञासा उत्प्रेरित करती है। हालांकि, यह एक निरंतर प्रक्रिया है, क्योंकि व्यवहार का औचित्य इसके संदर्भ के साथ बदल जाता है। निम्नलिखित कदम ऐसे हैं जो इस नवप्रवर्तन की यात्रा में आपकी मदद करेंगेः–

- पैमाने की परवाह किए बिना, महत्वाकांक्षी नवप्रवर्तक के लिए अपने व्याख्यात्मक

अंतराल की खोज करना अनिवार्य है। ज्ञान में एक अज्ञात अंतराल का अर्थ आप पूरी तरह से एक समस्या को समझ नहीं सके हैं। इससे नवप्रवर्तनकारी समाधानों में बाधा आ सकती है। उन चीजों की खोज करने के लिए जिन्हें आप समझा नहीं सकते, सलाहकारों (मेंटर) से सबक लें। जब आप किसी और को निर्देश देते हैं, तो आपको अपने ज्ञान के अंतराल को भरना होगा।

- स्वयं अवधारणाओं को समझें क्योंकि आप उन्हें सीखते हैं। आत्म–शिक्षण की आदत डालें। आपके स्पष्टीकरण आपके ज्ञान के अंतराल को प्रकट करेंगे और उन शब्दों और अवधारणाओं को पहचानेंगे जिनके अर्थ स्पष्ट नहीं हैं।

- सहयोगपूर्ण सीखने में दूसरों को शामिल करें। अपने आस–पास के लोगों को उनके ज्ञान अंतराल की पहचान करने में सहायता करें। उन्हें मुश्किल अवधारणाओं को समझाने के लिए कहें, भले ही आपको लगता है कि हर कोई उन्हें समझता है। यह न केवल आपको नए विचारों के माध्यम से काम करने में मदद करेगा, यह यदा–कदा उन स्थानों को उजागर करेगा जिन स्थानों पर आपके सहयोगियों ने स्पष्टीकरण के महत्वपूर्ण पहलुओं को नहीं समझा है।

- विचार–मंथन सत्रों को प्रोत्साहित करें। निष्पक्ष रूप से विफलताओं और सफलताओं पर चर्चा करें। असफलताओं पर न केवल परिस्थितिजन्य दृष्टिकोण से बल्कि आत्मनिर्भर दृष्टिकोण से भी चर्चा की जानी चाहिए। डेटा और तर्क दें ताकि दूसरे सीधे निष्कर्ष देने के बजाय खुद के लिए निर्णय ले सकें। यह सफलता के लिए भी लागू होता है। चर्चा करें कि आपने जो किया वह आपने क्यों किया, आपके सामने और क्या विकल्प थे। आप इस प्रक्रिया में अधिक कुशल समाधान खोज सकते हैं, जो आपने समय के वेग में नहीं चुना होगा ... दुष्चक्र को तोड़ने की ओर एक कदम। जब आप इन अंतरालों को उजागर करते हैं, उन्हें सीखने के अवसरों की तरह समझें, ना कि कमजोरी या अविश्वास के लक्षण। आखिरकार, सफल नवप्रवर्तन इस धारणा पर निर्भर है कि आप और आपके आस–पास के लोगों को समस्या की उच्च गुणवत्ता समझ है। कभी–कभी, उस अवधारणा में दोष को उजागर करना आपको एक समाधान खोजने में मदद करेगा।

उम्मीद है कि यह आलेख हम सभी को आजीवन सीखने वाला बनने के हमारे प्रयासों में मदद करेगा।

हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2020–21 के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य

क्र.सं.	कार्य विवरण	'क' क्षेत्र	'ख' क्षेत्र	'ग' क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	हिंदी में मूल पत्राचार (ई–मेल सहित)	1. 'क' क्षेत्र (बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड राज्य तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र) से 'क' क्षेत्र को 100 प्रतिशत 2. 'क' क्षेत्र से 'ख' क्षेत्र को 100 प्रतिशत 3. 'क' क्षेत्र से 'ग' क्षेत्र को 65 प्रतिशत 4. 'क' क्षेत्र से 'क' व 'ख' क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय / व्यक्ति 100 प्रतिशत	1. 'ख' क्षेत्र (गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमण और दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र) से 'क' क्षेत्र को 90 प्रतिशत 2. 'ख' क्षेत्र से 'ख' क्षेत्र को 90 प्रतिशत 3. 'ख' क्षेत्र से 'ग' क्षेत्र को 55 प्रतिशत 4. 'ख' क्षेत्र से 'क' व 'ख' क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय / व्यक्ति 90 प्रतिशत	1. 'ग' क्षेत्र ('क' और 'ख' क्षेत्र में शामिल नहीं किए गए अन्य सभी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र) से 'क' क्षेत्र को 55 प्रतिशत 2. 'ग' क्षेत्र से 'ख' क्षेत्र को 55 प्रतिशत 3. 'ग' क्षेत्र से 'ग' क्षेत्र को 55 प्रतिशत 4. 'क' क्षेत्र से 'क' व 'ख' क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय / व्यक्ति 55 प्रतिशत
2.	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत
3.	हिंदी में टिप्पण	75 प्रतिशत	50 प्रतिशत	30 प्रतिशत
4.	हिंदी में डिक्टेशन	65 प्रतिशत	55 प्रतिशत	30 प्रतिशत
5.	हिंदी में प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत
राजभाषा संबंधी बैठकें				
6.	(क) हिंदी कार्यशाला	वर्ष में 4 कार्यशाला (प्रति तिमाही एक कार्यशाला)		
	(ख) राजभाषा कार्यान्वयन समिति	वर्ष में 4 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)		

राजभाषा नियम, 1976 – प्रमुख नियम

नियम संख्या	नियम
5	हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाए।
6	धारा 3(3) में निर्दिष्ट सभी दस्तावेज द्विभाषी रूप में तैयार और जारी किए जाए।
7	हिंदी में हस्ताक्षरित या हिंदी में प्राप्त आवेदन, अपील या अभ्यावेदन का उत्तर हिंदी में दिया जाए।
8(4)	अधिसूचित कार्यालयों में हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारियों को हिंदी में कार्य संबंधी आदेश जारी करना।
9	हिंदी में प्रवीणता प्राप्त
10(1)	हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त
10(4)	जिन कार्यालयों के 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान है, उनके नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे।
11	सभी मैनुअल व अन्य साहित्य हिंदी और अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित किया जाएगा। सभी नामपट्ट, सूचना पट्ट, पत्रशीर्ष आदि हिंदी और अंग्रेजी में लिखें/प्रदर्शित होंगे।
12	केंद्र सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का उत्तरदायित्व है कि वह: राजभाषा अधिनियम और नियमों तथा इनके तहत जारी आदेशों तथा निर्देशों का समुचित रूप से अनुपालन सुनिश्चित करे तथा इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त तथा प्रभावकारी जाँच बिंदु बनाए।

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 (3) के अंतर्गत आने वाले कागजात

सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार भारत के सभी मंत्रालयों/विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों से अपेक्षा की जाती है कि वे राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी होने वाले सभी कागजातों को द्विभाषी रूप यानी हिंदी और अंग्रेजी में साथ–साथ जारी करें। नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन में राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का पूर्णतया पालन किया जा रहा है। धारा 3(3) के अंतर्गत निम्नलिखित कागजात आते हैं:–

1.	सामान्य आदेश	General Orders
2.	संकल्प	Resolution
3.	नियम	Rule
4.	अधिसूचनाएं	Notifications
5.	प्रशासनिक एवं अन्य रिपोर्ट	Administrative and other Reports
6.	प्रेस विज्ञप्तियां	Press Communiques
7.	संविदाएं	Contracts
8.	करार	Agreements
9.	अनुज्ञप्तियां	Licences
10.	अनुज्ञा पत्र	Permits
11.	सूचनाएँ	Information
12.	निविदा प्रपत्र	Tender Form
13.	निविदा सूचना	Tender Notice
14.	संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने वाले कागजात	Papers to be placed before both the Houses of Parliament

सामान्य आदेश की परिभाषा

स्थाई किस्म के सभी आदेश, निर्णय, अनुदेश, परिपत्र आदि जो विभागीय प्रयोग के लिए हों तथा ऐसे सभी आदेश, अनुदेश, पत्र, ज्ञापन, सूचनाएँ, परिपत्र आदि, जो सरकारी कर्मचारियों के संबंध में या उनके लिए हों, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अधीन 'सामान्य आदेश' कहलाते हैं।

राजभाषा संबंधी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी

राजभाषा क्षेत्र

क क्षेत्र : बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड राज्य तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र

ख क्षेत्र : गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमण और दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र

ग क्षेत्र : 'क' और 'ख' क्षेत्र में शामिल नहीं किए गए अन्य सभी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र

हिंदी में प्रवीणता

यदि केन्द्र सरकार के किसी कर्मचारी ने –

(1) मैट्रिक परीक्षा या उसके समतुल्य या उससे ऊँची कोई परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है, या

(2) स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा के बराबर या उससे ऊँची किसी परीक्षा में हिंदी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया था, या

(3) वह राजभाषा नियम में संलग्न प्रारूप में यह घोषणा करता है कि उसे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है तो यह समझा जाएगा कि उसे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है।

(नियम–9)

हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान

यदि किसी कर्मचारी ने –

(1) मैट्रिक परीक्षा या उसके समतुल्य या ऊँची परीक्षा हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली है, या

(2) केन्द्रीय सरकार की हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है,

(3) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस बारे में विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, या

(4) वह राजभाषा नियम में संलग्न प्रारूप में यह घोषणा करता है कि उसने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो यह समझा जाएगा कि ऐसे कर्मचारी को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान है।(नियम–10)

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप–समिति द्वारा 11.01.2021 को किए गए इस संगठन के राजभाषा संबंधी निरीक्षण के अंत में संयोजक एवं सांसद (लोकसभा) श्री चिराग पासवान द्वारा श्री उदित रत्न, मुख्य नियोजन (प्रभारी) को प्रदान किए गए पत्र की प्रति

अ0शा0 पत्र सं0 11012/1/2021-समिति-3

सत्यमेव जयते

चिराग पासवान
संसद सदस्य (लोक सभा)

संयोजक
CONVENOR
तीसरीउपसमिति
Third SUB-COMMITTEE
संसदीय राजभाषा समिति
COMMITTEE OF PARLIAMENT ON OFFICIAL LANGUAGE
11, तीन मूर्ति मार्ग,
11, TEEN MURTI MARG,
नई दिल्ली/New Delhi-110011

दिनांक: 11 जनवरी, 2021

प्रिय श्री उदित रत्न जी,

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप-समिति ने दिनांक 11 जनवरी, 2021 को आपके कार्यालय के कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग में हुई प्रगति की जांच की और इस संबंध में आपसे तथा आपके सहयोगियों से विस्तार से चर्चा हुई। समिति का विश्वास है कि आप राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के सभी शेष लक्ष्यों को शीघ्र पूरा करेंगे तथा कार्यालय की आगामी राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में इसका मूल्यांकन कर समिति सचिवालय को अविलम्ब सूचित करेंगे।

2. निरीक्षण के दौरान आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।

आपका,

(चिराग पासवान)

श्री उदित रत्न,
अपर मुख्य नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन,
'ई' ब्लॉक, विकास भवन, आई.पी. एस्टेट,
नई दिल्ली-110002

इस संगठन में हिंदी प्रयोग प्रोत्साहन मास, सितंबर, 2019 के दौरान आयोजित विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं के सफल प्रतियोगियों की सूची

क्र.सं.	नाम एवं पदनाम	पुरस्कार
	हिन्दी टिप्पण/आलेखन प्रतियोगिता (अधिकारी वर्ग)	
1.	श्री सुदीप रॉय, सहायक नगर एवं ग्राम नियोजक	प्रथम
2.	श्री उदित रत्न, नगर एवं ग्राम नियोजक	द्वितीय
3.	श्री जे.के. कपूर, सह नगर एवं ग्राम नियोजक	तृतीय
4.	श्री नितिन कुमार आजाद, सहायक नगर एवं ग्राम नियोजक	सांत्वना
	हिन्दी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता (अधिकारी वर्ग)	
5.	श्री उदित रत्न, नगर एवं ग्राम नियोजक	प्रथम
6.	श्री अरविन्द कौशिक, सहायक नगर एवं ग्राम नियोजक	द्वितीय
7.	श्री सुदीप रॉय, सह नगर एवं ग्राम नियोजक	तृतीय
8.	श्री नरेश कुमार धीरान, नगर एवं ग्राम नियोजक	सांत्वना
	हिन्दी टिप्पण/आलेखन प्रतियोगिता (तकनीकी एवं कर्मचारी वर्ग)	
9.	श्री रणसिंह सैनी, वरिष्ठ सचिवालय सहायक	प्रथम
10.	श्री सुबोध कुमार श्रीवास्तव, कनिष्ठ सचिवालय सहायक	द्वितीय
11.	श्री अजय कुमार, अनुसंधान सहायक	तृतीय
12.	श्री धर्मेन्द्र शर्मा, अन्वेषक	सांत्वना
13.	श्री मनीष कुमार, कनिष्ठ सचिवालय सहायक	सांत्वना

हिन्दी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता (तकनीकी एवं कर्मचारी वर्ग)		
14.	श्री रणसिंह सैनी, वरिष्ठ सचिवालय सहायक	प्रथम
15.	श्री धर्मेन्द्र शर्मा, अन्वेषक	द्वितीय
16.	श्री प्रभाष कुमार, कनिष्ठ सचिवालय सहायक	तृतीय
17.	श्री रवि प्रताप सिंह, कनिष्ठ सचिवालय सहायक	सांत्वना
18.	श्री मनीष कुमार, कनिष्ठ सचिवालय सहायक	सांत्वना
19.	श्री अजय कुमार, अनुसंधान सहायक	विशेष सांत्वना
20.	श्री अनिल कान्त मिश्रा, अनुसंधान सहायक	विशेष सांत्वना
21.	श्रीमती सरोज बाला, योजना सहायक	विशेष सांत्वना
हिन्दी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता (एमटीएस कर्मचारी वर्ग)		
22.	श्री शेखर, एमटीएस	प्रथम
23.	श्री एम. गणेश, एमटीएस	द्वितीय
24.	श्री मोख्तार राय, एमटीएस	तृतीय
25.	श्री प्रभाकर मेंढेकर, एमटीएस	सांत्वना
26.	श्री उदय वीर सिंह, एमटीएस	सांत्वना
27.	श्री राम सिंह, एमटीएस	विशेष सांत्वना
हिन्दी निबंध प्रतियोगिता (अधिकारी, तकनीकी, कर्मचारी, एमटीएस वर्ग)		
26.	श्री प्रभाष कुमार, कनिष्ठ सचिवालय सहायक	प्रथम
27.	श्री सुबोध कुमार श्रीवास्तव, कनिष्ठ सचिवालय सहायक	द्वितीय
28.	श्री हरपाल सिंह, अनुसंधान सहायक	तृतीय
29.	श्रीमती पिंकी, आशुलिपिक	सांत्वना
30.	श्री कमल सिंह, आशुलिपिक	सांत्वना

सरकारी कामकाज (टिप्पण/प्रारूपण) मूल रूप से हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के निदेशानुसार केंद्रीय सरकार के सभी कार्यालयों में सरकारी कामकाज (टिप्पण/प्रारूपण) मूल रूप से हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत उन अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाता है जो अपने सरकारी कामकाज में मूल रूप से हिंदी में टिप्पण / प्रारूपण का कार्य करते हैं। इस संगठन में **दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019** की अवधि के दौरान सरकारी कामकाज (टिप्पण/प्रारूपण) मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना चलाई गई। उक्त प्रतियोगिता में भाग लेने वाले 19 अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया। पुरस्कृत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची नीचे दी गई है:–

क्रम संख्या	अधिकारी/कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	पुरस्कार
1.	श्री मनीष कुमार, कनिष्ठ सचिवालय सहायक	प्रथम
2.	श्री प्राण कुमार, कनिष्ठ सचिवालय सहायक	प्रथम
3.	श्री रणसिंह सैनी, वरिष्ठ सचिवालय सहायक	द्वितीय
4.	श्री हेमचन्द्र, कार्यालय अक्षीक्षक	द्वितीय
5.	श्री विमल कुमार, वरिष्ठ सचिवालय सहायक	द्वितीय
6.	श्रीमती रेजीना टोप्पो, कार्यालय अधीक्षक	द्वितीय
7.	श्रीमती आशा चन्द्रा, प्रशासनिक अधिकारी	तृतीय
8.	श्री रवि प्रताप सिंह, कनिष्ठ सचिवालय सहायक	तृतीय
9.	श्रीमती निर्मल बिष्ठ, कार्यालय अधीक्षक	तृतीय
10.	श्री अनिल नेगी, वरिष्ठ सचिवालय सहायक	तृतीय
11.	श्री डी.एम. नंदनवार, आशुलिपिक	तृतीय
12.	श्री सुबोध कुमार श्रीवास्तव, कनिष्ठ सचिवालय सहायक	तृतीय
13.	श्री राजेश कुमार, कनिष्ठ सचिवालय सहायक	तृतीय
14.	श्री लुकस रत्न वारला, अनुसंधान सहायक	सांत्वना
15.	श्री शशिरंजन कुमार सिन्हा, कनिष्ठ सचिवालय सहायक	सांत्वना
16.	श्री सत्यपाल सिंह, कनिष्ठ सचिवालय सहायक	सांत्वना
17.	श्री बलदेव राज, वरिष्ठ सचिवालय सहायक	सांत्वना
18.	श्री मनीष कुमार मीना, कनिष्ठ सचिवालय सहायक	सांत्वना
19.	श्री गोविंद सिंह, कनिष्ठ सचिवालय सहायक	सांत्वना
20.	श्री कमल सिंह, आशुलिपिक	सांत्वना
21.	श्री विपिन कुमार, अनुसंधान सहायक	सांत्वना
22.	श्री आर. श्रीनिवास, नगर एवं ग्राम नियोजक	सांत्वना
23.	श्री अनिल कान्त मिश्रा, अनु. सहायक	विशेष सांत्वना

इस संगठन में हिंदी प्रयोग प्रोत्साहन मास, सितंबर, 2020 के दौरान आयोजित विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं के सफल प्रतियोगियों की सूची

क्र.सं.	नाम एवं पदनाम	पुरस्कार
	हिन्दी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता (अधिकारी वर्ग)	
1.	श्रीमती आभा अग्रवाल, सह नगर एवं ग्राम नियोजक	प्रथम
2.	श्री अरविन्द कौशिक, सहायक नगर एवं ग्राम नियोजक	द्वितीय
3.	मो. मोनिस खान, नगर एवं ग्राम नियोजक	विशेष द्वितीय
4.	श्री जे.के.कपूर, सह नगर एवं ग्राम नियोजक	सांत्वना
5.	डॉ. पवन कुमार, सह नगर एवं ग्राम नियोजक	सांत्वना
6.	श्रीमती आशा चन्द्रा, प्रशासनिक अधिकारी	विशेष सांत्वना
	हिन्दी टिप्पण/आलेखन प्रतियोगिता (तकनीकी वर्ग)	
7.	श्री अनिल कान्त मिश्रा, अनुसंधान सहायक	प्रथम
8.	श्री अजय कुमार, अनुसंधान सहायक	द्वितीय
9.	श्री रजनीश कुमार सक्सैना, योजना अधिकारी	तृतीय
	हिन्दी टिप्पण/आलेखन प्रतियोगिता (कर्मचारी वर्ग)	
10.	श्री रण सिंह सैनी, वरिष्ठ सचिवालय सहायक	प्रथम
11.	श्री बलदेव राज, वरिष्ठ सचिवालय सहायक	द्वितीय
12.	श्री पुष्पेन्द्र कुमार, कनिष्ठ सचिवालय सहायक	तृतीय
13.	श्री रवि प्रताप सिंह, कनिष्ठ सचिवालय सहायक	सांत्वना

क्र.सं.	नाम एवं पदनाम	पुरस्कार
	हिन्दी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता (तकनीकी वर्ग)	
14.	श्री अजय कुमार, अनुसंधान सहायक	प्रथम
15.	श्री धर्मेन्द्र शर्मा, अनुसंधान सहायक	द्वितीय
16.	श्री अशोक कुमार, योजना अधिकारी	सांत्वना
17.	श्री आर.पी. सिंह, प्रलेखन सहायक	सांत्वना
18.	श्रीमती सरोज बाला, योजना अधिकारी	विशेष सांत्वना
	हिन्दी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता (कर्मचारी वर्ग)	
19.	श्री सुबोध कुमार श्रीवास्तव, कनिष्ठ सचिवालय सहायक	प्रथम
20.	श्री बलदेव राज, वरिष्ठ सचिवालय सहायक	द्वितीय
21.	श्री राकेश चौहान, कार्यालय अधीक्षक	सांत्वना
22.	श्री नवीन कुमार, आशुलिपिक	सांत्वना
23.	सुश्री पिंकी, आशुलिपिक	विशेष सांत्वना
24.	श्री मनीष मीना, कनिष्ठ सचिवालय सहायक	विशेष सांत्वना
25.	श्री रवि प्रताप सिंह, वरिष्ठ सचिवालय सहायक	विशेष सांत्वना
	हिन्दी श्रुतलेख प्रतियोगिता (अधिकारी, तकनीकी, कर्मचारी वर्ग)	
26.	श्री सुबोध कुमार श्रीवास्तव, कनिष्ठ सचिवालय सहायक	प्रथम
27.	श्री रवि प्रताप सिंह, वरिष्ठ सचिवालय सहायक	द्वितीय
28.	श्री धर्मेन्द्र शर्मा, अनुसंधान सहायक	तृतीय
29.	श्री त्रिभुवन, आशुलिपिक	सांत्वना
30.	श्री नीरज तिवारी, आशुलिपिक	सांत्वना

सरकारी कामकाज (टिप्पण/प्रारूपण) मूल रूप से हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के निदेशानुसार केंद्रीय सरकार के सभी कार्यालयों में सरकारी कामकाज (टिप्पण/प्रारूपण) मूल रूप से हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत उन अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाता है जो अपने सरकारी कामकाज में मूल रूप से हिंदी में टिप्पण / प्रारूपण का कार्य करते हैं। इस संगठन में **दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2020** की अवधि के दौरान सरकारी कामकाज (टिप्पण/प्रारूपण) मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना चलाई गई। उक्त प्रतियोगिता में भाग लेने वाले 19 अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया। पुरस्कृत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची नीचे दी गई है:–

क्रम संख्या	अधिकारी/कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	पुरस्कार
1.	श्री मनीष कुमार, कनिष्ठ सचिवालय सहायक	प्रथम
2.	श्री रणसिंह सैनी, वरिष्ठ सचिवालय सहायक	प्रथम
3.	श्री प्राण कुमार, कनिष्ठ सचिवालय सहायक	द्वितीय
4.	श्री अनिल नेगी, वरिष्ठ सचिवालय सहायक	द्वितीय
5.	श्री शशिरंजन कुमार सिन्हा, कनिष्ठ सचिवालय सहायक	द्वितीय
6.	श्री रवि प्रताप सिंह, कनिष्ठ सचिवालय सहायक	द्वितीय
7.	श्रीमती आशा चन्द्रा, प्रशासनिक अधिकारी	तृतीय
8.	श्रीमती रेजीना टोप्पो, कार्यालय अधीक्षक	तृतीय
9.	श्रीमती निर्मल बिष्ठ, कार्यालय अधीक्षक	तृतीय
10.	श्री राजेश कुमार, कनिष्ठ सचिवालय सहायक	तृतीय
11.	श्री डी.एम. नंदनवार, आशुलिपिक	तृतीय
12.	श्री सुबोध कुमार श्रीवास्तव, कनिष्ठ सचिवालय सहायक	तृतीय
13.	श्री गोविंद सिंह, आशुलिपिक	तृतीय
14.	श्री नरेन्द्र पाल सिंह, आशुलिपिक	सांत्वना
15.	श्री आर. श्रीनिवास, नगर एवं ग्राम नियोजक	सांत्वना
16.	श्री मनीष कुमार मीना, कनिष्ठ सचिवालय सहायक	सांत्वना
17.	श्री विपिन कुमार, अनुसंधान सहायक	सांत्वना
18.	श्री सुमित कुमार, कनिष्ठ सचिवालय सहायक	सांत्वना
19.	श्री अनिल कांत मिश्रा, अनुसंधान सहायक	सांत्वना

तकनीकी शब्द

अंग्रेजी	हिंदी
Accelerated water supply scheme	त्वरित जलापूर्ति योजना
Accessible digital infrastructure	सुलभ डिजिटल अवसंरचना
Augmentation	संवर्धन
Authentic & reliable data	प्रामाणिक एवं विश्वसनीय आंकड़े
Basic infrastructure & housing facilities	आधारभूत संरचना एवं आवासीय सुविधाएं
Build, operate and transfer	निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण
Building typologies	भवन कोटियां
Cadastral maps	भूकर मानचित्र, कडेस्टरल मैप
Capacity building training programme	क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम
Central public information officer	केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी
City development plan	शहरी विकास योजना
Climate change adaptation	जलवायु परिवर्तन के अनुकूल ढालना
Common effluent treatment plan	सामान्य अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र
Conceptual detail project report	वैचारिक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
Decennial growth rate	दशकीय विकास दर
Decentralized profile	जनसांख्यिकीय रूपरेखा
Development policies & strategies	विकास नीतियां एवं रणनीतियां
Development potentials and constants	विकास घटक (संभावनाएं) एवं बाधाएं
Drainage connectivity	निकासी संबद्धता
Eco-sensitive area	पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र
Effluent treatment plant	बहिस्रावी शोधन संयंत्र
Environmental improvement of urban slums	शहरी स्लमों में पर्यावरणीय सुधार

अंग्रेजी	हिंदी
Flagship programmes	प्रमुख कार्यक्रम
Flood management and vulnerability	बाढ़ प्रबंधन एवं जोखिम
Geographical information system	भौगोलिक सूचना प्रणाली
Haphazardly grown cities	अव्यवस्थित बसे शहर
Heritage conservation plan	विरासत संरक्षण योजना
Hi-tech powered review and monitoring committee	उच्चाधिकार प्राप्त समीक्षा एवं निगरानी समिति
Hi-tech public toilet	उच्च प्रौद्योगिक सार्वजनिक शौचालय
Indiscriminate development activities	अव्यवस्थित/अंधाधुंध विकास गतिविधियां
Integrated low cost housing scheme	समेकित अल्प–लागत आवासीय योजना
Land use Zones and planning requirement	भूमि उपयोग क्षेत्र एवं नियोजन आवश्यकताएं
Mapping contour levels	कंटूर स्तर का मानचित्र
Meaningful formulation of policies	नीतियों का सार्थक निर्माण (निरुपण)
Mixed land use	मिश्रित भूमि उपयोग
Monthly per capita consumption	मासिक प्रति व्यक्ति उपयोग व्यय
Nation sample survey organisation	राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय
Navigation system	दिशा निर्देशन प्रणाली
Neighborhood conditions	परिवेशी परिस्थितियां
On going projects	जारी परियोजनाएं
Outline development plan	रूपरेखा विकास योजना
Participatory rapid appraisal	सहभागिता तीव्र मूल्यांकन
Perspective plan	परिप्रेक्ष्य योजना, भावी योजना
Physiographic characteristics	भू–आकृति संबंधी विशेषताएं
Plan formulation	योजना निरुपण

अंग्रेजी	हिंदी
Planned and unplanned development	नियोजित एवं अनियोजित विकास
Planning issues and facilities	नियोजन विषय एवं सुविधाएं
Preparatory works	प्रारंभिक निर्माण कार्य
Regional diversities in urbanization	शहरीकरण की क्षेत्रीय विविधताएं
Regional planning approach	क्षेत्रीय नियोजन दृष्टिकोण
Sectoral plan	अर्थव्यवस्था के विशिष्ट उद्योगों एवं क्षेत्रों के लिए रणनीतिक योजना
Sewage and sanitation	मल–निकास एवं स्वच्छता
Sewerage treatment plant	जल–मल शोधन यंत्र
Slum free city plan of action	स्लम युक्त शहर कार्रवाई योजना
Spatial development plan	स्थानिक विकास योजना
Special economic zone	विशेष आर्थिक क्षेत्र
Structural stability certificate	संरचनात्मक मजबूती प्रमाण–पत्र
Sustainability appraisal	सुस्थिरता मूल्यांकन
Systematic feedback	व्यवस्थित प्रतिक्रिया
Three dimentional policy	त्रिआयामी नीति
Tourism master plan	पर्यटन मुख्य योजना
Urban territory	नगर क्षेत्र
Valedictory address	समापन भाषण
Vehicular emission	वाहनों से होने वाला उत्सर्जन
Waste disposal	कचरा निपटान
Watershed development	जल विभाजक विकास
Work force participation	कार्यबल भागीदारी दर
Zero waste	शून्य कचरा स्थिति

संक्षिप्त टिप्पणियां

अंग्रेजी	हिंदी
Approved	अनुमोदित
Attach relevant papers	पिछले कागज साथ लगाएं
Await arrival	आने की प्रतीक्षा करें
Bill passed	बिल पास कर दिए गए
Call for the file	फाइल मंगाई जाए
Check and give remarks	जांच करें और टिप्पणी दें
Checked and found correct	जांच की और सही पाया
Contract may be terminated	संविदा/ठेका समाप्त कर दिया जाए
Decision is awaited	निर्णय की प्रतीक्षा है
Discuss with papers	संबंधित कागज लाकर विचार विमर्श करें/चर्चा करें
Do the needful	आवश्यक कार्रवाई करें
Draft is concurred in	मसौदा/प्रारूप से सहमति है
Earned leave sanctioned	अर्जित छुट्टी/अवकाश मंजूर
Enquiry has been ordered	जांच का ओदश दे दिया गया है
Expedite action	कार्रवाई शीघ्र करें, कार्रवाई में शीघ्रता करें
File these papers	ये कागज फाइल किए जाएं
I agree	मैं सहमत हूं
I disagree	मैं असहमत हूं
Inform accordingly	तदनुसार सूचित करें
Interim reply may be given	अंतरिम उत्तर भेज दिया जाए
Issue today	आज ही जारी करें
It is defective	यह खराब/दोषपूर्ण है
Keep with the file	फाइल में रखिए
Kindly expedite reply	कृपया शीघ्र उत्तर दें
Kindly reply	कृपया उत्तर दें
Let the status quo be maintained	पूर्व स्थिति बनी रहने दी जाए
May be filed	फाइल कर दिया जाए
May be treated as closed	समाप्त समझा जाए
May please see for information	कृपया सूचनार्थ देखें

अंग्रेजी	हिंदी
Must be rigidly adhered to	कड़ाई के साथ पालन किया जाए/जाना चाहिए
Necessary action my be taken	आवश्यक कार्रवाई की जाए
Necessary correction may be carried out	आवश्यक संशोधन कर लिया जाए
No further action is necessary	आगे कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है
Noted and returned	नोट करके वापस किया जाता है
Open part file	खण्ड फाइल खोले
Papers please	कृपया कागज प्रस्तुत करें
Permitted	अनुमति दी गई
Please confirm	कृपया पुष्टि करें
Please expedite compliance	कृपया शीघ्र अनुपालन कीजिए
Please note in the register	कृपया रजिस्टर में नोट करें
Please see me	कृपया आप मुझसे मिले
Please see overleaf	कृपया पिछला पृष्ठ देखें
Please see preceding notes	कृपया पिछली टिप्पणियां देख लें
Please turn over	कृपया पृष्ठ/पन्ना उलटें
Proposal is in order	प्रस्ताव ठीक है
Rearrange the papers	कागजों का पुनर्विन्यास कीजिए, कागजों को फिर से तरतीब से लगाइए
Reply today	उत्तर आज भेज दिया जाए
Report is awaited	रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
Required to be rectified	परिशोधन अपेक्षित है
Sanctioned	संस्वीकृत (मंजूर किया)
Seen, file	देख लिया, फाइल किया जाए
Seen, thanks	देख लिया, धन्यवाद
Speak on phone	टेलीफोन पर बात करें
This is inadmissible	यह अस्वीकार्य है
This may please be acknowledge	कृपया इसकी पावती दें
This Para may be dropped	यह पैरा निकाल/छोड़ दिया जाए
Verified and found correct	सत्यापित कर लिया और ठीक पाया
We are not concerned with this	इसका हमसे संबंध नहीं है

आपका पत्र मिला

आपका धन्यवाद

'नियोजन संदेश' के 19वें अंक का संपादन कार्य और उसमें लिखे लेख उत्कृष्ट हैं। राजभाषा के नियमों एवं निर्धारित लक्ष्यों की जानकारी काफी उपयोगी है।

श्री आर.डी. मीना, सेवानिवृत्त अनुसंधान सहायक
नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, नई दिल्ली।

'नियोजन संदेश' का 19वां अंक प्राप्त हुआ। इसमें उच्च अधिकारियों द्वारा लिखे गए ज्ञानवर्धक लेख उनके हिंदी प्रेम के द्योतक हैं। संगठन के क्रियाकलापों से संबंधित लेख उच्च श्रेणी के हैं। यह पत्रिका तकनीकी एवं अन्य लेखों सहित कविताओं से सुज्जित संगठन की एक अनुपम कृति है। मुझे श्री उदित रत्न लिखित ''जापान की इंटेलिजेंट परिवहन प्रणाली से सीख एवं सिफारिशें'' लेख काफी जानकारीपूर्ण और रोचक लगा। सभी रचनाकारों को मेरी हार्दिक बधाई जिनके प्रयासों से यह अंक साकार हुआ।

आशा है 'नियोजन संदेश' भविष्य में भी इसी प्रकार प्रकाशित होती रहेगी।

हार्दिक शुभकामनाएं।

श्री अरविंद पारीख, हिंदी अधिकारी
सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली।

आपके संगठन की गृहपत्रिका 'नियोजन संदेश' का 19वां अंक प्राप्त हुआ।

पत्रिका में प्रकाशित लेख अत्यंत ज्ञानवर्धक एवं रोचक हैं। श्री जय बी. क्षीरसागर जी द्वारा लिखित ''स्मार्ट शहरः स्थायी और स्मार्ट शहरों को बढ़ावा देने की स्थानिक योजना'' लेख से नई एवं रोचक जानकारी मिली। अन्य रचनाएं, कविताएं भी उपयोगी हैं।

पत्रिका का मुख पृष्ठ एवं अंतिम पृष्ठ काफी आकर्षक है। पत्रिका के प्रकाशन से जुड़े सभी सदस्य साधुवाद के पात्र हैं। कृपया मेरी ओर से बधाई स्वीकार करें।

श्रीमती शशि बंदूनी,
पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली।

'नियोजन संदेश' के 19वें अंक में सभी लेख सराहनीय हैं। पत्रिका में श्रीमती आभा अग्रवाल का लेख 'जलः सबसे अनमोल सीमित संसाधन' तथ्यात्मक और ज्ञानवर्धक लेख है। पत्रिका में दी गई कविताएं भी काफी रोचक और हृदयस्पर्शी हैं।

विपिन कुमार, अनुसंधान सहायक,
नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, नई दिल्ली।

मंत्रिमंडल सचिवालय
लोक शिकायत निदेशालय

क्या आप अनसुलझी शिकायतों से परेशान हैं?

आप लोक शिकायत निदेशालय के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत मंत्रालयों/विभागों और संगठनों से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए लोक शिकायत निदेशालय की सहायता ले सकते हैं। पिछले कुछ सालों में, इस निदेशालय द्वारा उठाई गई लगभग नब्बे प्रतिशत शिकायतों का संतोषजनक समाधान किया गया है।

अपनी शिकायत दर्ज कराने से पहले कृपया नीचे दी गई शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ें :–

- आपने अपनी शिकायतों को संबंधित विभाग के समक्ष समाधान हेतु प्रस्तुत कर लिया हो।
- आपकी शिकायत सेवा मामले (गेच्युटी, जीपीएफ इत्यादि जैसे सेवांत हितलाभों के भुगतान के अलावा), संबंधित विभाग के मंत्री के स्तर पर निपटाए गए मामले, वाणिज्यिक अनुबंध, न्यायाधीन मामले, ऐसे मामले जहां निर्णय लेने के लिए अर्द्धन्यायिक पद्धति और अपीलीय प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं, आरटीआई मामले, धार्मिक मामले से संबंधित न हो।
- किसी भी प्रकार के सुझाव को शिकायत के रूप में नहीं माना जाएगा।

लोक शिकायत निदेशालय के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मंत्रालयों/विभागों/संगठनों की सूची

(क)	रेल मंत्रालय	(ज)	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
(ख)	डाक विभाग	(झ)	सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियां
(ग)	बीएसएनएल और एमटीएनएल सहित	(ञ)	वित्त मंत्रालय की राष्ट्रीय बचत स्कीम
	दूरसंचार विभाग	(ट)	श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत
(घ)	दिल्ली विकास प्राधिकरण, भूमि और विकास		कर्मचारी राज्य बीमा निगम नियंत्रित
	कार्यालय, सीपीडब्ल्यूडी औरा सम्पदा	(ठ)	ईएसआई अस्पताल और औषधालय।
(ङ)	निदेशालय सहित शहरी विकास मंत्रालय	(ड)	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन।
	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय,		विदेश मंत्रालय के अंतर्गत क्षेत्रीय
(च)	इसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सहित।	(ढ)	पासपोर्ट प्राधिकरण
(छ)	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और एअर		स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के
	इंडिया सहित नागर विमानन मंत्रालय।	(ण)	अंतर्गत केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना
	केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केंद्रीय विद्यालय	(त)	पर्यटन मंत्रालय
	संगठन, नवोदय विद्यालय समिति, केंद्रीय	(थ)	युवक कार्यक्रम मंत्रालय
	विश्वविद्यालय समविश्वविद्यालय (केंद्रीय) और		पोत परिवहन, सड़क परिवहन और
	मानव संसाधन विकास मंत्रालय की छात्रवृत्ति		राजमार्ग मंत्रालय
	स्कीमें।		

नोटः आप हमारी वेबसाइट http://dpg.gov.in पर अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। आप अपनी शिकायत, संपूर्ण सूचना और संगत दस्तावेजों के साथ हमें डाक/फैक्स या ईमेल द्वारा भेज सकते हैं।	**हमसे यहां सपर्क करें:–** सचिव, लोक शिकायत निदेशालय, दूसरा तल, सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001 दूरभाष : 011–23743139, 011–23741228, 011–23363733 फैक्सः 011–23345637

नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन में आयोजित हिंदी कार्यशालाओं, सतर्कता जागरूकता सप्ताह और मतदाता जागरूकता मंच की कुछ झलकियां:

मुख्य नियोजक (प्रभारी) द्वारा 01.01.2021 को आयोजित संगठन की पहली ऑनलाइन कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए एवं कार्यशाला में व्याख्यान देते श्री आर.पी. सिंह, प्रलेखन सहायक

व्याख्यान देते श्री प्रेम सिंह और भाग लेने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी

व्याख्यान देती श्रीमती किरण भारद्वाज और भाग लेने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के समापन समारोह के दौरान पुरस्कार देते श्री उदित रत्न, मुख्य नियोजक (प्रभारी)

मतदाता जागरूकता मंच के दौरान शपथ ग्रहण करते अधिकारी एवं कर्मचारी

अरुणाचल प्रदेश में आदिवासी झोपड़ी का एक मनोहर दृश्य